



कार्यालय सचिव नगर निगम
नगर निगम, कानपुर

पत्र संख्या :- डी/174/सचिव (न0नि0)/2018-19

दिनांक :- 17.11.2018

सेवा में,

मा0 श्री/श्रीमती.....

पार्षद वार्ड सं0...../सदस्य कार्यकारणी

महोदय/महोदया,

नगर निगम कार्यकारिणी समिति की दिनांक 04.10.2018 को स्थगित बैठक जो दिनांक 08.10.2018 को सम्पन्न हुई, का कार्यवृत्त आपकी सेवा में संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक :- कार्यवृत्त पृष्ठ संख्या 01 से 73 तक।

प्रतिलिपि :-

- 1.नगर आयुक्त महोदय की सेवा में संज्ञानार्थ।
- 2.अपर नगर आयुक्त (प्रथम/द्वितीय) महोदय को सूचनार्थ।
- 3.समस्त विभागाध्यक्ष/विभागीय अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर निगम, कानपुर

सचिव
नगर निगम, कानपुर

दिनांक- 08.10.2018 दिन सोमवार को पूर्वान्ह 11:00 बजे नगर निगम मुख्यालय, मोतीझील स्थित समिति कक्ष में सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक का कार्यवृत्त :-

उपस्थिति

1. श्रीमती प्रमिला पाण्डेय	महापौर/सभापति	11. श्रीमती रीता पासवान	पार्षद/सदस्य
2. श्री नवीन पण्डित	पार्षद/उप सभापति	12. श्री लियाकत अली	पार्षद/सदस्य
3. श्री महेन्द्र पाण्डेय 'पप्पू'	पार्षद/सदस्य	अधिकारीगण	
4. श्री मो० अमीम	पार्षद/सदस्य	1. श्री संतोष कुमार शर्मा	नगर आयुक्त
5. श्री जयप्रकाश पाल	पार्षद/सदस्य	2. श्री अरविन्द राय	अपर नगर आयुक्त
6. श्री जितेन्द्र	पार्षद/सदस्य	3. श्री रमेश चन्द्र निरंजन	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
7. श्री सन्तोष साहू	पार्षद/सदस्य	4. श्री मनीष कुमार सिंह	मुख्य अभियन्ता
8. श्री विजय यादव	पार्षद/सदस्य	5. डॉ० ए०के० सिंह	पशु चिकित्साधिकारी
9. श्री गोपाल गुप्ता	पार्षद/सदस्य	6. श्री संजय सिन्हा	महाप्रबन्धक 'जलकल'
10. श्री गुरु नारायण गुप्ता	पार्षद/सदस्य	7. श्री आर०के०पाल	प्रभारी अधिकारी 'मार्गप्रकाश'

सभापति ने नगर आयुक्त को एजेण्डानुसार बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने के निर्देश दिये।

नगर आयुक्त ने कहा कि मा० सभापति की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। सर्वप्रथम बैठक में आये हुये सभी मा० सदस्यों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन करने के साथ अपर नगर आयुक्त 'द्वितीय' को एजेण्डानुसार बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित करता हूँ।

अपर नगर आयुक्त 'द्वितीय' ने एजेण्डानुसार बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये बिन्दुवार एजेण्डा पढ़कर तदनुसार मा० सदस्यों को अवगत कराया कि दिनांक 20.08.2018 को पूर्वान्ह 11.00 बजे नगर निगम मुख्यालय स्थित सदन सभागार में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधान मंत्री के निधन पर शोक सभा सम्पन्न हुई। उक्त बैठक की श्रद्धाजलि सभा में प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित किया गया जो निम्नवत् है, कृपया तदनुसार संज्ञान लेने का कष्ट करें।

प्रस्ताव संख्या-85

बड़ा चौराहा का नामकरण "अटल चौक" किये जाने हेतु प्रस्ताव।
..... संज्ञान लेते हुये स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या-86

गंगा बैराज पर निर्माणाधीन घाट का नामकरण "अटल घाट" किये जाने हेतु प्रस्ताव।
..... संज्ञान लेते हुये स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या-87

वी0आई0पी0 रोड का नामकरण "अटल मार्ग" किये जाने हेतु प्रस्ताव।
..... संज्ञान लेते हुये स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या-88

ग्राम शेखपुर में स्थित 20 एकड़ भूमि पर सघन वृक्षारोपड़ कराया जा रहा है उसका नाम "अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति वन" किये जाने हेतु प्रस्ताव।
..... संज्ञान लेते हुये स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या-89

तुलसी उपवन में भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा की स्थापना का प्रस्ताव।
..... संज्ञान लेते हुये स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या-90

जूही पुल का नाम "अटल सेतु" किये जाने का प्रस्ताव।
..... संज्ञान लेते हुये स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या-91

श्री महेन्द्र नाथ शुक्ला (ददा), मा० पार्षद एवं श्री प्रमोद जायसवाल पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा० महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :-

कृपया अवगत कराना है कि जे०सी०आई०, कानपुर इण्डस्ट्रियल विगत 35 वर्षों से कानपुर शहर में सामाजिक सेवा में तत्पर है। तत्सापेक्ष जे०सी०आई० 05 वर्षों से स्वरूप नगर गैस्ट्रोलीवर अस्पताल के सामने वाले चौराहे का सुन्दरीकरण एवं रख-रखाव नगर निगम के नियमों व शर्तों पर कर रही है। इस तरह गंगा बैराज के पास स्थित तिराहे का भी सुन्दरीकरण एवं रख-रखाव करना चाहती है।

अतः प्रश्नगत तिराहा (गंगा बैराज स्थित) के सुन्दरीकरण एवं रख-रखाव हेतु नगर निगम के नियमों व शर्तों पर जे०सी०आई०, कानपुर इण्डस्ट्रियल को दिये जाने का प्रस्ताव माननीय कार्यकारिणी समिति के स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

श्री महेन्द्र पाण्डेय 'पप्पू' ने कहा कि मैं उसी वार्ड से पार्षद हूँ। उस स्थान पर कोई ऐसी जगह नहीं है, जहाँ पर यह सौन्दर्यीकरण का कार्य कर सकें, क्योंकि एक तरफ केस्को का परिवर्तक तथा दूसरी तरफ वी०एस०एस०डी० कॉलेज की बाउण्ड्री फेन्सिंग है। यदि संस्था चौराहे पर सौन्दर्यीकरण का कार्य कराती है तो वह छोटा हो जायेगा जिससे दुर्घटनाओं की सम्भावनायें बढ़ जायेंगी। यदि संस्था को सौन्दर्यीकरण का कार्य करना है तो गंगा बैराज से चिड़िया घर जाने वाले मार्ग के दोनों तरफ सौन्दर्यीकरण का कार्य किया जा सकता है।

नगर आयुक्त ने कहा कि समिति गठित करते हुये स्थल का पुनः परीक्षण करा लिया जाये।

..... समिति गठित करते हुये स्थलीय निरीक्षण कराकर तदनुसार कार्यवाही की जाये।

प्रस्ताव संख्या-92

नगर आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 24.04.18 द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव माननीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतार्थ निम्नवत् प्रस्तुत है :-

कानपुर नगर निगम द्वारा संचालित 04 वित्त विहीन मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में मान्देसरी सेवा के सृजित पदों पर नियमित वेतनक्रम की शिक्षिकाओं को नगर आयुक्त महोदय की स्वीकृति दिनांक 24.04.2018 के क्रम में शासनादेश संख्या-3409/9-1-17-194 सा/16, दिनांक 04.01.2107 के अनुसार सातवें वेतन आयोग का लाभ दिनांक 01.01.2016 से निम्नानुसार प्रदान किया जाना है :-

पदनाम	दिनांक 01.01.2016 से संशोधित
प्रधानाध्यापिका	9300-34800 ग्रेड पे 4800/- मैट्रिक्स लेवल 8 में
सहायक अध्यापिका प्रशिक्षित स्नातक एल०टी०ग्रेड	9300-34800 ग्रेड पे 4600/- मैट्रिक्स लेवल 7 में
सहायक अध्यापिका सी०टी० नर्सरी	9300-34800 ग्रेड पे 4200/- मैट्रिक्स लेवल 6 में

अतः दिनांक 01.01.2016 से उपरोक्त सातवें वेतनमान का लाभ दिये जाने की स्वीकृति हेतु मा० कार्यकारिणी समिति/सदन के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत है।

श्री मो० अमीम ने कहा कि इन विद्यालयों की अध्यापिकाओं को 7वें वेतनमान का लाभ दिये जाने में नगर निगम पर कितना वित्तीय भार पड़ेगा, इसका आंकलन कर लिया जाये और यदि नगर निगम चाहे तो इन विद्यालयों को संचालन हेतु शिक्षा विभाग को दे दिया जाये।

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ने कहा कि वित्त पोषित विद्यालयों में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शिक्षा विभाग के माध्यम से अध्यापक/अध्यापिकाओं को वेतन के मद में जो अनुदान राशि दी जाती है, वह पिछले काफी समय से नहीं दी जा रही है और शिक्षा विभाग से समन्वय स्थापित करने पर उनके द्वारा इस सम्बन्ध में अनसुनी की जाती है।

नगर आयुक्त ने मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी को निर्देशित किया कि वित्त पोषित विद्यालयों के अध्यापक/अध्यापिकाओं को सातवें वेतनमान का लाभ दिये जाने में नगर निगम के ऊपर प्रतिवर्ष कितना वित्तीय भार आयेगा, इसको दिखवा लें, तदोपरान्त अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत करें।

..... वित्त पोषित विद्यालयों के अध्यापक/अध्यापिकाओं को सातवें वेतनमान का लाभ दिये जाने में नगर निगम के ऊपर प्रतिवर्ष कितना वित्तीय भार आयेगा, इसको दिखवा लिया जाये, तदोपरान्त अग्रेत्तर कार्यवाही की जाये।

प्रस्ताव संख्या-93

कानपुर नगर निगम

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2 सन् 1959) की धारा 540, 541(41)(42)(48) एवं 542 के अन्तर्गत मा० कार्यकारिणी समिति/सदन के विचारार्थ निम्न उपविधि का प्रारूप अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है

कानपुर नगर निगम (विज्ञापन पर अनुज्ञा शुल्क का निर्धारण व वसूली) उपविधि, 2018

- | | | |
|--------------------------------------|------|--|
| 1-संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ | 1 | (1) यह उपविधि कानपुर नगर निगम (विज्ञापन पर अनुज्ञा शुल्क का निर्धारण व वसूली कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार कानपुर नगर निगम के सम्पूर्ण क्षेत्र में होगा।
(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी। |
| 2-परिभाषाएं | 2(I) | जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस उपविधि में—
(1) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम-1959 से है।
(2) "विज्ञापनकर्ता" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से जिसे इस उपविधि के अधीन कोई विज्ञापन या विज्ञापनपट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, सुनाने, चित्रित करने या लटकाने के लिए लिखित अनुमति प्रदान की गयी हो, और ऐसे व्यक्ति में उसका अभिकर्ता, प्रतिनिधि या सेवक सम्मिलित है और भूमि तथा भवन का स्वामी भी सम्मिलित है। |

- (3) "विज्ञापन प्रतीक" का तात्पर्य विज्ञापन के प्रयोजन के लिए या तत्संबंध में सूचना देने के लिए या जनता को किसी स्थान, व्यक्ति, लोक निष्पादन, वस्तु या वाणिज्यिक माल, जो भी हो, के प्रति आकर्षित करने के लिए किसी सतह या संरचना या ध्वनि से है जिसमें ऐसे प्रतीक अक्षर या दृष्टान्त अनुप्रयुज्य हों जो द्वार के भीतर या बाहर, किसी भी रीति, से संप्रदर्शित हो, और उक्त सतह या संरचना या किसी भवन से संलग्न हो, उसका भाग हो या उससे संयोजित हो, या जो किसी वृक्ष या भूमि या किसी खम्भे, स्क्रीन बाड़ या विज्ञापनपट से जुड़ी हो या जो खाली स्थान पर संप्रदर्शित हो,
- (4) "गुब्बारा" का तात्पर्य गैस से भरे हुए ऐसे किसी गुब्बारे से है जो भूमि पर किसी बिन्दु से बंधा हो और कपड़े आदि के किसी फरहरे से या उसके बिना हवा में लहरा रहा हो,
- (5) "पताका" "बैनर" का तात्पर्य ऐसी किसी नम्य आधार से है जिस पर कोई प्रतिकृति या चित्र संप्रदर्शित किये जा सकते हैं,
- (6) पताका विज्ञापन का तात्पर्य किसी प्रतीक से है जो अपने संप्रदर्शन की सतह के रूप में किसी झण्डी का उपयोग कर रहा हो
- (7) "समिति" का तात्पर्य नियम-3 के अधीन गठित स्थल चयन समिति से है,
- (8) "निगम" का तात्पर्य कानपुर नगर निगम से है,
- (9) "विद्युतीय प्रतीक" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जिसमें विद्युतीय साज-सज्जे, जो प्रतीकों के महत्वपूर्ण अंग हैं, प्रयुक्त किये जाते हैं,
- (10) "गैन्ट्री प्रतीक" का तात्पर्य सड़क के दोनों ओर लोहे का मजबूत पिलर गाड़कर उसके ऊपर न्यूनतम निर्दिष्ट ऊँचाई पर आयताकार विज्ञापन प्रतीक से है,
- (11) डिजिटल स्क्रीन का तात्पर्य यह है कि ऐसे विज्ञापन पट जिसमें एक या उससे अधिक विज्ञापन प्रदर्शित किये जाते हों।
- (12) "भू विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ न हो, और जो भूमि पर या किसी खम्भे, स्क्रीन, बाड़ा या विज्ञापनपट पर परिनिर्मित या चित्रित हो और जनता के लिए दृश्य हो,
- (13) "प्रदीप्त प्रतीक" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो स्थायी या अन्यथा हो और जिसकी कार्यप्रणाली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकाश द्वारा उसे प्रदीप्त किये जाने पर आधारित हो,
- (14) "शामियाना विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी शामियाना वितान या ऐसी अन्य आच्छादित संरचना से सम्बद्ध हो या उससे टंगा हुआ हो जो किसी भवन की दीवार एवं भवन की सीमा रेखा से बाहर की ओर हो, तथा जो भवन की दीवार एवं भवन सीमा रेखा से बाहर की ओर हो और अस्थायी रूप से संप्रदर्शित किया गया हो,
- (15) "प्रक्षेपित प्रतीक" का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ हो और उससे 300 मिलीमीटर से अधिक बाहर की ओर हो,

- (16) "मार्ग अधिकार" का तात्पर्य सड़क के प्रयोजनार्थ सुरक्षित और संरक्षित भूमि की चौड़ाई से है,
- (17) "छत विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो किसी भवन की प्राचीर या छत के किसी भाग पर या उसके ऊपर परिनिर्मित हो या रखा गया हो जिसमें किसी भवन की छत पर चित्रित विज्ञापन सम्मिलित है।
- (18) "अनुसूची" का तात्पर्य इस उपविधि से संलग्न अनुसूची से है,
- (19) बस सायबानों (शेल्टर) पर विज्ञापन" का तात्पर्य किसी बस संचालन के अधीन बस सायवान के ऊपर अथवा भीतर की ओर से प्रकाशित किये गये, टागे गये, अथवा चित्रित किये गये विज्ञापन प्रतीक से है,
- (20) पुष्प पात्र (फ्लावर पॉट) स्टैण्ड विज्ञापन "का तात्पर्य शहर के अनुमन्य डिवाइडरो पर अथवा सड़क/फुटपाथ के अन्तिम छोर पर पर्यावरण की दृष्टिकोण से अनुकूल मौसमी पौधे लगाने के पश्चात फ्लावर पॉट स्टैण्ड पर अनुमन्य/विहित आकार का विज्ञापन पट लगाये जाने से है,
- (21) जनसुविधा स्थान पर विज्ञापन "का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो किसी जनसुविधा स्थान के ऊपर /पास अथवा उसके भीतर किसी भी रीति से लगाये गये विज्ञापन से है,
- (22) ट्रैफिक /पुलिस बूथ अथवा ट्रैफिक आईलैण्ड पर विज्ञापन"का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो किस ट्रैफिक /पुलिस बूथ अथवा ट्रैफिक आईलैण्ड के ऊपर अथवा उसके चारों ओर लगाया/लटकाया/चित्रित किया जाए,
- (23) 'प्रतीक संरचना" का तात्पर्य किसी ऐसी संरचना से है जिससे कोई प्रतीक अवलम्बित हो,
- (24) "अनुज्ञा शुल्क" का तात्पर्य अधिनियम की धारा-541 की उपधारा 48 कें निर्दिष्ट विज्ञापन शुल्क से है,
- (25) 'अस्थायी विज्ञापन" का तात्पर्य कार्य दिवस/अवकाश दिवसों या लोक प्रदर्शनों हेतु अलंकारिक प्रदर्शनों सहित, किसी सीमित अवधि के प्रदर्शन के लिए वाँछित किसी विज्ञापन,प्रतीक झण्डा या वस्त्र, कैनवैश, कपड़े या किसी संरचनात्मक ढाँचा से या उसके बिना किसी अन्य हल्की सामग्री से निर्मित अन्य विज्ञापन युक्ति से है,
- (26) ट्री गार्ड विज्ञापन"का तात्पर्य अनुमन्य डिवाइडरो पर अथवा सड़क/फुटपाथ के अन्तिम छोर पर पर्यावरण के दृष्टिकोण से अनुकूल पौधे लगाने के पश्चात ट्री गार्ड पर अनुमन्य/विहित आकार के संप्रदर्शित विज्ञापन प्रतीक से है,
- (27) "बरांडा प्रतीक" का तात्पर्य किसी बरांडा से सम्बद्ध, उससे संयोजित या उससे टाँगे गये किसी विज्ञापन से है,
- (28) "दीवार प्रतीक" का तात्पर्य किसी क्षेपण प्रतीक से भिन्न ऐसे किसी विज्ञापन से है जो किसी भवन की बाह्य सतह या उसके संरचनात्मक भाग से सीधे सम्बद्ध हो या उस पर चित्रित किया गया या चिपकाया गया हो,
- (29) "मैदान" का तात्पर्य प्रत्येक प्रकार की खुली भूमि (Open Ground), पार्क (Park) अथवा खेल के मैदान (Play Ground) से है।

2(II)

इस उपविधि में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए

3-स्थल चयन के लिए
समिति का गठन

समनुदेशित हों।

- (1) नगर आयुक्त अथवा अपर नगर आयुक्त की अध्यक्षता में विज्ञापन या विज्ञापन पट के लिए उचित और उपयुक्त स्थलों की पहचान करने के लिए और उसके आकार, ऊँचाई, और सौन्दर्यात्मक पहलू का विनिश्चय करने एवं प्रतिबन्धित स्थलों के चयन के लिए कानपुर नगर निगम में एक समिति का गठन किया जायेगा।
- (2) समिति में निम्नलिखित होंगे :-
- | | |
|---|--------------|
| (1) नगर आयुक्त अथवा नगर आयुक्त द्वारा नामित अपर नगर आयुक्त | अध्यक्ष |
| (2) मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम | सदस्य |
| (3) निगम का यातायात अभियंता या कोई अधिकारी जो अधिशाषी अभियंता की श्रेणी से भिन्न न हो। | सदस्य |
| (4) प्रभारी अधिकारी (विज्ञापन) | सदस्य / सचिव |
| (5) सचिव / संयुक्त सचिव कानपुर, विकास प्राधिकरण | सदस्य |
| (6) परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जहाँ स्थल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई) से सम्बन्धित हो) | सदस्य |
| (7) अधिशाषी अभियंता, लोक निर्माण विभाग (जहाँ स्थल लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित हो), | सदस्य |
| (8) नगर में यातायात का प्रभारी राजपत्रित अधिकारी (यातायात पुलिस विभाग) | सदस्य |
| (9) क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (जहाँ स्थल बस शेल्टर के आवंटन से सम्बन्धित हो), | सदस्य |
| (10) भारतीय रेल का एक प्रतिनिधि (जहाँ स्थल रेलवे से सम्बन्धित हो), | |
- टिपपणी - नगर आयुक्त, महापौर के परामर्श से किसी एक या एक से अधिक सदस्य को जैसा वह उचित समझे सहयोजित कर सकता है।
समिति द्वारा परिलक्षित स्थलो पर अनुज्ञा प्रदान करने के लिये नगर आयुक्त द्वारा कम से कम दो प्रख्यात दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से

- (3) आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेगे। विज्ञापन मे प्रत्येक प्रस्तावित स्थल के सम्बन्ध में नगर आयुक्त द्वारा न्यूनतम प्रीमियम विनिर्दिष्ट होनी चाहिए।
- (4) स्थलों की पहचान और समिति की संस्तुति के पश्चात् ही विज्ञापनों और विज्ञापन पटों की अनुज्ञा दी जायेगी।
- 4-निषेध
- (1) नगर निगम अधिनियम 1959 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत नगर आयुक्त से पूर्व में लिखित अनुज्ञा प्राप्त किये बिना :कोई व्यक्ति नगर निगम सीमा के भीतर किसी भवन, पुल, मार्ग, फुटपाथ, रेलवे प्रशासन की ऐसी दीवाल या सम्पत्ति की सतह के किसी भाग के जो किसी सड़क के सामने पड़ती हो, उपरिगामी सेतु या मैट्रोरेलवे के पिलर की समस्त संलग्न भूमि या ट्री गार्ड, नगर प्राचीर, बाउण्ड्रीवाल, नगर द्वार, विद्युत या टेलीफोन के खम्भे, चल वाहनों या किसी भी खुले स्थान पर कोई विज्ञापन या किसी प्रकार की सूचना या चित्र, जिससे किसी सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति को विज्ञापन होने का आभास हो, न तो परिनिर्मित करेगा, न प्रदर्शित करेगा, न संप्रदर्शित करेगा, न चिपकायेगा, न लगायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा या न लटकायेगा या न सुनायेगा।
- (2) नगर निगम की सीमाओं के भीतर किसी भूमि या भवन का स्वामी, अध्यासी या अन्यथा अधिभोग करने वाला कोई व्यक्ति नगर आयुक्त की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसी भूमि या भवन के किसी भाग पर कोई विज्ञापन न तो परिनिर्मित करेगा, न प्रदर्शित करेगा, न सम्प्रदर्शित करेगा, न लगायेगा, न चिपकायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा या न लटकायेगा, न सुनायेगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे भवन या भूमि पर कोई विज्ञापन परिनिर्मित करने देगा, न प्रदर्शित, न सम्प्रदर्शित, न लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या न लटकाने देगा, न सुनवाने देगा, यदि ऐसा विज्ञापन किसी सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक मार्ग से दृश्य हो अथवा सार्वजनिक रूप से दृश्य हो।
- (3) कोई विज्ञापन पट इस रीति से प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा कि यातायात के संचालन में अग्र एवं पार्श्व भाग के दर्शित होने में कोई व्यवधान हो।
- (4) कोई विज्ञापन पट, राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के दाहिनी ओर और राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के बायें मार्ग (carriage way), छोर से 10 मीटर के भीतर प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा।
- (5) कोई विज्ञापन पट नियम के अधीन यथा विनिर्दिष्ट मार्गों के सिवाय अन्य मार्गों के छोर के 10 मीटर के भीतर प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा।
- (6) नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 541 के खण्ड 48 के अधीन नगर निगम द्वारा पारित उपविधि का उल्लंघन होता हो।
- (7) विज्ञापन के सम्बन्ध में यदि कोई अवशेष देय हो।
- (8) राष्ट्रीय/राजकीय संग्रहालयों, नेशनल पार्क, धार्मिक स्थल एवं ऐतिहासिक स्थलों पर विज्ञापन पटों को चित्रित करने व लगाने पर पूर्णरूप से प्रतिबन्ध रहेगा।
- 5-विज्ञापनकर्ताओं का
- पंजीकरण एवं
- नवीनीकरण
- (1) पंजीकृत विज्ञापन एजेन्सियाँ ही विज्ञापन हेतु अनुमन्य होगी।
- (2) विज्ञापनकर्ता/विज्ञापन एजेन्सी को 'अ' श्रेणी में पंजीकरण हेतु रू० 50,000.00(पचास हजार) पंजीकरण शुल्क एवं 2,00,000.00 (दो लाख

- (3) रूपये) धरोहर धनराशि, "ब" श्रेणी में पंजीकरण हेतु रू0 30,000.00(तीस हजार) पंजीकरण शुल्क एवं 1,50,000.00(एक लाख पचास हजार रूपये) धरोहर धनराशि, "स" श्रेणी में पंजीकरण हेतु रू0 20,000.00(बीस हजार) पंजीकरण शुल्क एवं 1,00,000.00(एक लाख रूपये) धरोहर धनराशि, "द" श्रेणी में पंजीकरण हेतु रू0 15,000.00(पन्द्रह हजार) पंजीकरण शुल्क एवं 75,000.00(पछत्तर हजार रूपये) धरोहर धनराशि जमा करना होगा।
- (4) पंजीकरण/नवीनीकरण कराने हेतु प्रत्येक आवेदन अनुसूची-3 में विनिर्दिष्ट चिन्हित प्रपत्र में किया जायेगा जिसे रू0 500/- भुगतान करके नगर निगम कानपुर के विज्ञापन विभाग से प्राप्त किया जायेगा या निगम के वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है, तथापि आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन पत्र के मूल्य की रसीद आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगी।
- पंजीकरण का नवीनीकरण वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से प्रारम्भ होने के साथ 07 दिन के भीतर करना अनिवार्य होगा। नवीनीकरण शुल्क "ए" श्रेणी हेतु रू0 30,000/-, "बी" श्रेणी हेतु रू0 20,000/- एवं "सी" श्रेणी हेतु रू0 10,000/- व "द" श्रेणी हेतु 5000/- होगा। "ए" श्रेणी में पंजीकृत विज्ञापनकर्ता / एजेन्सी ही नीलामी / निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अर्ह होगी।
- 5(ब)-अनुज्ञा प्राप्त करने की प्रक्रिया
- (1) अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट चिन्हित प्रपत्र में किया जायेगा जिसे रू0 1000/- भुगतान करके नगर निगम कानपुर के विज्ञापन विभाग से प्राप्त किया जायेगा या निगम के वेबसाइट से डाउनलोड भी किया जा सकता है तथा आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन पत्र के मूल्य की रसीद आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएगी।
- (2) उपनियम-(1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन पत्र में ऐसी भूमि, भवन या स्थान के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना निहित होगी, जहाँ ऐसी भूमि, भवन या स्थान के पास प्रस्तावित विज्ञापन या विज्ञापन पट पर निर्मित किया जाना, प्रदर्शित किया जाना, सम्प्रदर्शित किया जाना, लगाया जाना, चिपकाया जाना, उद्घोषित किया जाना-वाँछित हो और उसमें निम्नलिखित सूचना सम्मिलित होगी।
- (क) प्रत्येक भू-विज्ञापन पट्ट की भूमितल से ऊँचाई, अवस्थिति, ढाँचे की बनावट आदि की विशिष्टियों को आवंटन समिति द्वारा तय किया जाएगा और उसी के अनुरूप आवश्यक अभिकल्प संगणना आवेदन पत्र में प्रस्तुत की जाएगी।
- (ख) पूर्ववर्ती विज्ञापनों के अतिरिक्त छत-विज्ञापनों, प्रक्षिप्त विज्ञापनों या भू-विज्ञापनों के मामले में सहायक क्रिया विधियाँ और स्थिरक-स्थानों के समस्त घटक और यदि नगर आयुक्त द्वारा अपेक्षित, हो तो आवश्यक अभिकल्प संगणनाएं आवेदन पत्र में प्रस्तुत की जायेगी,
- (ग) कोई अन्य विशिष्टियाँ, जो नगर आयुक्त द्वारा अपेक्षित हो,
- (घ) गुब्बारा विज्ञापनों के मामले में नगर आयुक्त द्वारा यथा अपेक्षित आवश्यक सूचना उपलब्ध करायी जाएगी।
- (3) यदि विज्ञापन किसी सार्वजनिक मार्ग के पार्श्व भाग पर या किसी निजी परिसर में कोई संरचना लगाकर प्रदर्शित किया जाना या सम्प्रदर्शित किया जाना वाँछित हो तो ऐसे आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित विवरण भी प्रस्तुत किया जायेगा-

(क) विज्ञापन और प्रस्तावित संरचना के आकार का विवरण,

(ख) नगर आयुक्त द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित संरचना अभियंता से सम्बन्धित भवन की सुदृढ़ता सम्बन्धी रिपोर्ट।

(ग) भू/भवन स्वामी की सहमति का अनुबन्ध- पत्र, आवेदन, आवश्यक चित्रों और संरचना-संगणनाओं सहित नगर आयुक्त द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित संरचना अभियंता के माध्यम से किया जायेगा। अभिकल्प संगणनाओं में लिया गया वायुमार राष्ट्रीय भवन संहिता-2005 के "संरचना अभिकल्प धारा-1 भार, बल और प्रभाव के भाग-4 अनुसार होगा।

(घ) विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद का अनापत्ति प्रमाण पत्र।

(ङ) भू/भवन स्वामी की जमीन व भवनों के ऊपर अगर कोई विज्ञापनपट प्रदर्शित करता है तो उस भूमि/भवन को व्यवसायिक (कामर्शियल) श्रेणी माना जायेगा, उस पर गृह कर/जल कर व्यवसायिक (कामर्शियल) दर के आधार पर जमा रशीद पंजीकरण फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

- (4) यदि विज्ञापन या विज्ञापन पट किसी निजी भूमि या भवन या उसके किसी भाग पर परिनिर्मित किया जाना, प्रदर्शित किया जाना, लगाया जाना, चिपकाया जाना, लिखा जाना, चित्रित किया जाना या लटकाया जाना वाँछित हो और आवेदक ऐसी भूमि या भवन का स्वामी न हो तो आवेदन पत्र में ऐसी भूमि या भवन के स्वामी की लिखित अनुज्ञा/निष्पादित अनुबन्ध की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (5) उपनियम (4) में निर्दिष्ट भूमि या भवन के प्रत्येक स्वामी को लिखित रूप में वचन देना होगा कि किसी व्यतिक्रम की स्थिति में वह विज्ञापनकर्ता हेतु देय अनुज्ञा शुल्क का भुगतान करने के लिए दायी होगा। नगर आयुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को विज्ञापन पट हटाने हेतु परिसर में प्रवेश का अधिकार होगा।
- (6) यदि भूमि का कोई स्वामी अपनी निजी भूमि पर विज्ञापन सम्प्रदर्शित करना चाहें तो उसे आवेदन पत्र के साथ विस्तृत सूचना प्रस्तुत करनी होगी और इस उपविधि के अधीन अनुज्ञा लेनी होगी।
- (7) यदि कोई व्यक्ति ट्री-गार्ड/फलावर पॉट को परिनिर्मित करने की अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे ट्री-गार्ड/फलावर पॉट पर कोई विज्ञापन प्रदर्शित या सम्प्रदर्शित करता है तो वह इस उपविधि के अधीन अनुज्ञा शुल्क भुगतान करने का दायी होगा।
- (8) अनुज्ञा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये प्रदान की जायेगी जो नगर आयुक्त द्वारा लोक सुरक्षा, सडक यातायात सुरक्षा और शिष्टाचार के हित में अधिरोपित की जायेगी।
- (9) प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित सम्पूर्ण प्रीमियम अथवा नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रथम किश्त की धनराशि संलग्न करनी होगी, परन्तु यह कि प्रीमियम की अवशेष धनराशि नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर जमा करना होगी।
- (1) किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, सम्प्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने, उद्घोषित करने की अनुज्ञा निम्नलिखित निबन्धन एवं शर्तों पर प्रदान की जायेगी कि-

6-क अनुज्ञा प्रदान
करने की शर्तें

- (क) अनुज्ञा केवल उस अवधि तक के लिए प्रभावी होगी जिस अवधि के लिए प्रदान की गयी हो, परन्तु यह कि अनुज्ञा शुल्क या प्रीमियम सहित अनुज्ञा शुल्क, इस उपविधि के अनुसार नगर निगम निधि में संदत्त और जमा किया गया हो।
- (ख) विज्ञापन या विज्ञापन पट पर ऐसे रंगों और आकारों में लिखा जायेगा, चिपकाया जाएगा, समुद्धृत किया जाएगा, चित्रित किया जाएगा जैसा कि नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जाये और विज्ञापन पट्ट, चाहे भूमि पर या भवन पर प्रतिष्ठापित किया गया हो, की ऊँचाई 6.2 मीटर व चौड़ाई 12.2 मीटर से अधिक नहीं होगी। दो सन्निकट विज्ञापन पट्टों के मध्य की दूरी 10 मीटर से कम नहीं होगी। गैन्ट्री, कैंन्टीलीवर एवं यूनीपोल लगाए जाने की दशा में दोनों के मध्य की दूरी 25 मीटर से कम नहीं होगी,
- (ग) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को समुचित दशाओं में रखा एवं अनुरक्षित किया जायेगा,
- (घ) प्रदान की गयी अनुज्ञा अन्तरणीय नहीं होगी,
- (ङ) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट की विषय वस्तु या उसका विवरण में नगर आयुक्त की लिखित अनुज्ञा के बिना परिवर्तन नहीं किया जाएगा,
- (च) विज्ञापनकर्ता ऐसी अवधि जिसके लिए अनुज्ञा दी गयी थी, की समाप्ति से एक सप्ताह के भीतर विज्ञापन को हटा देंगे या उसे मिटा देंगे,
- (छ) विज्ञापन बोर्ड या विज्ञापन पट्ट अनुज्ञात स्थान पर ही प्रतिष्ठापित किये जायेंगे, सम्प्रदर्शित किये जायेंगे या परिनिर्मित किये जायेंगे,
- (ज) मार्ग/फुटपाथ के लिए खुली छोड़ी गई भूमि पैदल चलने वालों, साइकिल वालों आदि के लिए सुरक्षित रूप में चलने के लिए उपलब्ध रहेगी,
- (झ) भवनों, यदि कोई हो, जो प्रतीकों और विज्ञापन पट्टों के समीप स्थित हो, के प्रकाश और वातायन किसी भी रूप में बाधित नहीं होंगे,
- (ञ) लोकहित में नगर आयुक्त को यह अधिकार होगा कि वह अवधि समाप्त होने के पूर्व भी अनुज्ञापत्र को निलम्बित कर दे जिसके पश्चात् विज्ञापनकर्ता विज्ञापनों को हटा देगा,
- (ट) विज्ञापनकर्ता को इस उपविधि और नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित उपविधि का अनुपालन करना होगा,
- (ठ) विज्ञापनों से अवस्थान का कलात्मक सौन्दर्य नष्ट नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार के विज्ञापन हेतु पर्यावरण विभाग द्वारा प्रतिबन्धित प्लास्टिक का प्रयोग निषिद्ध होगा,
- (ड) भवन से सम्बन्धित विज्ञापन पट्टों से भिन्न विज्ञापन पट्ट ऐसे भवनों जो नेशनल पार्क, चिकित्सालयों, शैक्षिक संस्थानों, न्यायालयों, सार्वजनिक कार्यालयों, एतिहासिक स्थलों, संग्रहालयों, धार्मिक पूजा स्थलों के निमित्त अर्पित भवनों और राष्ट्रीय महत्व के भवनों के समक्ष प्रदर्शित करने की अनुज्ञा नहीं होगी,
- (ढ) विज्ञापन पट्टों का अनुरक्षण और निरीक्षण तथा उनके अवलम्ब नियम 24 के अनुसार होंगे,
- (ण) समस्त विज्ञापन नियम 17 "समस्त विज्ञापनों के लिए सामान्य अपेक्षाएँ" में दी गयी सामान्य अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे,

(त) विज्ञापन को वृक्षों या काष्ठमय पेड़ पौधे में गाड़ा, बाँधा नहीं जायेगा।

(थ) नगर निगम सीमान्तर्गत विज्ञापनकर्ताओं द्वारा लगाये गए विज्ञापनपट पर पेण्टर/मुद्रणालय का नाम/फर्म का नाम व पेण्टर द्वारा नगर निगम कानपुर में अपनी फर्म के कराए गए रजिस्ट्रेशन का नम्बर, पता व मोबाइल नम्बर अंकित करना अनिवार्य होगा।

(द) नगर निगम सीमान्तर्गत भारतीय रेलवे/मैट्रो रेलवे लाइन की बाउण्ड्री एवं पिलर पर विज्ञापनपट द्वारा प्रदर्शन किया जाता है तो नगर आयुक्त द्वारा अनुमति के पश्चात निर्धारित अनुज्ञा शुल्क जमा किया जाना आवश्यक होगा।

(2) नगर आयुक्त द्वारा प्रदान की गयी लिखित अनुज्ञा या उनका नवीनीकरण तत्काल स्वतः समाप्त हो जाएगा,

(क) यदि कोई विज्ञापन या उसका कोई भाग किसी दुर्घटना या किन्हीं अन्य कारणों से गिर जाता है,

(ख) यदि कोई परिवर्द्धन, उसे सुरक्षित रखने के प्रयोजन को छोड़कर नगर आयुक्त के निर्देश के अधीन किया जाता है,

(ग) यदि विज्ञापन पट या उसके भाग में कोई परिवर्तन किया जाता है,

(घ) यदि उस भवन या संरचनाओं में कोई परिवर्द्धन या परिवर्तन किया जाता है जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन परिनिर्मित किया गया हो और यदि ऐसे परिवर्द्धन या परिवर्तन में विज्ञापन पट्ट या उसके किसी भाग का व्यवधान सम्मिलित है, या

(ङ) यदि ऐसा भवन या संरचना, जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित, नियत या अवरुद्ध हो, भंजित या नष्ट हो जाती है।

प्रीमियम 6-ख

(1) नगर आयुक्त प्रत्येक स्थल के लिये स्थल के महत्व के अनुसार न्यूनतम प्रीमियम की धनराशि नियत करेगा,

(2) मुहरबन्द लिफाफे में प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिए न्यूनतम सात दिन का समय दिया जायेगा।

(3) प्रस्ताव के साथ उसमें उल्लिखित न्यूनतम प्रीमियम की पूर्ण धनराशि अथवा 50 प्रतिशत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/ बैंक चेक संलग्न होनी चाहिए। प्रीमियम की शेष धनराशि प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात् नगर आयुक्त द्वारा यथा निर्दिष्ट अवधि के अंदर जमा करनी होगी।

7-आवंटन समिति

(1) नगर आयुक्त की अध्यक्षता में नगर निगम में एक आवंटन समिति गठित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे—

(एक) नगर आयुक्त द्वारा नामित अपर नगर आयुक्त सदस्य

(दो) निगम का मुख्य कर निर्धारण अधिकारी

(तीन) निगम में तैनात यातायात सेल (ट्रैफिक सेल सदस्य

का अभियन्ता) सदस्य

(चार) प्रभारी अधिकारी, विज्ञापन एवं विज्ञापन सदस्य—सचिव

पट्ट जो सहायक नगर आयुक्त/कर निर्धारण अधिकारी की श्रेणी से भिन्न न हो

टिप्पणी: नगर आयुक्त, महापौर के परामर्श से एक या एक से अधिक सदस्य सहयोजित कर सकते हैं

- जैसा वह उचित समझे।
- (2) (एक) समिति सार्वजनिक भूमि/नगर निगम में निहित भूमि (गली, फुटपाथ, डिवाइडर, तिराहा, चौराहा, आईलैण्ड पार्क, या कोई सार्वजनिक स्थल) पर स्ट्रक्चर निर्मित करने हेतु उस स्थल के व्यावसायिक महत्व एवं उस स्थल के माध्यम से होकर गुजरने वाले व्यक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रीमियम की न्यूनतम धनराशि निर्धारित करेगी।
- (दो) समिति इस उपविधि में विनिर्दिष्ट प्रतिमानों के अनुसार आवेदन पत्रों, निविदाओं प्रस्तावों की संवीक्षा करेगी और तदनुसार अनुमोदित करेगी।
- (3) नियम-26 के अधीन अनुज्ञा शुल्क सहित प्रीमियम की पूर्ण प्रस्तावित धनराशि जमा करने के पश्चात् उच्चतम प्रस्ताव करने वाले आवेदक को अनुज्ञा प्रदान करेगी। किसी विज्ञापन स्थल के लिये एक से अधिक समान प्रीमियम की धनराशि के प्रस्ताव प्राप्त होने पर सभी समान दर उद्धृत करने वाले आवेदकों से पुनः मोहर बन्द प्रस्ताव आमंत्रित करके, उच्चतम प्रस्ताव करने वाले आवेदक को अनुज्ञा प्रदान की जायेगी।
- (4) सदस्य, सचिव समिति द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित अनुज्ञा आदेश जारी करेगा।
- (5) विज्ञापनकर्ता द्वारा निगम में अनुमोदित प्रीमियम की धनराशि अथवा नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रथम किस्त की धनराशि एवं विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क की धनराशि जमा करने के पश्चात् ही उसे अनुज्ञा आदेश जारी किया जायेगा।
- (6) यदि उच्चतम प्रीमियम प्रस्तावित करने वाला आवेदक किन्हीं कारणों से अनुमोदित प्रीमियम एवं विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क की धनराशि जमा नहीं करता है और निविदा से अपना प्रस्ताव वापस लेता है तो उसके द्वारा नीलामी/निविदा के लिए जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जाएगी।
- (7) विस्तृत सूचना, अनुदेश और निबंधन एवं शर्तें अनुज्ञा आदेश में उल्लिखित की जाएगी।
- (8) विज्ञापन (यथा—होर्डिंग, यूनीपोल, बस शेल्टर, गैन्ट्री इत्यादि) के लिए प्रत्येक स्थल की नीलामी या निविदा एवं विद्युत, टेलीफोन खम्भों, ट्री-गार्ड/फ्लावर पॉट पर विज्ञापन की नीलामी/निविदा एक ही रूप में उपर्युक्त रीति से की जाएगी।
- (9) यदि कोई विज्ञापन निजी भूमि या भवन पर सम्प्रदर्शित किया जाना वाँछनीय हो तो अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट वार्षिक विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क विज्ञापनकर्ता द्वारा संदेय होगा।
- (10) यदि विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी सार्वजनिक मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग को छोड़कर जहाँ इसकी अनुज्ञा न हो) या इससे संलग्न भूमि या किसी सार्वजनिक स्थान विद्युत या टेलीफोन खम्भों या ट्री-गार्ड या चहारदीवारी पर सम्प्रदर्शित किया जाना, परिनिर्मित किया जाना या प्रदर्शित किया जाना हो, तो अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट वार्षिक अनुज्ञा शुल्क, उच्चतम प्रीमियम की धनराशि आवेदक द्वारा संदेय होगी।
- नियम-4 के अधीन अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र निम्नलिखित किसी एक या उससे अधिक आधारों पर अस्वीकृत किया

जा सकता है यह कि:-

- (क) आवेदन पत्र में अपेक्षित सूचना और विवरण अन्तर्विष्ट न हो या वह इस उपविधि के अनुरूप न हो,
- (ख) प्रस्तावित विज्ञापन अशिष्ट, अश्लील, घृणास्पद, वीभत्स या आपत्तिजनक प्रकृति का, या नगर निगम के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या राजनैतिक अभियान को उकसाने वाला या जनता अथवा किसी विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों हेतु अनिष्टकर या क्षतिकारक प्रभाव डालने वाली प्रकृति का हो या ऐसे स्थान पर ऐसी रीति से या किसी ऐसे माध्यम से सम्प्रदर्शित हो, जैसा कि नगर आयुक्त की राय में उसमें किसी पड़ोस की सुविधाओं पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ने या विकृत होने की सम्भावना हो या इसमें आपत्तिजनक लेख या अश्लील, नग्न रेखाचित्र या चित्र या मदोन्मत्तता का कोई प्रतीक अन्तर्विष्ट हो।
- (ग) प्रस्तावित विज्ञापन से लोक शान्ति या प्रशान्ति भंग उत्पन्न होने की सम्भावना हो या लोकनीति और एकता के विरुद्ध हो,
- (घ) प्रस्तावित विज्ञापन से तूफान या अंधड़ के दौरान जीवन या सम्पत्ति के लिए क्षति उत्पन्न होने की सम्भावना हो,
- (ङ) प्रस्तावित विज्ञापन से यातायात में अशांति या खतरा उत्पन्न होने की सम्भावना हो,
- (च) प्रस्तावित विज्ञापन स्थल तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों से असंगत हो।
- (छ) विज्ञापन या विज्ञापन पट किसी भूमि या भवन पर परिनिर्मित किया जाना या सम्प्रदर्शित किया जाना वाँछनीय हो और ऐसी भूमि या भवन के सम्बन्ध में धारा-172 में निर्दिष्ट सम्पत्ति कर आवेदन करने के दिनोंक को असंदत्त हो।
- (ज) तम्बाकू से निर्मित पदार्थ सिगरेट इत्यादि के सेवन को प्रोत्साहित करने वाला हो
- (झ) अन्य कोई कारण जिसे नगर आयुक्त नगर निगम के हित व जनहित में उचित समझे।
- (ञ) विज्ञापन या विज्ञापनपट पर पेण्टर/मुद्रणालय का नाम/फर्म का नाम व पेण्टर द्वारा नगर निगम कानपुर में अपनी फर्म के कराए गए रजिस्ट्रेशन का नम्बर, पता व मोबाइल नम्बर अंकित करना अनिवार्य होगा।

9-अनुज्ञा प्रदान करने की
रीति

किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, सम्प्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने चित्रित करने या लटकाने हेतु आवंटन समिति की संस्तुति पर निम्नलिखित एक या उससे अधिक रीति से अनुज्ञा प्रदान करना नगर आयुक्त के लिए विधि सम्मत होगा-

- (एक) सार्वजनिक नीलामी द्वारा,
- (दो) निविदा आमंत्रित करने के द्वारा
- (तीन) निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अधीन पूर्व में प्रदान की गई अनुज्ञा के नवीनीकरण द्वारा किन्तु अनुज्ञा किसी भी दशा में नहीं दी जायेगी जिससे यातायात एवं फुटपाथ पर पैदल चलने में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न हों।
- (चार) निजी स्थल/भवन पर विज्ञापन की अनुमति परिसर के मालिक की सहमति पर इस नियम के अन्य उपबन्धों के अधीन दी जा सकती

हैं, एवं निजी स्थल/भवन स्वामी व विज्ञापनकर्ता द्वारा निर्धारित अवधि का आपकी सहमति नोटरी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही निजी भूमि/भवन का व्यवसायिक (कामशियल) गृहकर/जलकर वर्तमान वित्तीय वर्ष (01 अप्रैल से 31 मार्च तक) की जमा रशीद फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(पाँच) विज्ञापन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर अनुज्ञा व नवीनीकरण के लिये आवेदन पत्रों के लिये अधिकतम 15 दिनों के अन्दर निर्णय लेकर विज्ञापनकर्ता को सूचित किया जायेगा यदि नीलामी/निविदा के माध्यम से अनुज्ञा प्रदान किया जाना है तो नीलामी/निविदा की तिथि से 15 दिनों के अन्दर निर्णय लेकर नीलामी/निविदा में भाग लेने वाले विज्ञापनकर्ताओं सूचित किया जायेगा।

10-अनुज्ञा की अवधि

अनुज्ञा, की अवधि वही होगी जो अनुज्ञा पत्र में विनिर्दिष्ट है। वार्षिक अनुज्ञा, अनुज्ञा के दिनांक से एक वर्ष की अधिकतम अवधि या उस वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक, जिसमें अनुज्ञा स्वीकार की गयी, इनमें जो भी पहले हो, होगी।

11- अनुज्ञा का नवीनीकरण

नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रीमियम/नवीनीकरण शुल्क एवं सम्पूर्ण विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क जमा करने के पश्चात अनुज्ञा का नवीनीकरण नियम 5(3)(4) के अधीन किया जा सकता है। इसके लिये विज्ञापनकर्ता को अनुसूची-1 के रूप में संलग्न विहित प्रारूप पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। अनुज्ञा के नवीनीकरण होने के पश्चात देय प्रीमियम/नवीनीकरण शुल्क एवं विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क जमा करना होगा।

12-विज्ञापन या विज्ञापन पट हटाने की शक्ति

(1)

यदि कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट इस उपविधि के उल्लंघन में परिनिर्मित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, सम्प्रदर्शित किया जाता है, लगाया जाता है, चिपकाया जाता है, लिखा जाता है, चित्रित किया जाता है या लटकाया जाता है या लोक सुरक्षा के लिए परिसंकटमय या खतरनाक हो या वह सुरक्षित यातायात संचालन हेतु अशान्ति का कारण हो तो नगर आयुक्त, विज्ञापनकर्ता को किसी नोटिस के बिना उसे हटवा सकती है या मिटा सकती है और जमा प्रतिभूति से निम्नलिखित धनराशियों की वसूली कर सकती है:-

(क) इस प्रकार हटाये जाने या मिटाये जाने का व्यय, और

(ख) ऐसी अवधि, जिसके दौरान ऐसा विज्ञापन या विज्ञापनपट ऐसे उल्लंघन में परिनिर्मित किया गया था, प्रदर्शित किया गया था, सम्प्रदर्शित किया गया था, लगाया गया था, चिपकाया गया था, लिखा गया था, चित्रित किया गया था या लटकाया गया था, के लिए क्षतियों की धनराशि।

(2)

जब कभी कोई विज्ञापन नगर आयुक्त द्वारा किसी नोटिस या आदेश या अन्यथा के परिणाम स्वरूप हटाया जाता है तब ऐसे भवन या स्थल, जिस पर या जिससे ऐसा विज्ञापन सम्प्रदर्शित किया गया था, में किसी क्षति या विकृति को नगर आयुक्त के समाधान पर्यन्त ठीक किया जायेगा। यदि विज्ञापन हटाये जाने के दौरान मार्ग /सड़क/फुटपाथ यातायात संकेतक या कोई अन्य लोक उपयोगिता की सेवाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो विज्ञापनकर्ता से वसूल की गयी धनराशि को निगम द्वारा सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर दिया जाना चाहिए।

13-विज्ञापन पर निर्बन्धन

(1)

किसी संविदा या करार में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट परिनिर्मित नहीं किया जायेगा,

प्रदर्शित नहीं किया जायेगा, सम्प्रदर्शित नहीं किया जायेगा, लगाया नहीं जायेगा, चिपकाया नहीं जायेगा, लिखा नहीं जायेगा, चित्रित नहीं किया जायेगा या लटकाया नहीं जायेगा, यदि—

(एक) यह आकार में 12.2 मीटर x 6.2 मीटर से अधिक हो और इसका तल आधार भूतल से ऊपर 02मी0 से कम हो,

(दो) यह किसी मार्ग, मार्ग संधियों या सेतुओं के अनुप्रस्थ भाग के मध्य से होते हुए मार्ग से मापे गये 20 मीटर के अन्तर्गत किसी स्थान पर अवस्थित हो,

(तीन) यह मार्ग के समानान्तर न हो या इससे यानीय (वाहन) या पैदल चलने वाले यातायात में बाधा उत्पन्न होती हो या बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना हो,

(चार) समिति की राय में प्रस्तावित स्थल विज्ञापन या विज्ञापन पट के लिए अनुपयुक्त हो,

(पाँच) यह मार्ग के आर पार एवं मार्ग पटरी/पगडण्डी पर रखा गया हो,

(छ) यह किसी निजी परिसर के बहार क्षेपित हो जिस पर यह इस प्रकार परनिर्मित, प्रदर्शित या संप्रदर्शित हो।

(सात) यह ऐतिहासिक या राष्ट्रीय स्मारकों सार्वजनिक भवनों और दीवारों, चिकित्सालयों, शैक्षणिक संस्थाओं, संग्रहालयों, नेशनल पार्क न्यायालयों, सार्वजनिक कार्यालयों और पूजा स्थलों के चारों ओर अवस्थित हो

(आठ) स्थल नियम-22 के अधीन इस प्रयोजनार्थ निगम या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर पड़ता हो,

(नौ) जर्जर स्थिति में हो जिसके आँधी-पानी (बरसात) में गिरने की सम्भावना हो,

(2) विज्ञापनों और विज्ञापन पटों को निम्नलिखित रूप में अनुज्ञा नहीं दी जाएगी—

(एक) ऐसी रीति से और ऐसे स्थानों पर जिससे कि यातायात के पहुँचने, संविलीन होने या प्रतिच्छेदित होने की दृश्यता में बाधा या व्यवधान उत्पन्न होता हो,

(दो) राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के दायीं ओर मार्ग के भीतर और राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के पड़ने वाले मोड़ के 10 मीटर के भीतर, एवं समस्त प्रमुख चौराहों की दूरी 30 मीटर के भीतर

(तीन) किसी लोक प्राधिकरण यथा यातायात प्राधिकरण, लोक परिवहन प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण या लोक निर्माण विभाग या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के आदेशों के अधीन मार्ग से होते हुए यातायात के विनियमन के लिए परिनिर्मित किसी साइन बोर्ड के 50 मीटर के भीतर,

(चार) ऐसे रूप में जिससे लोक प्राधिकरणों द्वारा यातायात नियंत्रण के लिए परिनिर्मित किसी चिन्ह, संकेतक या अन्य युक्ति के निर्वचन में

विध्न व्यवधान उत्पन्न हो,

(पाँच) किसी मार्ग के पार लटकाए गये पटो, भित्ति पत्रकों, वस्त्र-झण्डियों या पत्रक पर जिनसे चालक का ध्यान विचलित होता हो, और इसलिए परिसंकटमय हो

(छः) ऐसे रूप में जिससे पैदल चलने वालों के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न हो और चौराहे पर उनकी दृश्यता बाधित हो,

(सात) जब इनसे स्थानीय व जन सुविधायें प्रभावित हो।

(आठ) प्रतिबन्धित क्षेत्र में डिवाइडर जो हाइटेशन लाइन के नीचे, पार्क, ग्रीन बेल्ट आदि स्थानों पर बैनर क्यास्क, यूनीपोल, विज्ञापनपट को निर्बन्धित करते हुए मोतीझील परिसर में धार्मिक कार्यों को छोड़कर प्रतिबन्धित क्षेत्र होगा।

(3) (एक) निजी भवनों पर पोस्टर चिपकाने अथवा वॉल राइटिंग के पूर्व भवन स्वामी की लिखित अनुमति आवश्यक होगी। सार्वजनिक भवनो, दिशा-शूचकों और महत्व सूचनाओं/नोटिस वाले विज्ञापन-पटो पर पोस्टर लगाना अथवा कुछ लिखना पूर्णतः प्रतिबन्धित एवं दण्डनीय अपराध होगा।

(दो) सड़क पर कास बैनर पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा,

(तीन) गैन्ट्री प्रतीक के लिए यह आवश्यक होगा कि गैन्ट्री के दोनों छोरों पर स्थान बोधक, दिशासूचक शब्द एवं दूरी का उल्लेख किया जाय जो विज्ञापन के कुल आकार का न्यूनतम 30 प्रतिशत से कम नहीं होगा। गैन्ट्री की सड़क से न्यूनतम ऊँचाई इस प्रकार रखी जायेगी कि समान लदा हुआ भारी ट्रक नीचे से आसानी से गुजर सके, दो गैन्ट्री, कैन्टीलीवर एवं यूनीपोल के मध्य की दूरी 25 मीटर होना अनिवार्य होगा,

(चार) फलावर पॉट में मौसमी पुष्पों वाले पौधे ही लगाए जा सकेंगे। कैक्टस वाले फलावर पॉट अनुमन्य नहीं होंगे,

(पाँच) सड़क के किनारे अथवा डिवाइडर पर लगे किसी भी बड़े वृक्ष जो स्वावलम्बी हो चुके हैं एवं बड़े वृक्ष के नीचे ट्री-गार्ड/फलावर पॉट लगाकर विज्ञापन प्रदर्शित किया जाना निषिद्ध होगा,

(छः) किसी भी पोल पर अधिकतम दो कियोस्क जिनके पार्श्व भाग आपस में इस प्रकार सटे होंगे जिसमें एक दिशा से एक ही कियोस्क दृश्य होगा, अनुमन्य होंगे।

(4) निम्नलिखित प्रकार के प्रदीप्त विज्ञापनों और विज्ञापन पटों की अनुज्ञा नहीं होगी—

(एक) ऐसी सघनता या चमक वाले प्रदीप्त विज्ञापन पट जिससे चौंध उत्पन्न हो या चालक अथवा पैदल चलने वालों की दृष्टि बाधित होती हो, या जिससे किसी चालन क्रिया में विध्न पड़ता हो,

(दो) विज्ञापन और विज्ञापन पट, जो इस रूप में प्रदीप्त हों जिससे कि किसी शासकीय यातायात विज्ञापन पट, युक्ति या संकेतक का प्रभाव बाधित होता हो या क्षीण होता हो।

14-छत के ऊपर के
विज्ञापन पटों के
सम्बन्ध में निर्बन्धन

(1)

किसी भवन की छत पर परिनिर्मित, प्रदर्शित या सम्प्रदर्शित किये जाने वाले विज्ञापनों या विज्ञापन पटों के मामले में केवल प्लास्टिक की विनायल या वस्त्र पत्रक ही अनुमन्य है,

(2)

नियम-6 और नियम-13 के अधीन रहते हुए किसी भवन की छत पर विज्ञापन या विज्ञापन पट की ऊँचाई, अधिकतम 6.2 मीटर व चौड़ाई 12.2 मीटर से अधिक नहीं होगी और चौड़ाई किसी भी दशा में भवन की क्षैतिज चौड़ाई से अधिक नहीं होगी।

(3)

15- विज्ञापन पटों
का प्रकार

निजी स्थल/भवनों की छतों के ऊपर विज्ञापनपट लगाए जाने की अनुमति भवन स्वामी व विज्ञापनकर्ता द्वारा निर्धारित अवधि का आपकी सहमति नोटरी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही निजी भूमि/भवन का व्यवसायिक (कामर्शियल) गृहकर/जलकर वर्तमान वित्तीय वर्ष (01 अप्रैल से 31 मार्च तक) की जमा रशीद फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

1. विज्ञापन पट निम्नलिखित प्रकार के होंगे:-

क) वैद्युत और प्रदीप्त विज्ञापन, /वैद्युत, डिजिटल विज्ञापन

(ख) एल०ई०डी० स्क्रीन

(ग) भू-विज्ञापन,

(घ) छत विज्ञापन,

(ङ) बरामदा विज्ञापन, /दुकान विज्ञापन

(च) दीवार विज्ञापन,

(छ) प्रक्षिप्त विज्ञापन,

(ज) शामियाना विज्ञापन

(झ) आकाशीय विज्ञापन

(ञ) विविध और अस्थायी विज्ञापन,

(ट) ट्रैफिक /पुलिस बूथ अथवा ट्रैफिक आईलैण्ड विज्ञापन

(ठ) जनसुविधा स्थान पर विज्ञापन

(ड) विशेष प्रकार की छतरी विज्ञापन

(ढ) पताका / झण्डी विज्ञापन, द्वार विज्ञापन, गुब्बारा विज्ञापन,

(ण) ट्री गार्ड / फलावर पॉट डिस्प्ले

(त) गैन्ट्री विज्ञापन,

(थ) बिल्डिंग ग्लास, फसाडवॉल रैप, वाटर टैक विज्ञापन

(द) फुट ओवरब्रिज

क- वैद्युत विज्ञापन और प्रदीप्त विज्ञापन

- क-1 वैद्युत विज्ञापन की सामग्री, जहाँ प्रतीक पूर्णतः पुंज प्रकाश युक्त विज्ञापन हो, उसे छोड़कर प्रत्येक वैद्युत विज्ञापन अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा।
- क-2 **वैद्युत विज्ञापनों और प्रदीप्त विज्ञापनों का स्थापन-**
प्रत्येक वैद्युत विज्ञापन और प्रदीप्त विज्ञापन को राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 भाग-8, भवन सेवायें, धारा-2 विद्युत एवं समवर्गी स्थापन, के अनुसार स्थापित किया जायेगा।
- क-3 लाल, तृणमणि जैसा या हरे रंग में कोई प्रदीप्त विज्ञापन, किसी प्रदीप्त यातायात विज्ञापन के 10 मीटर की क्षैतिज दूरी के भीतर परिनिर्मित या अनुरक्षित नहीं किया जायेगा।
- क-4 दो मंजिल से कम की ऊँचाई पर या पगडण्डी से 6.2 मीटर ऊपर जो भी अधिक हो, पर सफेद प्रकाश से भिन्न प्रकाश द्वारा प्रदीप्त समस्त विज्ञापन पट समुचित रूप से प्रदर्शित किये जायेंगे जिससे कि यातायात के नियंत्रण में विज्ञापन पट या संकेतक से होने वाले किसी प्रकार के व्यवधान को सन्तोषजनक रूप में रोका जा सके।
- क-5 **गहन प्रदीप्त-**
कोई व्यक्ति ऐसा कोई विज्ञापन परिनिर्मित नहीं करेगा जो ऐसे गहन प्रदीप्त का हो जिससे कि संलग्न या समीपवर्ती भवनों के निवासियों को व्यवधान उत्पन्न हो। ऐसे परिनिर्माण के लिए दी गयी किसी अनुज्ञा के होते हुये भी किसी ऐसे विज्ञापन, जो परिनिर्माण के पश्चात् नगर आयुक्त की राय में ऐसी गहन प्रदीप्त का हो जिससे कि संलग्न या निकट के भवनों के अध्यासियों को व्यवधान उत्पन्न हो, को नगर आयुक्त के आदेश के आधार पर सम्बन्धित स्थल के स्वामी द्वारा ऐसी युक्ति युक्त अवधि, जैसा कि नगर आयुक्त विनिर्दिष्ट करें, के भीतर समुचित रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा या उसे हटा दिया जायेगा।
- क-6 **परिवर्तन अवधि-**
नगर आयुक्त की राय में, जन सुख सुविधा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के हित में, आवश्यक विज्ञापन से भिन्न कोई वैद्युत विज्ञापन, मध्यरात्रि और सूर्योदय के मध्य प्रचलित नहीं किया जायेगा।
- क-7 **चौधने वाला, ओझल करने वाला और जीवंतता प्रदान करने वाला-**
कोई चौधने वाला, ओझल करने वाला और जीवंतता परक विज्ञापन पट्टिका, जिसकी बारम्बारता प्रति मिनट 30 चौध से अधिक हो, इस प्रकार परिनिर्मित की जाएगी कि ऐसे विज्ञापन पट्टों का न्यूनतम छोर भूतल से 9 मीटर से ऊपर से कम न

हो।

क-8 विमानपत्तनों के निकट प्रदीप्त विज्ञापनों के लिए विमानपत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाना चाहिए।

ख-भू विज्ञापन

ख-1 सामग्री-

ढाँचों, अवलम्बों और पट्टी सहित 06 मीटर से अधिक ऊँचाई वाला प्रत्येक भू-विज्ञापन, नियम-16 के उपनियम (4) में दी गयी सामग्री को छोड़कर अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जायेगा।

ख-2 आयाम-

कोई भी भू विज्ञापन भूमि के ऊपर 06 मीटर से अधिक की ऊँचाई में परिनिर्मित नहीं किया जायेगा। प्रकाश परावर्तन विज्ञापन के अग्रभाग या मुख्य भाग के ऊपर जा सकता है।

ख-3 अवलम्ब और स्थिरक स्थान-

प्रत्येक भू-विज्ञापन को भूमि पर दृढ़तापूर्वक अवलम्बित और स्थिर किया जाएगा। अवलम्ब और स्थिरक, सुसाध्यतानुसार संसाधित काष्ठ के होंगे या संश्लारण रोध या चिनाई या कंक्रीट हेतु संसाधित धातु के होंगे।

ख-4 स्थल सफाई -

किसी स्थल जिस पर कोई भू-विज्ञापन परिनिर्मित हो, का स्वामी नगर आयुक्त के अनुमोदन हेतु स्थल के ऐसे भाग, जो मार्ग से दृश्य हो को स्वच्छ, साफ, निर्मल और समस्त गन्दे पदार्थों तथा कुरूप स्थितियों से मुक्त रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

ख-5 यातायात में अवरोध-

ऐसा कोई भू-विज्ञापन परिनिर्मित नहीं किया जायेगा जिससे कि किसी भवन के मुक्त प्रवेश में या उसके निकास में व्यवधान उत्पन्न हो,

ख-6 तल निर्बाधन के समस्त भू-विज्ञापनों का तल आधार भूमि में कम से कम 2 मीटर ऊपर होगा किन्तु अंतरावर्ती स्थान का जालदार कार्य या पटल सजावटी व्यवस्था से पूरा किया जा सकता है।

ख-7 भू-चित्रित विज्ञापन, जहाँ लागू हों, वहाँ नियम-16 की अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे।

ग-छत विज्ञापन

ग-1 सामग्री-

नियम-16 के उपनियम (4) में दी गयी व्यवस्था को छोड़कर ढाँचों, अवलम्बों और पट्टियों सहित प्रत्येक छत विज्ञापन पट्टिका को अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा। समस्त धात्विक पुर्जों के वैद्युत भू-आच्छादन की व्यवस्था की

जाएगी और जहाँ ज्वलनशील सामग्रियाँ अक्षरों या अन्य साज-सज्जों में अनुज्ञात हो वहाँ समस्त लेख और नलिकाएं उसमें मुक्त और रोधित रखी जायेंगी।

ग-2 अवस्थिति:

(क) किसी भवन के छत पर कोई छत विज्ञापन, इस प्रकार नहीं रखा जाएगा जिससे कि छत के एक भाग से दूसरे भाग में मुक्त प्रवेश में व्यवधान उत्पन्न हो।

(ख) कोई छत विज्ञापन किसी भवन के छत पर या उसके ऊपर तब तक नहीं रखा जाएगा जब तक सम्पूर्ण छत का निर्माण अज्वलनशील सामग्री का न हो।

ग-3 क्षेपण (प्रोजेक्शन) : कोई क्षेपण विज्ञापन भवन के विद्यमान भवन लाइन जिस पर यह परिनिर्मित हो के परे/प्रक्षेपित नहीं होगा अथवा वह छत के ऊपर किसी भी दशा में नहीं बढ़ेगा।

ग-4 अवलम्ब और स्थिरक : प्रत्येक छत विज्ञापन को पूर्णतया सुरक्षित रखा जाएगा और उसे ऐसे भवन, जिस पर या जिसके ऊपर यह परिनिर्मित हो, पर स्थिर किया जाएगा। सम्पूर्ण भार भवन के संरचनात्मक भागों में सुरक्षित रूप में संवितरित होंगे।

ग-5 विमानपत्तनों के समीप छत विज्ञापनों हेतु विमानपत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाना चाहिए।

ग-6 चित्रित छत विज्ञापन, जहाँ प्रयोज्य हो, नियम-16 " समस्त विज्ञापनों हेतु सामान्य अपेक्षाएं" के अनुरूप होंगे।

ग-7 विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना चाहियें।

घ-बरामदा

घ-1 सामग्री- प्रत्येक बरामदा विज्ञापन नियम-16 के उपनियम-(4) में दी गयी व्यवस्था को छोड़कर पूर्णतः अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा।

घ-2 आयाम- कोई बरामदा विज्ञापन ऊँचाई में 01 मीटर से अधिक ऊँचा नहीं होना चाहिए। किसी बरामदा से लटकाया जाने वाला कोई बरामदा विज्ञापन लम्बाई में 2.5 मीटर और मोटाई में 50 मिली मीटर से अधिक नहीं होगा, इसके सिवाय विज्ञापन के प्रमुख अग्रभागों के मध्य मापित और पूर्णतया धातुगत तार युक्त शीशे से निर्मित मोटाई में 200 मीटर से अनधिक मापवाला बरामदा बाक्स विज्ञापन, परिनिर्मित किया जा सकता है।

घ-3 सरेखण- प्रत्येक बरामदा विज्ञापन, भवन लाइन के समान्तर स्थापित किया जाएगा। इसके सिवाय किसी बरामदा से लटकने वाले ऐसे किसी विज्ञापन को भवन लाइन के समकोण पर स्थापित किया जाएगा।

घ-4 स्थान- बरामदा पट्टिका को जो लटकाने वाले विज्ञापन पट से भिन्न हो, निम्नलिखित स्थान पर लगाया जायेगा-

(एक) बरामदा, छत की ओरी के ठीक ऊपर ऐसी विधि से कि वह छत के गटर के पिछले भाग से बहिर्निष्ट न हो,

(दो) बरामदा, मुंडेर या आलम्ब के सामने किन्तु उसके ऊपर या नीचे नहीं, परन्तु ऐसी मुंडेर या आलंब ठोस हो और विज्ञापन पट्टिका ऐसी मुंडेर या आलंब के बाहरी अग्रभाग से 20 सेमी0 से अधिक बहिर्निष्ठ न हो,

(तीन) पेन्ट किये हुये विज्ञापन पट्टिकाओं की दशा में बरांडा धरनों या मुंडेरों पर।

घ-5 लटकते हुये बरांडा विज्ञापन पट्टिकाओं की ऊँचाई— किसी बरांडा से लटकता हुआ प्रत्येक बरामदा विज्ञापन पट्टिका इस प्रकार लगायी जायेगी कि ऐसी पट्टिका का सबसे निचला भाग खड़जा से कम से कम 2.5 मीटर ऊपर हो।

घ-6 प्रक्षेपण— घ-4 में यथा उपबंधित के सिवाय कोई भी बरांडा विज्ञापन पट्टिका उस लाइन से, जिससे वह लगी हो, बाहर निकली हुई नहीं होगी।

ड-दीवार विज्ञापन

प्रत्येक दीवार विज्ञापन पट्ट 3 गुणे 3 मीटर को एक यूनिट मानते हुए बिना किसी ज्वलनशील पदार्थ के परिनिर्मित किया जाएगा।

(क) प्रतिबन्धित क्षेत्रों/सार्वजनिक कार्यालयों, न्यायालयों, धार्मिक स्थलों, शिक्षण संस्थाओं, राष्ट्रीय स्मारकों, चिकित्सालयों आदि की दीवारों पर विज्ञापन प्रतिषिद्ध रहेगा।

(ख) नगर/स्थल के कलात्मक सौंदर्य व अन्य विशिष्टियों के मामले में दीवार विज्ञापन के सम्बन्ध के मामलों में नगर आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

च- प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिकाएँ

च-1 सामग्री: प्रत्येक प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका और उसका अवलम्ब एवं चौखटा पूर्णतः अज्वलनशील पदार्थ से निर्मित होगा।

च-2 प्रक्षेपण एवं ऊँचाई कोई भी प्रक्षेपण पट्टिका अपने अवलम्ब या चौखटे के किसी भाग में भवन के बाहर 02 मीटर से अधिक प्रक्षिप्त नहीं होगी किन्तु यह मार्ग के सामने भूखण्ड लाइन के बाहर प्रक्षिप्त नहीं होगी, जब यह मार्ग में प्रक्षिप्त होती हो तो यह सड़क से 2.5 मीटर की स्पष्ट ऊँचाई पर होगी।

(क) समस्त प्रक्षेपण पट्टिकाओं के अक्ष भवन के मुख्य अग्रभाग के दाहिने कोण पर होंगे। जहाँ अग्रभाग के लिए वी-निर्माण किया गया हो वहाँ भवन के सामने विज्ञापन पट्टिका का आधार कुल प्रक्षेपण की सीमा से अधिक नहीं होगा।

(ख) कोई भी प्रक्षेपण पट्टिका छत की ओरी के ऊपर या भवन आकृति के उस भाग, जिससे वह लगी हो, के ऊपर नहीं निकली होगी।

(ग) किसी प्रक्षेपण पट्टिका की अधिकतम ऊँचाई 06 मीटर होगी।

च-3 अवलम्ब एवं संलग्न: प्रत्येक प्रक्षेपण पट्टिका किसी भवन से सुरक्षित रूप से लगी होगी जिससे किसी भी दिशा में उसके संचलन का संक्षरण रोधी धातु दीवारगीर, रॉड्स, ऐकर्स, अवलम्ब, चेन्स या वायरोप्स, जो इस प्रयोजन के लिए निर्मित हो, द्वारा रोका जा सके और इस प्रकार व्यवस्थित की जा सके कि इस प्रकार लगाये जाने की आधी युक्तियाँ परिस्थितिवश विज्ञापन पट्टिका को थाम सकें। स्टैपल्स या कीलों का प्रयोग किसी भवन के किसी प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका को कसने के लिए नहीं किया जायेगा।

- च-4 अतिरिक्त भार ऐसी प्रक्षेपण संबंधी संरचनाएं जो किसी सीढ़ी पर या अन्य सेवाई युक्ति में, चाहे वह सेवाई युक्त के लिए विशेष रूप से बनाई गयी है या न हो, किसी व्यक्ति का थामने के लिए प्रयोग में लायी जा सकती हो, पूर्वानुमानित अतिरिक्त भार को थामने के लिए सक्षम होगी किन्तु किसी भी दशा में कल्पित रूप से भार डालने के बिन्दु पर या अत्याधिक उत्केन्द्रीय भार डालने के बिन्दु पर डाला गया केन्द्रित क्षैतिज भार 500 किलोग्राम से और ऊर्ध्वर केन्द्रित भार 1500 किलोग्राम से कम के लिए सक्षम नहीं होगी। भवन संघटक, जिससे प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका लगाई जाय, इस प्रकार निर्मित होगा कि वह अतिरिक्त भार को थाम सके।

छ-शामियाना विज्ञापन पट्टिका

- छ-1 सामग्री : शामियाना विज्ञापन पट्टिकाएं पूर्ण रूप से धातु या अन्य अनुमोदित अज्वलनशील पदार्थों से निर्मित होगी।
- छ-2 ऊँचाई: ऐसे विज्ञापन पट्टिकाएं 02 मीटर से ऊँची नहीं होगी और न तो वे शामियाना की पट्टी से नीचे और न पगडंडी के ऊपर 2.5 मीटर से नीचे होंगी।
- छ-3 लम्बाई: शामियाना विज्ञापन पट्टिकाएं पूरी लम्बाई से अधिक हो सकती है किन्तु वे किसी भी दशा में शामियाना के छोर से बाहर प्रक्षिप्त नहीं होंगी।

ज-आकाश विज्ञापन पट्टिका-

आकाश विज्ञापन पट्टिकाओं के मामले में ऐसी आकाश विज्ञापन पट्टिका की ऊँचाई 30 मीटर से अधिक नहीं होगी। न्यूनतम ऊँचाई ऐसी होनी चाहिए कि उससे वाहन या पैदल संबंधी आवागमन में अवरोध या बाधा उत्पन्न न हो।

झ-अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाएं सचल सर्कस विज्ञापन पट्टिकाएं, मेला विज्ञापन पट्टिकाएं एवं सार्वजनिक समारोहों के दौरान सजावट।

झ-1 प्रकार झ-2 के अनुसार यथा परिनिर्मित अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाओं से भिन्न निम्नलिखित विज्ञापन पट्टिकाओं में से कोई विज्ञापन पट्टिका परिनिर्मित नहीं की जाएगी।

- (क) कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो बरांदा के स्तम्भों पर या उनके बीच पेंट की या लगायी गयी हो।
- (ख) कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो किसी बरामदा या बालकनी की किसी पट्टी बेयरर, बीम या आलम्ब के ऊपर या नीचे प्रक्षिप्त हो।
- (ग) कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो प्रदीप्त या प्रकाशमान हो और जो किसी बरांदा या बालकनी के किसी ढाल या गोल किनारे के पट्टी, बेयरर, बीम या आलम्ब पर लगायी गयी हो।
- (घ) किसी सड़क के आर-पार परिनिर्मित कोई पताका विज्ञापन पट्टिका।
- (ङ) विज्ञापन पट्टिका का एक दिशा से दूसरी दिशा में लटकने से रोकने के लिए कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो सुरक्षित रूप से न लगी हो।

- (च) कपड़े, पेपर मैच या समान या सदृश सामग्री से निर्मित कोई विज्ञापन पट्टिका किन्तु उनके अर्न्तगत होर्डिंग या घरों के लाइसेंस प्राप्त पेपर विज्ञापन पट्टिकाएं नहीं है।
- (छ) अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए गए या प्रयोग किए जाने के लिए आशयित किसी भूखण्ड पर कोई विज्ञापन पट्टिकाएं जो किसी ब्रास प्लेट या बोर्ड से भिन्न हो और अधिमानतः 600 मिलीमीटर गुणे 450 मिलीमीटर से अधिक न हो व किसी आवास की दीवार या प्रवेश द्वार या दरवाजे या गेट पर लगी हो और प्लैट के किसी ब्लॉक के मामलों में प्रवेश हाल के दीवार या किसी प्लैट के किसी प्रवेश द्वार पर लगी हो, और
- (ज) पेड़ों चट्टानों या पहाड़ियों या तत्समान प्राकृतिक स्थलों पर कोई विज्ञापन पट्टिका।

झ-2 अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाओं की आवश्यकता

(एक) सभी अस्थायी विज्ञापन, सचल सर्कस और मेला चिन्ह और पट्टिकाएं सार्वजनिक समारोहों के दौरान सजावट नगर आयुक्त के अनुमोदन के अनुसार होंगे और इस प्रकार परिनिर्मित होंगे कि उससे किसी रास्ते में अवरोध न पहुंचे और आग के जोखिम को कम करने में बाधा न पहुंचे।

(दो) ऐसी किसी विज्ञापन पट्टिका पर अंकित विज्ञापन केवल कारोबार, उद्योग या किसी ऐसे अन्य व्यवसाय से संबंधित होगा जो उस परिसर पर या उसके भीतर किया जा रहा हो जिस पर विज्ञापन पट्टिका परिनिर्मित या लगायी गयी हो। अस्थायी विज्ञापन पट्टिका को जैसे ही वह फट जाय या क्षतिग्रस्त हो जाय, यथाशीघ्र और किसी भी दशा में, परिनिर्माण के पश्चात, जब तक विस्तारित न किया जाय, 14 दिन के भीतर हटा दिया जायेगा।

(तीन) नगर आयुक्त किसी अस्थायी विज्ञापन पट्टिका या सजावट को तत्काल हटाने का आदेश, यदि उसकी राय में ऐसी कार्यवाही सार्वजनिक सुविधा और सुरक्षा के हित में आवश्यक हों, देने के लिए सशक्त होगा।

(चार) पोल विज्ञापन पट्टिका : पोल विज्ञापन पट्टिकाएं पूर्णतः अज्वलनशील पदार्थ से निर्मित होगी और यथास्थिति, भूमि या छत की आवश्यकताओं के अनुरूप होगी, ऐसी विज्ञापन पट्टिकाएं स्ट्रीट लाइन के बाहर तक बढ़ाई जा सकती है, यदि वे प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिकाओं के उपबन्धों के अनुकूल हों।

(पांच) झण्डी या कपड़े की विज्ञापन पट्टिकाएं : किसी भवन से संलग्न या उससे लटकने वाली अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाएं और झण्डियां जो कपड़े या ज्वलनशील पदार्थ से निर्मित न हो, सुदृढ़ रूप से बनी होगी और अपने अवलंब से सुरक्षित रूप से लगी होगी। जैसे ही वे फट जाय या क्षतिग्रस्त हो जाये, उन्हें, यथाशीघ्र और परिनिर्माण के अधिकतम 14 दिन के पूर्व ही हटा लिया जायेगा, सिवाय उस दशा के जब वे किसी सायबाल या शामियाना से लटकाये जाने के लिए अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाओं को अनुमति प्राप्त हो, 10 दिन की अवधि तक लटकाए जाने के लिए अनुमति प्राप्त हो।

(छः) अधिकतम आकार : अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाएं क्षेत्रफल में 10 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगी।

(सात) प्रक्षेपण : कपड़े की अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाएं और ज्वलनशील निर्माण किसी मार्ग या सार्वजनिक स्थान के ऊपर या उसके अन्दर 300 मिलीमीटर से अधिक नहीं बढ़ेगी सिवाय उस दशा के जब ऐसी चिन्ह पट्टिकाएं बिना फ्रेम के निर्मित होने पर किसी सायबान या शामियाना के सामने

अवलम्ब के रूप में लगाई जा सकती है या उसकी निचली पट्टी से लटकाई जा सकती है किन्तु वे फुटपाथ के 2.5 मीटर से अधिक निकट तक नहीं बढ़ी होनी चाहिए।

(आठ) विशेष अनुमति : भवन से लटकती हुई या पोल पर लटकती हुए सभी ऐसी अस्थाई झण्डियां जो मार्ग या सार्वजनिक स्थलों के आर-पार बढ़े, नगर आयुक्त के अनुमोदन के अधीन होगी।

(नौ) नगर निगम द्वारा स्थापित किए गए बिल फलक को अस्थाई इशतहारों, विज्ञापन पट्टिकाओं, प्रतीकों, मनोरंजन आदि के लिए प्रयोग में लाया जायेगा जिससे कि नगर की दीवारें विरूपित न हों।

टिप्पणी : मनोरंजन और अन्य कार्यक्रमों से संबंधित इशतहार को इशतहार फलक से भिन्न भवन पर नहीं लगाया जाएगा। ऐसे इशतहार और पोस्टरों के लिए उत्तरादायी संगठन ऐसे विरूपण और विज्ञापन पट्टिकाओं को न हटाने के लिए उत्तरादायी मानें जायेंगे।

16

सभी विज्ञापन पट्टिकाओं के लिये सामान्य आवश्यकताएं/अपेक्षाएँ

- 16(1) मार : विज्ञापन पट्टिकाएं इस प्रकार निर्मित होंगी कि वे भाग-6 संरचनात्मक अभिकल्प खण्ड-1, राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के भार, बल और प्रभाव में दिये गये आँधी, डेड से इस्मिक और अन्य लोड को सुरक्षित रूप से सहन कर सके।
- (2) प्रदीप्त : कोई भी विज्ञापन पट्टिका जो विद्युत साधन और विद्युत युक्ति यां या वायरिंग से भिन्न हों, राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के भाग-8, भवन सेवाएं खण्ड-2, विद्युत और सम्बद्ध संस्थापना की अपेक्षाओं के अनुसार संस्थापित या प्रकाशित नहीं की जायेगी। किसी भी दशा में कोई खुली चिंगारी या दीप्ति प्रदर्शन के उद्देश्यों के लिए तब तक नहीं इस्तेमाल की जाएगी, जब तक वह नगर आयुक्त द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित न हो।
- (3) विज्ञापन पट्टिकाओं की डिजाइन और स्थान :-
 - (क) किसी भी विज्ञापन पट्टिकाओं से पदयात्रियों के आवागमन, अग्नि से बचाव, निकास या अग्नि शमन प्रयोजनों के साधन के रूप में प्रयुक्त दरवाजे या खिड़की या द्वार में रूकावट नहीं आएगी।
 - (ख) किसी भी पट्टिका से प्रकाश व संवातन के द्वार में किसी प्रकार या ढंग से रूकावट नहीं होगी।
 - (ग) यदि संभव हो, विज्ञापन पट्टिकाओं को एक साथ सम्मिलित रूप में एकल की जानी चाहिए। भू-दृश्य में अव्यवस्थित विज्ञापन पट्टिका से बचना चाहिए।
 - (घ) अनावश्यक खंभों को कम करने और विज्ञापन पट्टिकाओं को प्रकाशित करने को सुगम बनाने के लिए पट्टिकाएं लाइटिंग फिक्स्चर से युक्त होनी चाहिए।
 - (ङ) सूचना विज्ञापन पट्टिकाएं स्वाभाविक सभा स्थलों पर लगाई जानी चाहिए और उन्हें दर्शनीय फर्नीचर के अभिकल्प में सम्मिलित किया जाना चाहिए।
 - (च) जहां विज्ञापन पट्टिकाओं से पैदल आवागमन में बाधा पहुँचे वहां विज्ञापन पट्टिकाओं को लगाये जाने से बचना चाहिए।
 - (छ) विज्ञापन पट्टिकाएं इस प्रकार लगानी चाहिए जिससे कि सामने से और पीछे से पदयात्रियों का आवागमन संभव हो सके।

- (ज) जहाँ तक सम्भव हो दृष्टिहीन और आंशिक रूप से दृष्टिहीनों के लिए पठनीय बनाने के लिए विज्ञापन पट्टिका के किनारे बेल पट्टियाँ लगाई जानी चाहिए या उभरे हुए अक्षरों का प्रयोग किया जाना चाहिए।
- (झ) कोई भी विज्ञापन पट्टिका किसी भी वृक्ष या झण्डी में नहीं लगायी जानी चाहिए।
- (ञ) नगर निगम सीमान्तर्गत विज्ञापनकर्ताओं द्वारा लगाये गए विज्ञापनपट पर पेण्टर/मुद्रणालय का नाम/फर्म का नाम व पेण्टर द्वारा नगर निगम कानपुर में अपनी फर्म के कराए गए रजिस्ट्रेशन का नम्बर व मोबाइल नम्बर अंकित करना अनिवार्य होगा।

(4) दहनशील पदार्थों का प्रयोग –

- (एक) सजावटी विशिष्टता : ढलाई, ढक्कन लगाने, ब्लाक्स, अक्षरों व जाली के लिए जहां अनुमति हो और पूर्णतः सजावटी विशिष्टता वाले विज्ञापन पट्टिकाओं के लिए प्रयोग किये जा सकने वाले लकड़ी के सदृश दहनशील विशेषता वाले लकड़ी या प्लास्टिक या अन्य पदार्थ।
- (दो) विज्ञापन पट्टिका का फलक : विज्ञापन पट्टिका का अग्रभाग अनुमोदित दहनशील पदार्थ से बना होना चाहिए, परन्तु प्रत्येक अग्रभाग का क्षेत्रफल 10 वर्गमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए और विद्युत लाइटिंग की वायरिंग धातु की नली में बन्द होनी चाहिए और फलक से 5 सेंटीमीटर से अन्धून के निकास के साथ संस्थापित होनी चाहिए।

(5) विज्ञापन पट्टिकाओं को हटाये जाने से नुकसान या विरूपण :

जब भी कोई विज्ञापन पट्टिका हटाई जाय चाहे यह कार्य नगर आयुक्त की नोटिस या उसके आदेश के कारण हो या अन्यथा हो, ऐसे भवन या स्थल जिस पर या जिससे ऐसी विज्ञापन पट्टिका प्रदर्शित की गयी थी, में किसी नुकसान या विरूपण की क्षतिपूर्ति विज्ञापनकर्ता से की जायेगी। यदि विज्ञापन पट्टिका के हटाये जाने के दौरान सड़क की सतह/फुटपाथ/यातायात सिग्नल या किसी अन्य सार्वजनिक उपयोगिता सेवा को क्षति पहुँचती है तो विज्ञापनकर्ता से वसूल की गयी धनराशि को निगम द्वारा सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर देनी चाहिए अथवा तत्काल मरम्मत करा देना चाहिए।

(6) अनुज्ञा-पत्र के ब्यौरे का प्रदर्शन :

अनुज्ञा-पत्र का ब्यौरा और अनुज्ञा की समाप्ति का दिनांक प्रत्येक विज्ञापन पट्टिका पर इस प्रकार लगाया जाएगा कि उसे नग्न नेत्रों से देखा व पढ़ा जा सके।

17. दुकानों पर विज्ञापन –

किसी दुकान पर कोई भी विज्ञापन नगर आयुक्त की पूर्व अनुमति के बगैर और अनुज्ञा शुल्क के पूर्व भुगतान के बिना दपती लटकाकर, स्टीकर चस्पा करके, पेंटिंग, लेखन द्वारा या किसी अन्य विधि से संप्रदर्शन द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण –

(एक) यदि सामग्री बेचे जाने वाली दुकान का नाम, अथवा उसके बिना भी फलक लटकाकर, पेंटिंग द्वारा या किसी भी अन्य विधि से संप्रदर्शित या प्रदर्शित किया जाए तो प्रत्येक दुकान के लिये केवल एक ऐसे विज्ञापन पट्ट को विज्ञापन नहीं माना जायेगा और वे इस उपविधि के अधीन विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क देय नहीं होगा।

(दो) परन्तु यदि कोई विज्ञापन लटकाकर, चिपकाकर अथवा किसी अन्य रीति से इस प्रकार संप्रदर्शित किया जाए कि उसमें विक्रय की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख हो और गुण आदि का विवरण हो तथा वह सामान्य जनता का ध्यान विज्ञापन के रूप स्वतंत्र रूप से आकर्षित कर रहा हो तो वह इस उपविधि के अधीन विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क देय होगा।

18 मार्गाधिकार (राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग छोड़कर)के भीतर अनुज्ञा प्राप्त विज्ञापन –

सम्बन्धित मार्ग की क्षमता, क्षेत्र के सम्पूर्ण सौन्दर्यबोध और सार्वजनिक सुरक्षा पर निर्भर करते हुए निम्नलिखित विज्ञापन को मार्गाधिकार के भीतर, राष्ट्रीय राज्यमार्ग/राष्ट्रीय राज्यमार्ग प्राधिकरण को छोड़कर, अनुज्ञा प्रदान की जायेगी :-

(1) मार्ग प्रकाश के खम्भों पर विज्ञापन –

(एक) अभिकल्प : विज्ञापन फलक का आकार चौड़ाई 0.79 मीटर x 1.2 मीटर से अधिक नहीं रखी जाएगी और विज्ञापन के निचले तल की भूतल से ऊँचाई 2.5 मीटर से कम नहीं रखी जाएगी। किसी भी दशा में विज्ञापन फलक वाहन मार्ग में प्रक्षिप्त नहीं होगा।

(2) बस सायबानों पर विज्ञापन (बस शेल्टर):

अभिकल्प : बस सायबानों (बस शेल्टर) के विज्ञापन फलक पर क्षेत्र व मार्ग नम्बर को देखने के लिए 1.5 मीटर फलक की लम्बाई को छोड़ते हुए, विज्ञापन की अनुज्ञा प्रदान की जाएगी। बस सायबानों पर विज्ञापन पट्ट की लम्बाई सायबान की कुल लम्बाई से अधिक न होगी तथा अधिकतम ऊँचाई 0.90 मीटर रखी जाएगी। प्रत्येक बस सायबान निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी डिजाइन के अनुसार ही निर्मित कराया जाएगा तथा उस पर नगरीय परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित किराया सूची, सिटी बसों का रूट नम्बर एवं उसके निर्धारित मार्ग का विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा। सम्बन्धित विज्ञापनकर्ताओं जिसे बस सायबान पर विज्ञापन प्रदर्शन की अनुज्ञा प्रदान की गई हो, उसे बस सायबान का अनुरक्षण स्वयं के व्यय पर समय-समय पर करानी अनिवार्य होगा।

(3) स्थानों की पहचान के लिए महत्वपूर्ण जंक्शनों पर विज्ञापन : नियम -13 में विहित यातायात सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्थानों के पहचान को सुगम बनाने के लिए नगर आयुक्त द्वारा महत्वपूर्ण मार्ग जंक्शनों पर 2 मीटर x 0.35 मीटर आकार की पट्टी से युक्त मानक रूप में फलक लगाये जा सकते हैं। विज्ञापनकर्ता को नगर आयुक्त के अनुमोदन के अनुसार फलक की पट्टियों पर संस्तुत रंग व आकार में नामों, दूरी व दिशा आदि पेन्ट करने की अनुज्ञा होगी।

(4) यातायात रोटरी/सड़क :

नगर आयुक्त यातायात विभाग (राजपत्रित अधिकारी/यातायात प्रभारी) के परामर्श से आवंटन समिति की संस्तुति पर यातायात रोटरी/सड़क/यातायात बूथों के विकास व रख-रखाव की अनुज्ञा दे सकते हैं। यातायात रोटरी/आईलैण्ड/यातायात पुलिस बूथ उसकी कुल चौड़ाई एवं ऊँचाई से अधिक का विज्ञापन प्रदर्शित

नहीं किया जाएगा तथा विज्ञापन की ऊँचाई अधिकतम 0.90 मीटर रखी जाएगी। इसके लिए विज्ञापनकर्ता को उपविधि में विहित दरों पर विज्ञापन कर तथा आवंटन समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रीमियम जमा करना होगा।

(5) मैदानों/पगडंडियों के किनारे रक्षक पट्टियाँ

नगर आयुक्त अभिकरण को मैदान/पगडंडी के किनारे रक्षक पट्टियों की व्यवस्था करने एवं उनका रख-रखाव करने के साथ-साथ अभिकरण को नगर आयुक्त द्वारा यथाअनुमोदित पट्टियों पर नाम/उत्पाद का संप्रदर्शित करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं। अभिकरण रक्षक पट्टी के अभिकल्प के लिए नगर आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त करने और नगर आयुक्त के संतोषप्रद रूप में समय-समय पर रक्षक पट्टी/विभाजक का रख-रखाव करने और मुख्यतः पेन्ट करने के लिए आबद्धकर होगा। इस पर लगने वाले विज्ञापन पट्ट का अधिकतम आकार 0.45 मीटर x 0.75 मीटर होगा तथा सड़क से न्यूनतम ऊँचाई 2.5 मीटर होगी।

(6) वृक्ष रक्षक (ट्री गार्ड) : नगर आयुक्त किसी चयनित अभिकरण को पौधों के चारों तरफ अनुमोदित अभिकल्प के वृक्ष रक्षक की व्यवस्था एवं रख-रखाव करने के साथ-साथ अभिकरण को नगर आयुक्त द्वारा यथा अनुमोदित वृक्ष रक्षकों पर नाम/उत्पाद को संप्रदर्शित करने की अनुज्ञा दे सकते हैं परन्तु 0.60 मीटर से कम चौड़े डिवाइडरो पर ट्री गार्ड लगाये जाने की अनुमति नहीं होगी।

(7) पुष्प पात्र स्टैण्डस : नगर आयुक्त किसी अभिकरण को सड़क विभाजक पर अनुमोदित अभिकल्प के पुष्प पात्र स्टैण्ड की व्यवस्था एवं रख-रखाव करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं। दो पुष्प पात्र स्टैण्डों के मध्य कम से कम 05 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अधिकतम 0.45 मीटर x 0.75 मीटर माप के विज्ञापन पट्टी अपने दो ओर संप्रदर्शित किये जा सकते हैं, परन्तु सड़क सतह के ऊपर विज्ञापन पट्टी के निचले भाग का उर्ध्व निकास 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए।

परन्तु यह कि विज्ञापन पट्टी की चौड़ाई दोनों ओर के विभाजकों की चौड़ाई से 0.25 मीटर कम होगी और पुष्प पात्र को उसके संरक्षण (विभाजक के दिशा के समानान्तर) में रखा जायगा।

19- छूट (1) इस उपविधि की कोई बात निम्नलिखित विज्ञापनों एवं विज्ञापन पट्टों पर लागू नहीं होगी:-

- (एक) यदि किसी कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान का केवल नाम किसी ऐसे विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाता है जो ऐसे कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान पर परिनिर्मित या संस्थापित किया गया हो।
- (दो) यदि किसी आवासीय भवन के स्वामी का केवल नाम व पता ऐसे भवन से लगे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाये।
- (तीन) किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी कार्यालय का नाम व पता ऐसे परिसरों के भीतर रखे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा।
- (चार) यातायात विभाग द्वारा प्रदत्त सभी यातायात विज्ञापन पट्ट, सिग्नल्स, यातायात चेतावनी और संदेश, किसी न्यायालय के आदेश या निर्देशों के अधीन संप्रदर्शित सभी नोटिसों, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को इंगित करने वाले सभी विज्ञापन पट्ट, परन्तु उनकी माप 0.6 मीटर x 0.6 मीटर से अधिक न हो।
- (पाँच) यदि विज्ञापन पट्ट किसी भवन की खिड़की के भीतर प्रदर्शित किये जाय किन्तु उसमें भवन का प्रकाश व संवातन प्रभावित न हो।

(छः) यदि किसी ऐसी भूमि या भवन जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता है, के भीतर चलाये जा रहे व्यापार या कारोबार से या ऐसी भूमि या भवन के विक्रय या बैठक या मनोरंजन या उसके भीतर किसी अन्य कार्य से या किसी ऐसी ट्रैमकार, ओमनीबस या अन्य वाहन, जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता हो, के स्वामी द्वारा चलाये जा रहे व्यापार या कारोबार से संबंधित हो, परन्तु यह .90 वर्गमीटर से अधिक न हो।

(सात) इसके अतिरिक्त नियम 19 के उप नियम (2) से (5) के अधीन आच्छादित विज्ञापन पट्टों के लिये किसी अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं है। फिर भी ऐसी छूट से यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि विज्ञापन पट्ट का स्वामी इस उपविधि के अनुपालन में परिनिर्माण या रख-रखाव के उत्तरदायित्व से निर्मुक्त है।

(2) दीवार विज्ञापन पट्ट : नीचे सूचीबद्ध दीवारों के लिए किसी अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता नहीं होगी :-

(एक) भण्डारण विज्ञापन पट्ट : किसी प्रदर्शन खिड़की के ऊपर किसी भण्डारण या कारोबार अधिष्ठान के दरवाजे के ऊपर परिनिर्मित या अप्रकाशित विज्ञापन पट्ट, जो मालिक के नाम और उसमें संचालित कारोबार की प्रकृति को घोषित करते हों: विज्ञापन पट्ट 01 मीटर से ऊँचे और कारोबार अधिष्ठान की चौड़ाई से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(दो) सरकारी भवन विज्ञापन पट्ट : किसी नगर पालिका, राज्य या केन्द्रीय सरकार के भवन पर परिनिर्मित ऐसे विज्ञापन पट्ट जो अध्यासन के नाम, प्रकृति या सूचना को घोषित करते हो।

(तीन) नाम पट्ट : किसी भवन या संरचना पर परिनिर्मित कोई ऐसा विज्ञापन पट्ट, जो भवन के अध्यासी के नाम को इंगित करता हो और जो क्षेत्रफल में 0.5 वर्ग मीटर से अधिक न हो।

(चार) ऐसे विज्ञापन पट्ट तो किसी यात्रा मार्ग, स्टेशन या सार्वजनिक सुविधा से के स्थानों की ओर इंगित करते हो।

(3) अस्थाई विज्ञापन पट्ट :

(एक) निर्माण स्थल संकेत : निर्माण संकेत, इंजीनियर एवं वास्तुविद के संकेत और अन्य समान संकेत जो निर्माण अभियान के सम्बन्ध में नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किए जाए।

(दो) विशेष संप्रदर्शन संकेत : अवकाशों, सार्वजनिक प्रदर्शन या नागरिक कल्याण की प्रोत्तति या धर्मार्थ प्रयोजन के लिए प्रयोग किए जाने वाले विशेष सजावटी संप्रदर्शन, जिस पर कोई वाणिज्यिक विज्ञापन न हो, परन्तु यह कि नगर आयुक्त किसी परिणामिक नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं है। (नियम-15 झ(2) अस्थाई विज्ञापन पट्ट के लिए आवश्यकता देखिए)

20 विशेष विज्ञापन

(1) यदि अनुसूची-2 जिसके अन्तर्गत प्रतिषिद्ध क्षेत्र भी है द्वारा कोई विशेष या सार्वजनिक हित का विज्ञापन आच्छादित नहीं है तो नगर आयुक्त उसे ऐसे निर्बन्धन एवं शर्तों पर और ऐसी दर पर, जिसे वह उचित समझे, कर के भुगतान पर परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने चसपा करने, लिखने, रेखांकन करने या लटकाने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं।

- (2) प्रत्येक ऐसी अनुज्ञा के दिनांक से एक माह तक के लिये विधिमान्य होगी। ऊपर उल्लिखित अवधि की समाप्ति पर अनुज्ञा को अग्रतर एक माह के लिये बढ़ाया जा सकता है। यदि अनुज्ञा की आवश्यकता किसी अग्रतर अवधि के लिये हो तो नगर आयुक्त के समक्ष स्वीकृत का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

21. विशेष नियंत्रण क्षेत्र

- (1) जब कभी नगर आयुक्त की राय में इस उपविधि में निबन्धनों के अनुसार अन्यथा अनुज्ञान विज्ञापन युक्ति से नियम के अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी विशिष्ट क्षेत्र को क्षति पहुँचने या उसके निरूपित होने की संभावना हो तो वह ऐसे क्षेत्र को विशेष नियन्त्रण क्षेत्र घोषित कर सकता है। पालों और भूमि को भी विशेष नियन्त्रण क्षेत्र के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है।
- (2) उप नियम (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसे क्षेत्र के भीतर किसी विज्ञापन का परनिर्माण और प्रदर्शन निषिद्ध किया जायेगा या किसी प्रकार से सीमित किया जायेगा जैसा कि नगर आयुक्त द्वारा आवश्यक समझा जाये। नगर आयुक्त निगम की अधिकारिता वाले क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले किसी एक या अधिक समाचार पत्रों में, ऐसे क्षेत्र को घोषणा करने के सम्बन्ध में अपने आशय को प्रकाशित करेगा। ऐसे क्षेत्र के भीतर सम्पत्ति का कोई स्वामी, जो ऐसी घोषणा से व्यथित अनुभव करे ऐसे क्षेत्र की घोषणा के विरुद्ध ऐसे प्रकाशन से एक माह के भीतर नगर आयुक्त को अपील कर सकता है, जिसका विनिश्चय निर्णायक होगा।
- (3) किसी बरामदा विज्ञापन की शब्दावली विशेष नियन्त्रण के किसी क्षेत्र में नगर आयुक्त द्वारा अनुमत हो, स्वामी या फर्म के नाम तक सीमित होगा जो उस परिसर का अध्यासी हो। भवन या संस्था या फर्म के नाम तक सीमित होगा जो उस परिसर का अध्यासी हो। भवन या संस्था के नाम चलाये जा रहे साधारण व्यवसाय या व्यापार का नाम जैसे कि ज्वैलर्स कैफे, "डांसिंग" या भवन के प्रवेश की स्थिति के सम्बन्ध में सूचना हो सकती है या सिनेमा या नाटक कार्यक्रम के सम्बन्ध में या इसी प्रकार की कोई सूचना हो सकती है। किसी भी बरामदे के विज्ञापन में विशेष नियंत्रण के किसी क्षेत्र में व्यापार की किसी विशिष्ट वस्तु का विज्ञापन नहीं होगा और न ही मूल्य या मूल में कमी से सम्बन्धित ऐसा कोई विज्ञापन होगा।
- (4) विशेष नियंत्रण के क्षेत्र से तीस मीटर दूरी के भीतर, उप नियम (3) में दिये गये के सिवाय सामान्यतः कोई अन्य विज्ञापन पट्ट नहीं प्रदर्शित होगा।

22. निषिद्ध क्षेत्र की घोषणा

निगम या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार किसी क्षेत्र या किन्हीं क्षेत्रों को विज्ञापन या विज्ञापनपट्टों का परिनिर्माण, प्रदर्शन, संप्रदर्शन लगाना, चिपकाना लेखन, आरेक्षण या लटकाने के लिये निषिद्ध घोषित करे। इस प्रकार के आदेश विरुद्ध घोषणा के तिथि से एक माह के भीतर अपील आयुक्त कानपुर मण्डल के समक्ष की जा सकती हैं

23. झण्डियों पर रोक

- (1) कोई भी व्यक्ति नगर आयुक्त से पूर्व में प्राप्त लिखित अनुज्ञा के बिना किसी झण्डी/बैनरों का प्रदर्शन, सम्प्रदर्शन या लटकाने का कार्य नहीं करेगा।
- (2) कोई भी अनुज्ञा निगम या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा निषिद्ध क्षेत्र के रूप में निर्धारित क्षेत्र में इस उपविधि के अधीन प्रदान नहीं की जायेगी।
- (3) इस उपविधि के उपबंधों का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो नगर आयुक्त द्वारा अधिरोपित की जाये और वह प्रति झण्डी/बैनर दो सौ रूपये से कम नहीं होगी।
- (4) नगर आयुक्त इस नियम में निर्दिष्ट झण्डी/बैनर को हटा सकता है और उसे समयहृत या विनष्ट कर सकता है।

24 अनुरक्षण और निरीक्षण

- (1) अनुरक्षण : सभी विज्ञापन जिनके लिये अनुज्ञा अपेक्षित है उन्हें अविलम्बो, बंधनी, रस्सा और स्थिरक के साथ भली प्रकार मरम्मत किये जायेंगे जो कि ढांचागत और कलात्मक दोनों ही दृष्टिकोण से होगी और जब चमकीले या अनुमोदित अज्वलनशील सामग्री से निर्मित नहीं होंगे तो उन पर मोर्चा लगने से रोकने के लिये रंग-रोगन समय-समय पर किया जायेगा।
- (2) सुव्यवस्था : प्रत्येक विज्ञापन के स्वामी का यह कर्तव्य और उत्तरदायित्व होगा कि वह विज्ञापन द्वारा छेके गये परिसर में सफाई, स्वच्छता और स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों का ध्यान रखें।
- (3) निरीक्षण : प्रत्येक विज्ञापन, जिसके लिए परमिट जारी किया गया हो और प्रत्येक विद्यमान विज्ञापन जिसके लिये कोई परमिट अपेक्षित हो, का निरीक्षण प्रत्येक पंचांग वर्ष में कम से कम एक बार किया जायेगा।

25 प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति:

नगर आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा अधिकृत कोई निगम अधिकारी या सेवक कोई निरीक्षण, खोज, पर्यवेक्षण, माप या जाँच करने के प्रयोजन के लिये या ऐसा कार्य निष्पादित करने के लिये जो इस उपविधि द्वारा या तद्धीन प्राधिकृत के या जो किसी प्रयोजन के लिये आवश्यक हो या इस उपविधि के किसी उपबंध के अनुसरण में सहायकों या श्रमिकों के साथ या उनके बिना किसी परिसर में या उस पर प्रवेश कर सकता है, परन्तु—

- (एक) सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य के सिवाय और अध्यासी को युक्ति युक्त नोटिस दिये बिना या यदि भूमि या भवनों के स्वामी हेतु कोई अध्यासी न हो तो इस प्रकार प्रवेश नहीं की जायेगी।
- (दो) प्रत्येक स्थिति में ऐसी भूमि या भवन से महिला, यदि कोई हो, को हट सकने के लिये पर्याप्त अवसर दिया जायेगा।
- (तीन) जहाँ तक ऐसे प्रयोजन की अत्यावश्यकताओं के अनुरूप हो, जिसके लिये प्रवेश किया गया है। प्रविष्ट की गयी भूमि या भवन के अध्यासियों के सामाजिक और धार्मिक उपयोगिताओं की ओर सम्यक ध्यान दिया जायेगा।

26— कर भुगतान की रीति

- (1) अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट वार्षिक अनुज्ञा शुल्क एकल किश्त में अथवा दो समान किश्तों में संदेय होगा। बिना देय धनराशि जमा किये एवं बिना अनुज्ञा प्राप्त किये कोई विज्ञापन पट या विज्ञापन परिनिर्मित/संप्रदर्शित नहीं किया जायेगा। प्रथम किश्त वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने अथवा स्वीकृत के समय जो पूर्वतर हो, तथा दूसरी किश्त 30 सितम्बर के पूर्व देय होगी।
- (2) यदि कोई विज्ञापन छः माह से कम अवधि हेतु प्रदर्शित किया जाता है तो अनुज्ञा शुल्क अनुसूची-2 में अंकित दरों की 50 प्रतिशत धनराशि के बराबर देय होगा।
- (3) किसी विशेष प्रयोजन हेतु यदि किसी विज्ञापन को तीन माह अथवा उससे कम अवधि हेतु प्रदर्शित करता है तो अनुज्ञा की दरें अनुसूची-2 में अंकित दरों पर मासिक आधार पर एक किश्त में देय होगी।

27— क्षेत्रों का वर्गीकरण

विज्ञापनों पर अनुज्ञा शुल्क के प्रयोजनार्थ प्रतिषिद्ध क्षेत्र व अन्य क्षेत्रों के वर्गीकरण का विनिश्चय नगर आयुक्त द्वारा निम्नलिखित वर्गों में किया जाएगा—

- (एक) निषिद्ध श्रेणी क्षेत्र
- (दो) प्रवर श्रेणी क्षेत्र
- (तीन) "अ" श्रेणी क्षेत्र
- (चार) "ब" श्रेणी क्षेत्र
- (पाँच) "स" श्रेणी क्षेत्र

1. क. निजी भूमि भवन एवं सार्वजनिक स्थल विज्ञापन के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के विज्ञापन प्रचार हेतु निषिद्ध क्षेत्र :-

- न्यायालय परिसर (सम्पूर्ण कचहरी परिसर), समस्त सरकारी भवन, समस्त मोतीझील परिसर।
- समस्त पार्क, समस्त पुल, चिकित्सालय।
- ऐतिहासिक बिल्डिंग, समस्त धार्मिक स्थल, हाई टेंशन लाइन के नीचे, फूलबाग के चारों तरफ, नानाराव पार्क के अन्दर व बाहर,
- नगर आयुक्त वी.आई.पी. आवागमन, यातायात एवं सुरक्षा की दृष्टि से तथा भविष्य में मेट्रो रेल हेतु निर्धारित रूट पर पिलर के निर्माण को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी क्षेत्र को प्रचार हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किए जाने के लिए अधिकृत होंगे।

(दो) 'प्रवर' श्रेणी -

- मरे कम्पनी पुल से मेघदूत तिराहा मुख्य मार्ग एवं उसके आंतरिक मार्ग, आदर्श व्यायामशाला से कचहरी चौराहा, एस.पी. ऑफिस, एम.जी. कॉलेज सिविल लाइन्स होते हुए लाल इमली तक। लाल इमली से मर्चेण्ट चैम्बर तक। आर्य नगर, तिलक नगर, स्वरूप नगर, अशोक नगर, 80 फिट रोड, पी. रोड, लेनिन पार्क, जवाहर नगर, रामबाग, हर्ष नगर चौराहा, नेहरू नगर, आचार्य नगर, रामकृष्ण नगर।
- मेघदूत चौराहा से बड़ा चौराहा, बड़ा चौराहा से परेड चौराहा होते हुए लाल इमली चौराहा से चुन्नीगंज चौराहा से बकरमण्डी से बेनाझाबर तिराहा से मोतीझील शिवाजी द्वार, मेडिकल चौराहा से रावतपुर स्टेशन तक, रावतपुर स्टेशन तिराहा से कम्पनी बाग चौराहा तक एवं कम्पनी बाग चौराहा से रानीघाट चौराहा से रेव श्री चौराहा से टैपको चौराहा से मर्चेण्ट चैम्बर तिराहा से ग्रीन पार्क चौराहा से डी.ए.वी. कॉलेज तिराहा से गोरु कब्रिस्तान से सरसैय्याघाट चौराहा से महफिल होटल होते हुए मेघदूत तिराहा मुख्य मार्ग एवं उसके आंतरिक मार्ग।
- रावतपुर रेलवे स्टेशन से गीता नगर क्रॉसिंग से शारदा नगर क्रॉसिंग होते हुए गुरुदेव पैलेस क्रॉसिंग से चिड़ियाघर मार्ग होते हुए चिड़ियाघर चौराहा तक से लव-कुश बैराज (गंगा बैराज) मुख्य मार्ग एवं उसके आंतरिक मार्ग।
- गोल चौराहा नरेन्द्र मोहन सेतु से कोकाकोला चौराहा से गुमटी नं. 05 से ज़रीब चौकी चौराहा से अफीम कोठी चौराहा से झकरकटी बस स्टेशन से टाटमिल चौराहा से पी. ए. सी. मोड़ होते हुए रामा देवी चौराहा तक तथा रामादेवी चौराहा से जाजमऊ गंगा पुल मुख्य मार्ग एवं उसके आंतरिक मार्ग।
- नरेन्द्र मोहन सेतु से जे.के. मंदिर होते हुए मरियमपुर अस्पताल चौराहा से कबाड़ी मार्केट चौराहा से फजलगंज चौराहा होते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा चौराहा से गोविन्दपुरी पुल से चावला मार्केट से नन्द लाल चौराहा से दीप टॉकीज से बर्बा बाईपास तक।
- गोविन्द नगर सम्पूर्ण क्षेत्र।
- गंगा पुल जाजमऊ व लव कुश बैराज (गंगा बैराज) कानपुर नगर निगम प्रवेश एवं निकास द्वार।

(तीन) 'अ' श्रेणी

- गुरुदेव टाकीज चौराहा से आई.आई.टी. मुख्य मार्ग एवं उसके आंतरिक मार्ग।
- टाटमिल से घण्टाघर चौराहा तक एवं मंजूश्री सिनेमा हॉल के सामने से टाटमिल चौराहा से बाकरगंज चौराहा से किदवई नगर चौराहा होते हुए यशोदा नगर बाईपास तक।

- अफीम कोठी चौराहा से बारादेवी चौराहा होते हुए गौशाला चौराहा से नौबस्ता चौराहा तक, नौबस्ता चौराहा से दासूकुआँ से आवास-विकास हंसपुरम कॉलोनी से गल्ला मण्डी से कानपुर नगर निगम सीमा तक।
- मंजूश्री टॉकीज घण्टाघर से चाचा नेहरू अस्पताल होते हुए डिप्टी पड़ाव चौराहा से सीसामऊ थाना तक।
- किदवई नगर चौराहा से साईट नं. 01 चौराहा से बारादेवी चौराहा तक एवं गोविन्द नगर जाने वाले मार्ग पर।
- बाबा कुटी साउथ एक्स मॉल साईट नं. 01 चौराहा तक।
- एच ब्लॉक तिराहा से संजय वन होते हुए सोटे वाले मंदिर से गौशाला चौराहा से थाना किदवई नगर से दीप टॉकीज तिराहा तक।
- कोकाकोला चौराहा से मरियमपुर चौराहा से जोनल कार्यालय जोन-06 होते हुए सिन्धी कॉलोनी रोड से राहुल स्वीट सब्जी मण्डी तिराहा तक।
- गुमटी नं. 05 रेलवे क्रॉसिंग से संत नगर चौराहा होते हुए कालपी रोड तक।
- जरीब चौकी रेलवे क्रॉसिंग से फजलगंज चौराहा से विजय नगर चौराहा से अर्मापुर स्टेट से नहरिया होते हुए भाटिया तिराहे से भौंती बाईपास तक।
- भाटिया तिराहे से पनकी हनुमान मंदिर चौराहा तक।
- रावतपुर रेलवे क्रॉसिंग से देवकी टॉकीज नीरक्षीर चौराहा से डबल पुलिया तक डबल पुलिया से विजय नगर चौराहा तक विजय नगर चौराहा से दादानगर पुल होते हुए सी.टी.आई. तिराहा से शास्त्री चौक चौराहा से बाईपास तक बाईपास से राम गोपाल चौराहा तक, दादा नगर फ़ैक्ट्री सम्पूर्ण क्षेत्र।
- सचान गेस्ट हाउस चौराहा से शास्त्री चौक चौराहा से रतन लाल नगर होते हुए दबौली गुजैनी बाईपास तक के समस्त क्षेत्र।
- गीता नगर चौराहा से हरी गेस्ट हाउस चौराहा तक।
- 09 नं. क्रॉसिंग से छपेड़ा पुलिया से नमक फ़ैक्ट्री चौराहा तक।
- फण्ड ऑफिस से थाना काकादेव होते हुए देवकी चौराहा से हरि गेस्ट हाउस से छपेड़ा पुलिया तक सर्वोदय नगर एवं काकादेव पाण्डु नगर के समस्त क्षेत्र।
- हर्ष नगर पेट्रोल पम्प से कोकाकोला चौराहा रेलवे क्रॉसिंग तक।
- रामादेवी से रुमा तक कानपुर नगर निगम सीमा मुख्य मार्ग एवं उसके आंतरिक मार्ग।
- रामादेवी से यशोदा नगर बाईपास मुख्य मार्ग एवं उसके आंतरिक मार्ग।
- श्याम नगर, कोयला नगर, देहली सुजानपुर, करहीं, नौबस्ता, जरौली, लाल बंगला, तिवारीपुर, जाजमऊ, गाँधीग्राम, कृष्णा नगर, पोखरपुर, किदवई नगर सम्पूर्ण क्षेत्र।
- अहिरवाँ सनिगवाँ, जूही परमपुरवा सम्पूर्ण क्षेत्र।
- समस्त कानपुर नगर निगम प्रवेश एवं निकास द्वार (गंगा पुल जाजमऊ व लव कुश बैराज को छोड़कर)।

(चार) 'ब' श्रेणी

- रेलवे क्रॉसिंग कल्यानपुर से पनकी मंदिर तक जाने वाले मार्ग, नारायण इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पनकी शताब्दी नगर योजना के समस्त क्षेत्र एवं पनकी गंगागंज समस्त क्षेत्र सुन्दर नगर रतनपुर के समस्त क्षेत्र।
- पनकी रोड नई शिवली रोड से बारा शिरोही नहर पुल तक।

- डबल पुलिया से नमक फ़ैक्ट्री चौराहा से शनेश्वर मंदिर होते हुए पनकी रोड तक शनेश्वर मंदिर चौराहा से के.डी.एम.ए. स्कूल होते हुए दलहन चौराहा होते हुए आवास-विकास के सम्पूर्ण क्षेत्र।
- दलहन क्रॉसिंग-से मसवानपुर-चौराहे तक।
- बर्सा विश्व बैंक, दामोदर नगर बर्सा, खाड़ेपुर सम्पूर्ण क्षेत्र।

(चार) 'स' श्रेणी

- जी.टी. रोड इन्द्रानगर होते हुए शुभ संस्कार गेस्ट हाउस तिराहा से सी.एन.जी. पेट्रोल पम्प से मकड़ी खेड़ा से केसा कॉलोनी तक।
- सी.एन.जी. पेट्रोल पम्प से जी.टी. रोड जाने वाले मार्ग रामा डेण्टल अस्पताल रोड से अवधपुरी रोड होते हुए गुरुदेव रोड तक रोडवेज एलन फॉरेस्ट तक।
- कल्यानपुर रेलवे स्टेशन के सामने बिदूर रोड होते हुए डी.पी.एस. स्कूल होते हुए मैनावती मार्ग से जागेशवा मंदिर मार्ग से चिड़ियाघर तक।
- ऐसे क्षेत्र जो ऊपर उल्लिखित नहीं हैं (प्रतिबन्धित क्षेत्रों को छोड़कर)।

28- हटाये जाने की लागत

नियम-12 के उपनियम-(1) में निर्दिष्ट किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट को हटाने या साफ किये जाने की लागत निम्नवत होगी-

- (क) 6.1 मी० X 3.05मी० या उससे कम किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट रु० 10,000/-
को हटाने की वास्तविक लागत
- (ख) ऊपर खण्ड (क) में निर्दिष्ट विज्ञापनों या विज्ञापन पटों से भिन्न किसी रु० 15,000/-
विज्ञापन एवं विज्ञापन पट को हटाने की लागत
- (ग) किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट को साफ करने की लागत रु० 5,000/-
- (घ) निजी भवन पर (छत के ऊपर) किसी विज्ञापन को हटाने की लागत रु० 30,000/-

29- अपराधों के लिए दण्ड और उनका प्रशमन

- (1) इस उपविधि के उपबन्धों का किसी प्रकार का उल्लंघन ऐसे जुर्माने से जो रूपया-10,000/- (दस हजार रुपये) प्रति विज्ञापनपट तक हो सकता है और उल्लंघन करते रहने की दशा में, प्रथम उल्लंघन की दोष सिद्धि के पश्चात्, प्रत्येक ऐसे दिन के लिये, जिस दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहा हो, ऐसे जुर्माने से, जो रु० 500.00 (पाँच सौ रुपये) प्रति विज्ञापनपट प्रतिदिन तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।
- (2) उपनियम(1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, इस उपविधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को अपराध के लिए निर्धारित धनराशि के आधे से अन्यून और तीन चौथाई से अनधिक धनराशि वसूल करने पर नगर आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रशमित किया जा सकता है।
- (3) यदि विज्ञापन एजेन्सियों द्वारा बार-बार उपविधि में दी गयी व्यवस्था के विपरीत कार्य किया जाता है तो उसका पंजीकरण निरस्त करते हुये उसे काली सूची में दर्ज कर 03 वर्ष की अवधि तक प्रतिबन्धित कर दिया जायेगा तथा आगामी वित्तीय वर्ष का नवीनीकरण नहीं किया जायेगा, साथ ही जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

आवश्यकता पड़ने पर उपविधि में संशोधन— उपविधि में अन्य बातों के होते हुए भी यदि भविष्य में किसी नियम अथवा उसके किसी अंश में अथवा विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क की दरों में संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती है तो कार्यकारिणीसमिति/नगर निगम सदन उक्त उपविधि में संशोधन करने के लिये अधिकृत होगी/होगा।

फार्म सं०—
आवेदन मूल्य रु०—1000/--

अनुबंध 1
पंजीकरण फॉर्म
(देखिए उप-विधि 3(1))
नगर निगम कानपुर
बाहरी विज्ञापन प्रदर्शन के लिए पंजीकरण

01. कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 18) या सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम 6) में रजिस्ट्रेशन ब्योरों सहित कम्पनी/फर्म/अभिकरण/स्वामी का नाम :

02. रजिस्टर्ड पता

03. टेलीफोन नम्बर व्यापार

फैक्स ई-मेल पता

04. निदेशकों/स्वामियों/भागीदारों के ब्योरे

क्रम संख्या	फर्म का नाम	डी०आई०एन० नम्बर	मोबाईल नम्बर	ई-मेल पता
(1)				
(2)				

05. कम्पनी के संगम ज्ञापन तथा संगम अनुच्छेद

06. पिछले 03 वर्षों के, विज्ञापन कारोबार में अभिकरण का अनुभव, ब्योरे यदि उपलब्ध है,

07. अभिकरण के प्रत्येक निदेशक के कार्य अनुभव का विवरण,

08. निदेशक का विवरण, जो किसी अन्य अभिकरण के निदेशक रहते हुए किसी मामले में दोषी रहे हो,

09. पिछले 03 वर्षों की बैलेंस शीट, यदि उपलब्ध हो,

10. अभिकरण के प्राधिकृत हस्ताक्षरी के लिए न कि किसी व्यक्ति निदेशक बोर्ड (संकल्प पारित करके) प्राधिकार पत्र,

11. कानपुर नगर निगम में पिछले 05 वर्षों में प्राप्त विज्ञापन अधिकारों/अनुमति के ब्योरे,

12. वचन कि अभिकरण, कानपुर नगर निगम में उसके विरुद्ध कोई राशि लम्बित नहीं है,

13. संस्था की किस्म

14. पैन नम्बर

15. जी०एस०टी० नम्बर

16. पंजीकरण राशि

17. आवेदित विज्ञापन या विज्ञापनपट का प्रकार.....

18. विज्ञापन या विज्ञापनपट का आकार(लम्बाईXचौड़ाई मीटर में).....
19. स्थलीय नक्शे सहित स्थलों की प्रति.....
20. भूमि/भवन या स्थल स्वामी या अध्याशी का नाम.....
21. आवेदक फर्म/कंपनी को पिछले 03 वर्षों में किसी भी सरकारी संस्था द्वारा काली सूची में डाला नहीं गया है, हाँ नहीं
22. आवेदक फर्म/कंपनी में कोई लंबित बकाया नहीं है हाँ नहीं
23. यदि हाँ कुल लंबित राशि का विवरण दें
24. आवेदक फर्म/कंपनी में कोई भी मामला न्यायालय में लंबित नहीं है हाँ नहीं
- मैं/हम, इस इसके द्वारा बनाई गई विज्ञापन उपविधि/पॉलिसी के निबन्धनो तथा शर्तों तथा मार्गदर्शनों का पालन करूंगा/करेंगे। हाँ सहमत
- उपरोक्त सूचीबद्ध सूचना भी सत्य तथा प्रमाणिक है तथा इसके सम्बन्ध में प्रतिकूल निष्कर्ष के मामले में रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा। जमा करें

(ऑफलाइन प्रस्तुतिकरण के मामले में, कृपया इस प्रारूप का प्रिंटाउट ले तथा "नगर आयुक्त, कानपुर नगर निगम में भुगतान योग्य" के पक्ष में नगर निगम कार्यालय में "नगर आयुक्त, कानपुर नगर निगम द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट ऐसी धनराशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट सहित इसे प्रस्तुत करें।)

टिप्पणी :- यह केवल एक प्रतीकी प्रारूप है तथा समय-समय पर के नगर निगम द्वारा रूपान्तरण/संशोधन के अधधीन है। वेबसाइट से नवीनतम संस्करण हमेशा प्रयोग किया जाना है।

आवेदक के हस्ताक्षर/मोहर
नाम.....
पता.....
दूरभाष नम्बर.....

संख्या

दिनांक

सेवा में,

.....
.....

बाहरी विज्ञापनों के प्रदर्शन के लिए ओ.एम.डी. को लगाने के रजिस्ट्रेशन के लिए आपके आवेदन संख्या दिनांक के संदर्भ में है।
श्रीमान जी,

यह बाहरी प्रदर्शन के ओ.एम.डी. को लगाने के लिए नगर निगम से रजिस्ट्रेशन के बारे में आपके आवेदन के संदर्भ में है।
यह सूचित किया जाता है कि आपके आवेदन के विचारण में निम्नलिखित निर्णय लिया गया है :

01. पंजीकरण के लिए आपका आवेदन स्वीकृत कर लिया गया है और आपको एकमात्र पहचान संख्या आवंटित की गई है। कृपया नगर निगम कानपुर में सभी आगामी पत्राचार तथा नगर निगम की वेबसाइट पर आपके लेखे को सक्रिय करने लिए इसका प्रयोग किया जाए।
02. आपकी नई स्वीकृति/नवीनीकरण के लिए आपका आवेदन निम्नलिखित के कारण अस्वीकृत किया गया है—
 - अधूरा आवेदन।
 - दी गई गलत सूचना।
 - नगर निगम में लम्बित देय।
 - काली सूची में डाली गई स्थिति सत्यापित नहीं है।
 - अन्य।

नगर आयुक्त

नगर निगम कानपुर

01. टिप्पणी : आवेदन की अस्वीकृति के मामले में, आप उपरोक्त वर्णित शर्तों की सन्तुष्टि होने पर नया आवेदन कर सकते हैं।
02. टिप्पणी : यह केवल प्ररूपी फारमैट है तथा यह नगर निगम द्वारा समय-समय पर रूपान्तरण/संशोधन के अध्वधीन है।

फार्म सं०—
आवेदन मूल्य रू०—500/—

अनुबंध 3
आवेदन प्रारूप
(देखिए उपविधि 5(1), 5(2))
विज्ञापन एजेंसियों का पंजियन/नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र

केवल कार्यालय प्रयोग हेतु				
जिला	शहर	वार्ड	जोन	परमिट संख्या
सड़क/गली/पता				फोटोग्राफ
दी गई तिथि		आवेदन संख्या		
परमिट जारी करने की तिथि		परमिट सीमा समाप्ति दिनांक		
अनुभाग-1 शुल्क (कोई भी नकद राशि ई-मेल द्वारा स्वीकार नहीं है)				
पंजीकरण/नवीनीकरण का विवरण <input style="width: 100px;" type="text"/>				
खाता नम्बर		बैंक का नाम		IFSC कोड
खाता नम्बर		कुल आवेदन शुल्क		
अनुभाग-2 वर्गीकरण (उपयुक्त डिब्बे का चयन करें)				
किस्म क <ul style="list-style-type: none"> ● बस और IPT शेल्टर <input type="checkbox"/> ● बस तथा IPT मार्ग मार्कर <input type="checkbox"/> ● शौचालय ब्लॉक <input type="checkbox"/> ● साइकिल स्टेशन <input type="checkbox"/> ● पुलिस बूथ <input type="checkbox"/> ● बैठने वाले बैंच <input type="checkbox"/> ● यातायात रुकावट <input type="checkbox"/> ● पइलोन मार्केटिड साधन <input type="checkbox"/> ● मेट्रो/ MRTS/ FOB <input type="checkbox"/> ● सार्वजनिक परिवहन वाहन <input type="checkbox"/> 	किस्म ख <ul style="list-style-type: none"> ● सार्वजनिक भूमि पर <input type="checkbox"/> OMD 	किस्म ग <ul style="list-style-type: none"> ● होर्डिंग <input type="checkbox"/> ● यूनीपोल <input type="checkbox"/> ● भवन बोर्ड <input type="checkbox"/> ● दीवार आवरण <input type="checkbox"/> ● एल.ई.डी./इलेक्ट्रॉनिक <input type="checkbox"/> 	किस्म घ,ङ,च तथा छ <ul style="list-style-type: none"> ● अस्थायी घटना <input type="checkbox"/> ● ट्री गार्ड <input type="checkbox"/> ● स्व विज्ञापन <input type="checkbox"/> ● नवाचार <input type="checkbox"/> 	
अनुभाग-3 आवेदक				
आवेदक का नाम (कृपया फर्म या व्यक्तिगत का मुद्रित या टाईप नाम वांछित परमिट)	निदेशकों के नाम	एक मात्र रजिस्ट्रेशन नम्बर	पैन नम्बर	
ई-मेल पता	शहर	राज्य	कार्यालय का फोन नं./मोबाइल नं.	
स्थायी पता	शहर	राज्य	पिन कोड	

.....				
अनुभाग-4 सम्पत्ति				
सरकारी <input type="checkbox"/>		निजी <input type="checkbox"/>		
सम्पत्ति स्वामी का नाम (व्यक्ति के नियन्त्रण में सम्पत्ति)	पता	शहर	पिन कोड	फोन नं.
अनुभाग-5 विज्ञापनपट प्रचार स्थान सूचना				
क्षेत्र	स्थान : खसरा नं.	सेक्टर नं. गली	सीमा चिन्ह	
भू-समन्वय:- देशान्तर/अक्षांश				
अनुभाग-6 प्रचार की विशिष्टता				
अनुभाग-7 विगत वर्षों के अवशेष की स्थिति				
अनुभाग-8 निर्धारित धरोहर धनराशि, एन0एस0सी0/राष्ट्रीयकृत बैंकों की सावधि जमा रशीद (एफ0डी0आर0) के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा, जो मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, कानपुर नगर निगम के नाम बंधक होगी एवं जो रिफंडेबुल होगी, का विवरण				
ऊँचाई	लम्बाई	आकार (वर्ग मीटर में)		
सामग्री धातु <input type="checkbox"/> लकड़ी <input type="checkbox"/> अन्य <input type="checkbox"/>	प्रदीप्ति हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>	प्रचार की दिशा पूर्व <input type="checkbox"/> पश्चिम <input type="checkbox"/> उत्तर <input type="checkbox"/> दक्षिण <input type="checkbox"/>		
अनुभाग-9 अपेक्षित दस्तावेज				
निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करे-				
<ul style="list-style-type: none"> निदेशक की जानकारी भवन परमिट/सम्पत्ति कर पैन नम्बर जी.एस.टी. नम्बर संरचनात्मक इंजीनियर सम्पत्ति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र मालिक और विज्ञापन एजेंसी के बीच अनुबंध करार विज्ञापन स्थलों के साथ सहित शहर की योजना जी.पी.एस. अवस्थिति सहित OMD का समकक्ष स्थल के फोटो (स्वामी तथा अभिकरण द्वारा हस्ताक्षरित) साइट का नज़री नक्शा (मालिक और प्रोपराइटर द्वारा हस्ताक्षरित) लम्बित देय (यदि कोई हो) 		<ul style="list-style-type: none"> अपलोड अपलोड अपलोड अपलोड अपलोड अपलोड अपलोड अपलोड अपलोड अपलोड 		

- वास्तुशिल्पीय ड्राईंग (उत्थापन, माप मापक्रम) 1:1000 (मालिक और प्रोपराइटर द्वारा हस्ताक्षरित) अपलोड

में/हम, इसके द्वारा, नगर निगम द्वारा बनाई गई उप-विधियों के सभी उपबन्धों का पालन करूंगा/करेंगे। (आफलाइन प्रस्तुतिकरण के मामले में, कृपया इस प्ररूप का प्रिन्ट आउट लें तथा आयुक्त का नगर निगम में भुगतानयोग्य के पक्ष में आयुक्त, नगर निगम द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसी धनराशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट सहित इसे प्रस्तुत करें)

जमा करें

टिप्पणी : यह केवल प्रतीकी (प्ररूपी) फारमैट है तथा समय-समय पर नगर निगम द्वारा रूपान्तरण/संशोधन के अधीन है। वेबसाइट से नवीनतम विवरण का हमेशा प्रयोग किया जाना है।

आवेदक के हस्ताक्षर/मोहर

नाम—

पता—

दूरभाष नं०—

अनुबंध 4

(देखें उपविधि 7(4))

नगर निगम द्वारा अनुमोदन पत्र

दिनांक

संख्या

सेवा में,

.....

.....

विज्ञापन के प्रदर्शन के लिए नये ओ.एम.डी की स्थापना के/नवीकरण लिए आपके आवेदन संख्या..... दिनांक..... के संदर्भ में।

श्रीमान जी,

नगर निगम..... में आपकी कम्पनी/ फर्म/अभिकरण द्वारा बाहरी विज्ञापन के प्रदर्शन के लिए ओ.एम.डी की स्थापना/के नवीकरण के बारे में आपके आवेदन के संदर्भ में है। यह सूचित किया जाता है कि आपके आवेदन के विचारण में निम्नलिखित निर्णय लिया गया है :-

01. नये मीडिया/नवीकरण के लिए आपका आवेदन.....के नगर निगम की सीमाओं.....जोन/वार्ड के भीतर(स्थान)..... पर (आकार)(वर्ग फुट में)को (दिनांक) से (दिनांक) तक बाहरी मीडिया के निर्माण/प्रदर्शन के लिए स्वीकृत किया गया है। आपको, इसके द्वारा, इस पत्र के जारी होने के सात दिन के भीतर.....रूपये की मासिक फीस जमा कराने के लिए निर्देशित किया जाता है।
02. नई ओ.एम.डी. के लिए आबंटित एकमात्र आई.डी..... है। नये मीडिया/नवीकरण के लिए आपका आवेदन निम्नलिखित के कारण अस्वीकार किया जाता है :-

- अधूरा आवेदन।
- दी गई गलत सूचना।
- नगर निगम में लम्बित देय।
- काली सूची में डाली गई स्थिति सत्यापित नहीं है।
- अन्य।

नगर आयुक्त
नगर निगम कानपुर
तारीख

उपरोक्त की प्रति श्री _____ (सम्पत्ति का स्वामी), पता _____ की सूचना के लिए सूचित करते हुए तथा कथित करते हुए कि आप दायी होंगे यदि अभिकरण जिसके साथ आपने संविदा करार की है (प्रति सलंगन)। उपरोक्त जारी अनुमति के दृष्टिगत नगर की ओर किन्हीं देयों के भुगतान में चूक की है और नगर निगम को कानपुर, नगर निगम अधिनियम 1994, (1994 का 16), की धारा 130 के उपबन्धों के अधीन ऐसी सम्पत्ति के कुर्का या विक्रय के रूप में चूक में राशि की वसूली करने का अधिकार होगा। आगे, उपरोक्त वर्णित अवधि की समाप्ति के बाद आप द्वारा किसी प्रकार के अप्राधिकृत प्रस्ताव में आप दायी ठहराये जाएंगे।

नगर आयुक्त
नगर निगम कानपुर

टिप्पणी : आवेदन की अस्वीकृति के मामले में आप उपरोक्त वर्णित शर्तों की सन्तुष्टि होने पर नया आवेदन कर सकते हैं।
टिप्पणी : यह केवल प्ररूपी फारमैट है तथा यह समय-समय पर नगर निगम द्वारा रूपान्तरण/संशोधन के अधीन है।

अनुबंध 5
(देखे उपविधि 15)

वर्गीकरण	वर्गीकरण का प्रकार
क.	प्रारूप वर्गीकरण क : सार्वजनिक परिवहन सेवाओं/गली फर्नीचर तथा सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पर ओ.एम.डी.
क1	बस तथा मध्यवर्ती आश्रयों का सार्वजनिक परिवहन (IPT)
क2	बस और IPT मार्ग मार्करों
क3	फुट ओवर ब्रिज, साइनेज, गैपट्री, शौचालय ब्लॉक और मूत्रालय
क4	साइकिल स्टेशन
क5	पुलिस बूथ, पार्किंग बूथ, टैलीफोन बूथ, पूर्व भुगतान टैक्सी बूथ, बस/रेल बुकिंग सूचना बूथ, पेयजल सुविधा, निर्देशिका/बिलों के भुगतान इत्यादि को सूकर बनाने के लिए कालोनियों के बाहर लोक उपयोगिता कियोस्क
क6	बैठने की बेंच, कचरे का डिब्बा
क7	मैट्रो/एम.आर.टी.एस.
क8	यातायात बैरीकेडिंग
क9	सार्वजनिक परिवहन वाहन
ख	वर्गीकरण ख : सार्वजनिक भूमि पर वाणिज्यिक विज्ञापन संरचना पर ओ.एम.डी.
ख1	सार्वजनिक भूमि पर OMD
ग	वर्गीकरण ग : निजी भूमि पर वाणिज्यिक विज्ञापनपट पर OMD
ग1	यूनीपोल, होर्डिंग, बिल बोर्ड
ग2	दीवार आवरण/दीवार चित्रकारी
ग3	विभिन्न प्रकार के OMD
घ	वर्गीकरण घ : कार्यक्रम
घ1	धार्मिक, राजनीतिक और सम्मेलन
घ2	मनोरंजन और प्रदर्शन कार्यक्रम
ङ	वर्गीकरण ङ : भू-दृश्य विज्ञापन

ड1	ट्री गार्ड
च	वर्गीकरण च : दुकान संकेतक
च1	स्वतः विज्ञापन
छ	वर्गीकरण जी : अभिनव विज्ञापन
छ1	नवाचार विज्ञापन
ज	वर्गीकरण ज : सिनेमा विज्ञापन
ज1	स्क्रीन विज्ञापन पर सिनेमा में, जिसमें खिसकना (स्टाईड) तथा विज्ञापन फिल्म गतिमान विज्ञापन शामिल हैं
झ	वर्गीकरण झ : आन्तरिक वाणिज्यिक भवन और सार्वजनिक भवन
झ1	आन्तरिक वाणिज्यिक भवन और सार्वजनिक भवन

समर्थित संरचना चमकीली (चमचमाती) रूकावट के लिए गैर-परावर्तक से परिष्कृत होगी। ओ.एम.डी संरचना को हर सभी समय भली-भांति अनुरक्षित किया जाएगा। इसे ऐसे रंग से रंगा जाएगा जो आस-पड़ोस से संगत हो, तथा उसको बढ़ावा दें।

अनुबंध 6
(देखिए उपविधि 6)

मानक संविदा करार

यह करार आयुक्त, नगर निगम, जिसे, इसमें, इसके बाद प्रथम पक्षकार के रूप में निर्दिष्ट किया गया है (जिसकी अभिव्यक्ति जब तक संदर्भ अर्थ के प्रतिकूल नहीं होगी तथा इसमें उसके प्रथम पक्षकार के उत्तराधिकारी तथा समनुदेशिनी शामिल हैं) के द्वारा नगर निगम, (लाईसंसर) जिसका कार्यालय..... में है, के बीच दिनांक-----को (शहर का नाम) में किया गया है।

तथा

इसमें, इसके बाद, द्वितीय पक्षकार के रूप में निर्दिष्ट बाहरी मीडिया अभिकरण के रूप में नगर निगम से पंजीकृत अपना पंजीकृत कार्यालय..... में रखने वाली फर्म मेसर्स के श्री/श्रीमती, (स्वामी/भागीदार/निदेशक) जब तक अभिव्यक्ति संदर्भ या उसके अर्थ के प्रतिकूल नहीं होगी। इसमें द्वितीय पक्षकार के उत्तराधिकारी समनुदेशिनी भी शामिल है।

चूंकि द्वितीय पक्षकार ने..... में स्थित, श्री/श्रीमती द्वारा स्वामित्वाधीन भूमि/भवन पर बाहरी मीडिया यन्त्र के प्रदर्शन के लिए आवेदन किया है जिसके लिए द्वितीय पक्षकार ने हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 121 तथा कानपुर नगर निगम विज्ञापन उप-विधियों, 2018 के उपबन्धों के अधीन होर्डिंग के निर्माण तथा प्रदर्शन के लिए अपनी सम्पत्ति में विज्ञापन के प्रदर्शन के लिए, आवेदन आईडी----- द्वारा उपरोक्त निर्दिष्ट स्वामी----- के परिसर में दिनोंक-----से-----तक-----अवधि के लिए प्रथम पक्षकार को आवेदन किया है, सम्पत्ति के स्वामी के साथ द्विपक्षीय करार किया है।

इसलिए, अब, यह करार साक्षी है तथा यह इसके द्वारा निम्नलिखित रूप में इसके पक्षकारों द्वारा तथा के बीच किया गया है:

01. कि द्वितीय पक्षकार इसके द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित कानपुर नगर निगम अधिनियम, 1994 तथा कानपुर नगर निगम विज्ञापन उप-विधियों, 20..... के उपबन्धों का पालन करने के लिए स्पष्ट रूप से सहमत है तथा वचन लिया है।
02. कि द्वितीय पक्षकार इसके द्वारा तीन मास के नोटिस पर करार के समापन के लिए स्पष्ट रूप से सहमत है। संविदा करार के निबन्धनों तथा शर्तों की चूक की दशा में करार तुरन्त समापनीय हो जाएगा।
03. कि द्वितीय पक्षकार इसके द्वारा वचन देता है कि होर्डिंग के संनिर्माण तथा विज्ञापन का प्रदर्शन स्वामियों से सम्बन्धित भवन या अड़ोस-पड़ोस भवन तथा /या परिसरों की वायु, प्रकाश तथा संवातन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा या में कोई बाधा नहीं करेगा।
04. द्वितीय पक्षकार इसके द्वारा आगे सहमत है तथा वचन देता है कि वे इसमें इसके बाद हर समय नगर निगम तथा आयुक्त या इनमें से दोनों को किसी किस्म के जंतुओं जो उनके विरुद्ध संस्थित किए जाएं तथा दावाकृत हो, की गई किसी स्वरूप की सभी कार्यवाही, कार्यों, वाद, लागत, दावे, नुकसान, मागों से अहानिकर तथा सुरक्षित रखेंगे।
05. द्वितीय पक्षकार आगे सहमत है तथा वचन देता है कि वे प्रथम पक्षकार द्वारा उनके विरुद्ध किये गये किसी दावे, वाद तथा दायित्वों के लिये दायी होंगे।
06. कि द्वितीय पक्षकार इसके द्वारा आगामी वर्ष के लिये वार्षिक लाईसंस फीस अग्रिम में समय पर जमा करवाने के लिये सहमत है। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अग्रिम फीस भुगतान वार्षिक लाईसंस फीस की समाप्ति से तीस दिन पूर्व जमा हो गई है, जिसमें असफल होने पर अनुज्ञा रद्द किये जाने के लिए दायी है। फीसों के जमा न करने के मामले में करार तुरन्त समाप्त हो जाएगा तथा द्वितीय पक्षकार द्वारा प्रस्तुत बैंक गारन्टी जब्त हो जाएगी तथा लम्बित देय, यदि कोई हो, समायोजित किये जाएंगे।

07. कि द्वितीय पक्षकार समय-समय पर यथा संशोधित कानपुर नगर निगम विज्ञापन उपविधियां, 20..... की उप-विधि में यथा परिभाषित ओएमडी का उचित अनुरक्षण सुनिश्चित करेगा। अनुपालन के मामले में, करार तुरन्त समाप्त हो जाएगा तथा उपविधियों में यथा विहित शासित फर्म पर अधिरोपित की जाएगी।
08. कि दोनों पक्षकार इसके द्वारा सहमत हैं कि यह करार द्वितीय पक्षकार तथा होर्डिंग के सनिर्माण तथा विज्ञापन प्रदर्शन के लिए भूमि/भवन के स्वामी के बीच हस्ताक्षरित द्विपक्षीय करार को असामयिक समाप्ति तथा समाप्ति पर समाप्त किया गया समझा जाएगा।
09. कि प्रथम पक्षकार तथा द्वितीय पक्षकार अभिवेदन तथा समर्थन करता है कि वे इस करार पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हैं। इसके साथ ही पक्षकार ने इसमें, इसके ऊपर पहले वर्णित दिन, मास तथा वर्ष को इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा मोहर लगा दी है। निम्नलिखित द्वारा दिनांक को हस्ताक्षरित कर दिया है, मोहर लगा दी है तथा डिलीवर कर दिया है प्रथम पक्षकार का प्रतिनिधि द्वितीय पक्षकार का प्रतिनिधि

नाम : पदनाम :
 गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर : नाम :
 नाम : पदनाम :

15. विज्ञापनकर्ताओं को चार वर्गों में वर्गीकरण किया गया है जो निर्धारित सीमा के अर्न्तगत ही कार्य करेंगे।

श्रेणी	विज्ञापन क्षेत्र वर्गमीटर में	पंजीकरण शुल्क	धरोहर धनराशि	नवीनीकरण धनराशि
"अ"	601 वर्गमीटर से अधिक	रु० 50.000.00 (पचास हजार)	2,00,000,00 (दो लाख रुपये)	रु० 30,000 /- (तीसहजाररुपये),
"ब"	401 से 600 वर्गमीटर तक	रु० 30.000.00 (तीस हजार)	1,50,000,00 (एक लाख पचास हजार रुपये)	रु० 20,000 /- (बीसहजाररुपये),
"स"	101 से 400 वर्गमीटर तक	रु० 20.000.00 (बीस हजार)	1,00,000,00 (एक लाख रुपये)	रु० 10,000 /- (दस हजार)
"द"	100 वर्गमीटर तक	रु० 15.000.00 (पन्द्रह हजार)	75,000,00 (पछत्तरहजार रुपये)	रु० 5000 /- (पाँच हजार)



अनुसूची-2

(नियम 26 देखें)

विज्ञापन और विज्ञापन पट पर अनुज्ञा शुल्क की दरें

1. निगम द्वारा स्वामित्वाधीन भूमि, दीवाल और भवन, सार्वजनिक स्थलों और सड़कों पर विज्ञापन या विज्ञापन पट के निर्माण और प्रदर्शन के लिए -
 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष प्रवर श्रेणी: रु० 3200 /- प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

“अ” श्रेणी	:	रु0 2400/- प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
“ब” श्रेणी	:	रु0 2000/- प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
“स” श्रेणी	:	रु0 1600/- प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

2. यूनीपोल (एक स्तम्भ)

प्रवर श्रेणी	:	रु0 5000/- प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
“अ” श्रेणी	:	रु0 4000/- प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
“ब” श्रेणी	:	रु0 3000/- प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
“स” श्रेणी	:	रु0 2000/- प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

3. विद्युत पोल/ट्री गार्ड/फ्लावर पांट/जनसुविधा पर विज्ञापन पट -

प्रवर श्रेणी	:	रु0 5000/- प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
“अ” श्रेणी	:	रु0 4000/- प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
“ब” श्रेणी	:	रु0 3000/- प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
“स” श्रेणी	:	रु0 2000/- प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

4. बस सायबान(बस शेल्टर)/पुलिस बूथ/ट्राफिक आइलैण्ड/कैन्टीलीवर पोल/गैन्ट्री पोल

प्रवर श्रेणी	:	रु0 6000/- प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
“अ” श्रेणी	:	रु0 5000/- प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
“ब” श्रेणी	:	रु0 4000/- प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
“स” श्रेणी	:	रु0 3000/- प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

5.(1). इलेक्ट्रानिक/एल0ई0डी0 अथवा अन्य डिजीटल माध्यम से प्रकाशित/संचालित विज्ञापनपटों हेतु उपरोक्त क्रम संख्या- 01 से 04 तक निर्दिष्ट दरों पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त अनुज्ञा शुल्क देय होंगी।

(2) ट्यूबलाइट, एल0ई0डी0 लाइट, सोडियम लाइट बल्ब व अन्य माध्यम से प्रकाशित/संचालित विज्ञापन पट हेतु उपरोक्त क्रम संख्या- 01 से 04 तक निर्दिष्ट दरों का 50 प्रतिशत अतिरिक्त अनुज्ञा शुल्क देय होगा।

3. निजी भूमि/भवनो पर प्रदर्शित विज्ञापनों हेतु उपरोक्त क्रम संख्या- 01 व 02 के निर्दिष्ट दरों का 75 प्रतिशत अनुज्ञा शुल्क देय होगा।

6. (1) शक्ति चालित चार पहिया वाहन पर विज्ञापन (सड़क प्रदर्शन को छोड़कर)		
हल्का वाहन	:	10,000/- रूपया प्रतिवर्ष प्रति वाहन
भारी वाहन	:	40,000/- रूपया प्रतिवर्ष प्रति वाहन

- (2) सड़क प्रदर्शन निम्नलिखित दर पर -
- | | | | |
|-------|------------------------|---|--|
| (एक) | तीन पहिया | : | रु0 300/- प्रति दिन |
| (दो) | चार पहिया | : | रु0 1,000/- प्रति दिन |
| (तीन) | छः पहिया | : | रु0 1,500/- प्रति दिन |
| 7. | पोस्टर | | रु0 1,000/- प्रति सैकड़ा |
| 8. | परचा (हैण्ड बिल) | | रु0 2,000/- प्रति हजार |
| 9. | पताका (बैनर) | | रु0 300/- प्रति बैनर |
| 10. | गुब्बारे | | रु0 1,000/- प्रति गुब्बारा प्रति दिन |
| 11. | छतरी (कैनोपी) | | रु0 500/- प्रति छतरी (कैनोपी) प्रतिदिन |
| 12. | आटो रिक्शा (श्री विलर) | | रुपया 2,000/- प्रति वर्ष प्रति आटो |
| 13. | बसो पर | | रुपया 5,000/- प्रति वर्ष प्रति बस |
14. दीवारो पर वॉल राइटिंग - अनुज्ञा शुल्क की दर मद संख्या 1 के अनुसार
15. रेलवे की जमीन पर लगने वाली होर्डिंग जिस का भाग सड़क के सम्मुख होने की दशा मे अनुसूची-2 में अंकित अनुज्ञा शुल्क की दरों के कमांक 1 के अनुसार 75 प्रतिशत देय होगा।
16. उत्सव, मेला, प्रदर्शनी, सर्कस तथा इस प्रकार जनता को आकर्षित करने वाले प्रदर्शन पर न्यूनतम 03 माह का अनुज्ञा शुल्क मद सं0-1 के अनुसार लिया जायेगा।
- (क) रेडियो चैनल से उद्घोषणा द्वारा विज्ञापन दर - रु0 1.00 प्रति सेकेण्ड
- 17 ध्वनि विस्तारक यंत्र रु0 200/- प्रति बाक्स/स्पीकर प्रतिदिन
18. जिन मदों का उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है, उनका अनुज्ञा शुल्क मद-1 के अनुसार देय होगा।
19. निजी भूमि/भवन पर स्ट्रैक्चर लगाने से पूर्व भवन की मजबूती, स्ट्रैक्चरल इंजीनियर से भवन की गुणवत्ता सुदृढीकरण का प्रमाण पत्र भवन स्वामी का अनुबन्धनामा, विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद का अनापत्ति प्रमाण पत्र सम्बन्धित को प्रस्तुत करना होगा।
20. इस अनुसूची के निर्दिष्ट अनुज्ञा शुल्क की दरें अनुवर्ती वित्तीय वर्ष जिसमें यह उपविधि प्रवृत्त हुई हो, के दो वित्तीय वर्षों की समाप्ति के बाद 10 प्रतिशत तक बढ़ी हुई समझी जायेंगी। तत्पश्चात् इसी प्रकार की वृद्धि प्रत्येक दो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी होगी।
21. अनुज्ञा शुल्क अग्रिम रूप से संदेय योग्य होगा।
22. स्वीकृत विज्ञापन पट/यूनीपोल/गैन्ट्री/कैन्टीलीवर के लिये जोनवार अलग-अलग रंग निर्धारित करके नगर निगम स्तर से चिन्हाकन करना अनिवार्य होगा।

23.नगर आयुक्त को किसी भी विज्ञापन पट को भारत सरकार व राज्य सरकार की योजनाओं के लिये अधिकृत करने का अधिकार होगा और उसके के लिये कोई क्षतिपूर्ति देय न होगी।

स्पष्टीकरण :

01. यदि कोई विज्ञापनकर्ता किसी विज्ञापन को 3 माह से अधिक अवधि के लिए प्रदर्शित करना चाहता है तो नगर आयुक्त निर्देश दे सकते हैं कि अनुज्ञा शुल्क मासिक आधार पर आगणित होगा। सम्पूर्ण धनराशि एक बार में जमा करायी जाएगी।

03. अनुज्ञा शुल्क के सभी अवशेष अधिनियम के अध्याय इक्कीस के अनुसार वसूली योग्य होंगे।

श्री मो० अमीम ने कहा कि बेनाझाबर से लेकर नरेन्द्र मोहन सेतु तक लगभग 50 होर्डिंग्स लगी हुई है, क्या वह सब वैध है ? नगर निगम की विज्ञापन कर नियमावली स्थगित थी, तो किस नियम के तहत विज्ञापन शुल्क वसूला जा रहा है। विज्ञापन कर की पुरानी नियमावली के स्थान पर नई नियमावली लागू किये जाने पर नगर निगम के राजस्व में कितनी वृद्धि होगी और नई नियमावली में पुरानी नियमावली के किन-किन बिन्दुओं को हटाकर उनके स्थान पर किन नये बिन्दुओं को जोड़ा गया है ?

सभापति ने पूँछा कि विज्ञापन एजेन्सियों द्वारा मा० उच्च न्यायालय से स्थगनादेश कब प्राप्त किया गया और वह कब समाप्त हुआ ? वसूली किस आधार पर की जा रही है। पूरा शहर अवैध होर्डिंग्स से पटा पड़ा है, इसके लिये जनता आरोप लगा रही है। इस सम्बन्ध में मैंने पूर्व नगर आयुक्त व वर्तमान नगर आयुक्त को भी निर्देश दिये थे कि सरकारी होर्डिंग्स छोड़कर समस्त अवैध होर्डिंग्स को हटवा दिया जाये। लखनऊ नगर निगम में विज्ञापन शुल्क के मद में लगभग रू० 13-15 करोड़ की वसूली की जा रही है। कानपुर नगर निगम में किन कारणों से विज्ञापन शुल्क की वसूली नहीं हो पा रही है। नगर निगम धनाभाव के कारण महत्वपूर्ण पर्व दुर्गापूजा व रामलीला स्थलों पर विगत वर्षों की भौंति कार्य नहीं कराये जा पा रहे हैं। नगर आयुक्त जी यह दिखवा लें कि क्या गृहकर की लक्ष्य के सापेक्ष वसूली की जा रही है अथवा नहीं ? मैं आश्चर्य करना चाहती हूँ कि यदि नगर निगम में गृहकर की वसूली लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत सुनिश्चित कर ली जाये, तो कोई भी विकास कार्य अवरूद्ध नहीं होंगे।

उपसभापति ने कहा कि सचान गेस्ट हाउस से सी०टी०आई० होते हुये रतनलाल नगर मोड़ तक अवैध होर्डिंग्स लगी पड़ी है, कहीं-कहीं तो यह स्थिति है कि एक साइड का विज्ञापन शुल्क लिया गया है, परन्तु होर्डिंग्स 10 स्थानों पर लगाई गई है। पूरे कानपुर महानगर में अवैध होर्डिंग्स श्री अरूण कुमार चौधरी द्वारा हटवाई जा रही है, जबकि पूर्व में जोनल अधिकारियों द्वारा अपने-अपने जोन में लगी अवैध होर्डिंग्स को हटवाया जाता था, इसका भी असर पड़ रहा है। अतः कार्य की महत्ता के दृष्टिगत दोनों अपर नगर आयुक्तों के मध्य जोनों का विभाजन करते हुये समिति के माध्यम से अवैध होर्डिंग्स हटवाते हुये वसूली सुनिश्चित की जाये।

श्री अरूण कुमार चौधरी, प्रभारी अधिकारी 'विज्ञापन' ने अवगत कराया कि केन्द्र सरकार द्वारा जी०एस०टी० लागू किये जाने की वजह से एकल कर व्यवस्था सुनिश्चित हुई है, जिससे विज्ञापन कर नहीं लिया जा सकता है ? उसके स्थान पर नगर निगम की भूमि पर लगे यूनीपोल/विज्ञापन पटों से

विज्ञापन शुल्क/साइट किराया के रूप में धनराशि वसूलने हेतु नियमावली तैयार की गई है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि मा० उच्च न्यायालय द्वारा एजेन्सियों को स्थगनादेश पारित करने पर नगर निगम की पैरवी से उसे समाप्त कराया गया, परन्तु प्रकरण मा० सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री महेन्द्र पाण्डेय 'पप्पू' ने कहा कि श्री अरूण कुमार चौधरी जो विज्ञापन के प्रभारी हैं, इन्हें चूँकि कुछ समय पूर्व ही विज्ञापन का चार्ज दिया गया है इसलिये विज्ञापन के सम्बन्ध में इनको पूरी जानकारी नहीं है। अतः उचित होगा कि नियमावली को स्वीकृत कर सदन को अग्रसारित कर दिया जाये तदनुसार फिर नगर निगम एजेन्सियों से आपत्तियाँ माँग कर अग्रेत्तर कार्यवाही करायेगा।

सभापति ने कहा कि पूर्व में भी मैंने सुझाव दिया था कि यदि नगर निगम अवैध होर्डिंग्स नहीं हटा पा रहा है तो अवैध होर्डिंग्स हटवाये जाने हेतु टेण्डर करवा दिया जाये, परन्तु अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जैसा कि श्री चौधरी कह रहे हैं कि वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पैरवी करायेंगे, उस पर भी मुझे शंका है, क्योंकि जब नगर निगम के अधिकारियों द्वारा सभी भवनों से गृहकर की वसूली नहीं की जा पा रही है तो नगर निगम के अधिवक्ता माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पैरवी कैसे करेंगे।

नगर आयुक्त ने कहा कि क्या जोनल अधिकारियों को वैध व अवैध होर्डिंग्स के स्थल पता है। जोनल अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से यह कहकर नहीं बच सकते हैं, कि विज्ञापन कर का केन्द्रीकरण कर दिया गया है। यह जोनल अधिकारियों का ही कार्य है कि वह अवैध होर्डिंग्स को हटवायें। मा० समिति के सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूँ कि यह नियमावली तैयार कराई गई है, जो तत्काल लागू नहीं होगी। सर्वप्रथम कार्यकारिणी समिति के माध्यम से सदन की स्वीकृतोपरान्त समाचार पत्रों में यह नियमावली प्रकाशित करते हुये आपत्तियाँ माँगी जायेंगी, उन आपत्तियों के निस्तारण हेतु एक समिति बनाई जायेगी, सुनवाई के उपरान्त इसमें यथा संशोधन करते हुये इसे गजट किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश शासन को अग्रसारित किया जायेगा। साथ ही महानगर से अवैध होर्डिंग्स हटवाये जाने हेतु जोन-1, 2, 3 अपर नगर आयुक्त 'प्रथम' तथा जोन-4, 5, 6 अपर नगर आयुक्त 'द्वितीय' को अधिकृत किया जाता है। श्री अरूण कुमार चौधरी तदनुसार समन्वय बनाकर कानपुर महानगर से अवैध होर्डिंग्स हटवायेंगे और विज्ञापन शुल्क की वसूली सुनिश्चित करेंगे।

..... कानपुर नगर निगम (विज्ञापन पर अनुज्ञा शुल्क का निर्धारण व वसूली) उपविधि, 2018 को स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या-94

माननीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष सीवर सफाई टैंकर से यूजर चार्ज वसूलने हेतु उप-विधि का प्रस्ताव स्वीकृतार्थ प्रेषित।

प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 541 (42) के अर्न्तगत नगर निगम कानपुर सीमा के अर्न्तगत स्थित सीवर टैंको की सफाई व उससे निकलने वाले दूषित जल व मल का निस्तारण हेतु प्रयोग में आने वाले सीवर सफाई टैंकर से यूजर चार्ज वसूलने हेतु उप-विधि

प्रस्तावित की है जो नगर निगम के सीमान्तगत क्षेत्र में सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होगी।
सीवर सफाई टैंकरो से यूजर चार्ज लिये जाने हेतु उप-विधि

1. यह उप-विधि सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषा :-

- (1) नगर निगम:- नगर निगम का तात्पर्य नगर निगम, कानपुर से है।
- (2) यूजर चार्ज क्षेत्र:- यूजर चार्ज क्षेत्र से तात्पर्य नगर निगम, कानपुर की सीमा व भविष्य में विस्तारण के फलस्वरूप संशोधित सीमायें इसमें सम्मिलित मानी जायेंगी।
- (3) नगर आयुक्त:-नगर आयुक्त का तात्पर्य नगर निगम कानपुर के नगर आयुक्त से है।
- (4) प्राधिकृत अधिकारी:-प्राधिकृत अधिकारी से तात्पर्य नगर निगम कानपुर के उन अधिकारियों से है जिन्हें नगर आयुक्त समय-समय पर इन उप विधियों के अर्न्तगत आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अधिकृत करें।
- (5) यूजर चार्ज शुल्क:- यूजर चार्ज का तात्पर्य उस चार्ज से है जो नगर निगम की सीमा में नगर आयुक्त अथवा प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के अर्न्तगत नगर निगम की किन्ही सेवाओं /संसाधनों के प्रयोग के बदले वसूल किया जायेगा।
- (6) यूजर चार्ज इस शुल्क उप-विधि के नियम-10 के अर्न्तगत दर्शायी गयी तालिका में उल्लिखित दरों के अनुसार वसूल किया जायेगा।
- (7) यूजर चार्ज नगर निगम के कर्मचारी या इस कार्य हेतु निर्धारित एजेन्सी द्वारा वसूल किया जायेगा। बिना रसीद के कोई शुल्क प्राप्त नहीं किया जायेगा। रसीद में दिनांक, मास व वर्ष एवं अवधि का स्पष्ट उल्लेख होगा। शुल्क भुगतान- कर्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह रसीद अपने पास सुरक्षित रखे और नगर निगम के पदाधिकारियों एवं अधिकार प्राप्त कर्मचारियों के माँगने पर तुरन्त प्रस्तुत करें। ऐसे अधिकारी निरीक्षण के उपरान्त रसीद वापस कर देंगे। निगम के कर्मचारी द्वारा लिया गया शुल्क अगले कार्य दिवस (अर्थात् 24 घन्टे के अन्दर) में प्रत्येक दशा में निगम कोष में जमा किया जायेगा। जिसकी जाँच समय-समय पर नगर आयुक्त एवं उनके द्वारा नामित अधिकारी अथवा लेखाधिकारी द्वारा की जायेगी।
- (8) यूजर चार्जस, सीवर टैंक के दूषित जल व मल के शोधन हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले सीवर सफाई टैंकरो के प्रयोग व उसका निस्तारण नगर निगम द्वारा निर्धारित एस0टी0पी0 (सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट) स्थल पर किये जाने के लिये वसूल किया जायेगा।
- (9) यूजर चार्जस भुगतान न करने की दशा में नगर आयुक्त या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को इस उप-विधि में वर्णित की गयी दरों के अतिरिक्त 20 (बीस) गुना तक शमन शुल्क (कम्पाउडिंग फीस) वसूल करने का अधिकार होगा।
- (10) सफाई सीवर टैंकर प्रयोग करने के लिये निर्धारित यूजर चार्ज

क्र० सं०	पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क	सीवर टैंक के भवन स्वामी से लिये जाने वाली धनराशि	निजी सीवर सफाई टैंकर स्वामी से लिये जाने वाली धनराशि	निस्तारण स्थल
	1000 रु० प्रतिवर्ष	600 रु० प्रति टैंकर	3500 रु० प्रति सफाई सीवर टैंकर प्रति माह	नगर निगम द्वारा निर्धारित एस0टी0पी0स्थल

शास्ति

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 550 में प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुये नगर निगम निश्चित करती है कि इस उप-विधि के किसी भी नियम का उल्लंघन करना दण्डनीय अपराध होगा, जो रूपया 500/- (पाँच सौ) तक हो सकता है और निरन्तर बने रहने की दशा में अतिरिक्त अर्थ दण्ड भी देय होगा जो सर्व प्रथम दोष सिद्ध के दिनांक या नगर आयुक्त अथवा निगम के किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिये गये लिखित नोटिस के दिनांक से प्रत्येक दिवस के लिये जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाय कि जिसमें अपराधी अपराध करता रहा है, तो रूपया 1000/- (एक हजार) प्रतिदिन अर्थ दण्ड वसूला जायेगा।

उप-विधि से सम्बंधित दिशा निर्देश

सीवर सफाई टैंकर पर कार्यरत ड्राइवर व हेल्पर को जनसुरक्षा सम्बन्धी उपकरण दस्ताने, मास्क, टूल आदि तथा परिचय पत्र पूर्ण पता एवं मोबाईल नम्बर सहित रखना होगा । यदि इसका उल्लंघन करते हुये कोई पाया जाता है, तो उसे प्रस्तावित शास्ति के अनुसार दण्ड वसूला जायेगा ।

01- नगर निगम द्वारा निर्धारित स्थलों के अतिरिक्त यदि अन्य स्थल पर टैंकर खाली करते पाये जाने पर टैंकर स्वामी से अर्थ दण्ड वसूला जायेगा ।

02- सीवरेज ट्रीटमेन्ट में खाली करने वाले टैंकर स्वामी, चालक, हेल्पर व टैंकर का लेखा जोखा रखना अनिवार्य होगा । इसके साथ-साथ प्रत्येक टैंकर चलाक लॉक-बुक का रखरखाव भी सुनिश्चित करना होगा तथा प्रत्येक टैंकर पर मोबाईल नम्बर अंकित करना होगा ।

03- नगर निगम द्वारा दिनांक 19.11.2017 को समाचार पत्रों के माध्यम से मा0 एन0 जी0 टी0 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में सुनिश्चित करने हेतु सरकारी/निजी सीवर सफाई टैंकर स्वामियों को संसूचित किया जा चुका है । इसका तदनुसार अनुपालन सम्बंधित को करना होगा ।

..... पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क में दर्शायी गई धनराशि रू0 1000/- प्रतिवर्ष के स्थान पर रू0 1500/- तथा सीवर टैंक के भवन स्वामी से लिये जाने वाली धनराशि को रू0 600/- के स्थान पर रू0 1000/- संशोधित करते हुये स्वीकृत प्रदान कर सदन को अग्रसारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या-95

मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ /अनुमोदनार्थ आख्या

प्रस्ताव

उ०प्र० नगर निगम, अधिनियम-1959 की धारा-172(ग) में हैलीपैडों, इवाई अड्डों एवं हवाई पट्टियों पर भी कर लगाये जाने सम्बन्धित निम्नलिखित प्रावधान किये गये है :-

“हैलीकाप्टरों, अथवा अन्य प्रकार के यानों, जब वे निगम के भीतर स्थित हैलीपैडों, हवाई अड्डों या हवाई पट्टियों या इस निमित्त निर्मित स्थलो पर उतरते हैं, अथवा उड़ान भरते हो । इस प्रकार अधिरोपित कर का भुगतान, यथा स्थिति विमान पत्तन प्राधिकरण अथवा हवाई अड्डों, हवाई पट्टी, हैलीपैड या स्थल का रखरखाव, प्रबंधन तथा पर्यवेक्षण में अन्तर्ग्रस्त व्यक्ति या व्यक्तियों या प्रबन्धक या निदेशक या संस्था या विभाग अथवा एजेन्सी द्वारा किया जायेगा।”

वर्तमान समय में उ०प्र० में नगर निगम लखनऊ द्वारा मा० सदन की सामान्य बैठक की कार्यसूची द्वारा दिनांक-11.08.18 द्वारा हैलीपैडो, हवाई अड्डो एवं हवाई पट्टियों पर उ०प्र० नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा-172 (ग) के तहत कर लगाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित किया गया है। वर्तमान समय में नगर निगम लखनऊ की भौति नगर निगम, कानपुर को अधिनियम में प्रदत्त इस धारा का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि भारत सरकार एवं उ०प्र० सरकार की निरंतर यह मंशा रही है कि शहरी नगर निकाय यथा नगर निगम की आय में निरन्तर नये-नये श्रोत पैदा कर शहरी नागर निकायों को आर्थिक रूप से सुदृढ बना सके। ऐसे में यह यथा उचित होगा कि, नगर निगम, लखनऊ की भौति नगर निगम, कानपुर में उ०प्र० नगर निगम अधिनियम-1959 की धारा-172(ग) के तहत नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत स्थित हैलीपैडों, हवाई अड्डों व हवाई पट्टियों पर प्रतिव्यक्ति रू०-100/- एवं चार्टर्ड विमान, हैलिकाप्टर इत्यादि के प्रति उड़ान पर 3000/- की दर से कर अधिरोपित करने सम्बन्धित प्रस्ताव मा० नगर निगम कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। मा० नगर निगम कार्यकारिणी के अनुमोदन के पश्चात हैलीपैडो, हवाई अड्डो एवं हवाई पट्टियों पर अधिरोपित किये जाने वाले कर सम्बन्धित प्रस्ताव एवं नियमावली के प्राख्यापन हेतु प्रस्ताव नगर विकास उ०प्र० सरकार को भेजा जाना उचित होगा, जिससे भविष्य में उ०प्र० में स्थित नगर निगमों की आर्थिक स्थिति सुदृढ होने में सहायक हो सकेगा।

..... स्वीकृत प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या-96

मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ / अनुमोदनार्थ आख्या

प्रस्ताव

नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत स्थित ऐसे विद्यालयों जो उ०प्र० नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 177(ग) के तहत कर मुक्ति की श्रेणी में आते हैं। उन संस्थानों द्वारा भी बड़े पैमाने पर व्यवसायिक कृत्य जैसे विद्यालय परिसर में शादी विवाह एवं सामाजिक संस्कृति समारोहों का आयोजन, विद्यालय के छत पर टेलीफोन टावरों की स्थापना एवं विद्यालय परिसर में बैंको का संचालन व कोचिंग कालेज का भी संचालन किया जा रहा है, परन्तु इन संस्थानों द्वारा किसी भी प्रकार के व्यवसायिक कर का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे प्रति वर्ष लाखों रुपये के राजस्व की क्षति नगर निगम को हो रही है।

वर्तमान समय में उ०प्र० नगर निगम अधिनियम-1959 की धारा-177(ग) के तहत कर मुक्ति की श्रेणी में आते हैं, जबकि भारत सरकार एवं उ०प्र० सरकार की निरन्तर यह मंशा रही है कि शहरी नगर निकाय यथा नगर निगम की आय में निरन्तर नये-नये श्रोत पैदा कर शहरी नागर निकायों को आर्थिक रूप से सुदृढ बना सके। ऐसे में यह यथा उचित होगा कि नगर निगम कानपुर द्वारा ऐसे भवनों को चिन्हांकित करते हुए व्यवसायिक तौर पर प्रयोग किये जाने वाले भू-भाग का कर निर्धारण करते हुए कर अधिरोपित करने सम्बन्धित प्रस्ताव मा० नगर निगम कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।

सभापति ने कहा कि निजी विद्यालयों द्वारा छात्र/छात्राओं से मनमानी फीस ली जा रही है और उनके द्वारा नगर निगम के फुटपाथों इत्यादि सुविधाओं का लाभ लिया जा रहा है, उन पर नगर निगम द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नगर आयुक्त ने कहा कि शिक्षणोत्तर विद्यालयों को शासन द्वारा सिर्फ शिक्षण कार्य करने पर गृहकर में छूट प्रदान की गई थी, परन्तु इस समय कुछ विद्यालयों द्वारा व्यवसायिक प्रयोग यथा- शादी समारोह एवं अन्य कार्यक्रमों हेतु लॉन आवंटित करना तथा विद्यालय के अन्दर निजी कम्पनियों के टावर लगवा कर लाभार्जन किया जा रहा है। व्यवसायिक प्रयोग कर रहे विद्यालयों पर नगर निगम द्वारा टैक्स लगाये जाने का प्राविधान किया गया है, तदनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत है।

..... व्यवसायिक प्रयोग कर रहे विद्यालयों पर नगर निगम द्वारा टैक्स लगाये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या-97

डा० बी०एन०आचार्य,अध्यक्ष दि होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन आफ इण्डिया,कानपुर एकता यूनिट द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा० महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :-

विषय :- होम्योपैथी के जन्मदाता डा० सी०एफ०एस० हनीमैन की स्मृति में सड़क का नामकरण करने, डा० हनीमैन द्वारा तथा डा० हनीमैन वाटिका बनाये जाने हेतु निवेदन।

सर्व विदित है कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति अन्य चिकित्सा पद्धतियों की तुलना में कम खर्च में अहिंसात्मक तरीकों से रोग को जड़ से ठीक करने की क्षमता के कारण अपने देश के लिये सर्वथा उपयुक्त चिकित्सा पद्धति है। डा० सी०एफ०एस० हनीमैन ने इस पद्धति का अविष्कार कर पूरे विश्व को इसे उपहार में दिया। आज दुनिया भर में लाखों होम्योपैथिक चिकित्सक इसके माध्यम से जनता की सेवा कर रहे हैं।

ऐसे महापुरुष डा० हनीमैन की स्मृति को संजोय रखने के लिये आपसे अनुरोध है कि :-

1. छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय से पहले जी०टी० रोड से बरसाइतपुर होते हुए मुखर्जी बिहार जाने वाली रोड का नाम डा० हनीमैन मार्ग के नाम से नामकरण करने की कृपा करें, क्योंकि इसी रोड पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल स्थापित है।
 2. साथ ही इसी रोड के मुहाने पर जी०टी० रोड की साइड पर डा० हनीमैन द्वार बनवाने की कृपा करें ताकि होम्योपैथिक कालेज एवं डा० हनीमैन मार्ग को आम जनता आसानी से पहचान सके।
 3. नगर के बृजेन्द्र स्वरूप पार्क, नानाराव पार्क अथवा फूलबाग में कोई हिस्सा डा० हनीमैन वाटिका के नाम से विकसित कर उसमें डा० हनीमैन की प्रतिमा लगवाने की कृपा करें।
- यह महापुरुष डा० हनीमैन के प्रति कानपुर की जनता की सच्ची श्रद्धांजली होगी।

आपने गत 08 जुलाई 2018 को स्टॉक एक्सचेंज सभागार सिविल लाइन कानपुर में डा० हनीमैन स्मृति सप्ताह के समापन अवसर पर आयोजित श्रद्धांजली समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पधार कर अपने उद्बोधन में उपरोक्त कार्यो को शीघ्र सम्पन्न करवाने की घोषणा की थी। आपसे अपेक्षा है कि शीघ्र ही इन पर अमल कराने के निर्देश देने की कृपा करें।

..... निरस्त ।

प्रस्ताव संख्या-98

श्री नवीन पण्डित मा० पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा० महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :-

विषय :- आदर्श बेकरी चौराहे का नाम किसन लाल भाटिया चौक किये जाने के सम्बन्ध में।

किसन लाल भाटिया पूर्व सभासद रहे हैं दुर्गा मन्दिर,स्वर्ग आश्रम हनुमान मंदिर के संस्थापक सदस्य रहे हैं।

आदर्श बेकरी चौराहा आदर्श बेकरी के नाम से था जो करीव दस वर्ष पूर्व वन्द हो गयी थी अतः इस चौराहे का नाम कोई नहीं है अतः इसका नाम किसन लाल भाटिया के नाम से किया जाय।

..... स्वीकृत।

प्रस्ताव संख्या-99

श्री नवीन पण्डित मा० पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा० महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :-

विषय :- 1958 के सभासद पं लक्ष्मी नारायण अवस्थी के नाम से डी०वी०एस० सड़क का नामकरण के सम्बन्ध में।

पं० लक्ष्मी नारायण अवस्थी जो कि सन् 1958 के जनरलगंज से सभासद थे,जिनका निवास 124 B/49 डी०वी०एस० रोड पर है उनके पुत्र भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं डी०वी०एस० कालेज रोड का नाम अन्य किसी के नाम से नहीं है अतः डी०वी०एस० कालेज से लेकर सिंधी धर्मशाला तक रोड का नाम लक्ष्मी नारायण अवस्थी के नाम से किया जाय।

..... स्वीकृत।

प्रस्ताव संख्या-100

श्री जय प्रकाश पाल (जे०पी०) मा० पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा० महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :-

वार्ड-72 दबौली के अर्न्तगत दबौली वेस्ट सब्जी मण्डी चौराहे पर नगर निगम की जगह पड़ी हुई है जिसमें अवैध रूप से लोगो द्वारा दुकाने संचालित की जा रही हैं। नगर निगम के राजस्व में बढ़ोत्तरी व अवैध कब्जा के देखते हुए चौराहे पर लगभग 8 X 10 की 20 से 25 दुकाने बनाई जा सकती हैं। कृपया उपरोक्त प्रस्ताव को कार्यकारिणी समिति से स्वीकृत कराने की कृपा करें।

..... स्वीकृत।

प्रस्ताव संख्या-101

श्री महेन्द्र नाथ शुक्ला (दददा), मा0 पार्षद एवं अन्य 02 पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :-

चूँकि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नयी नियुक्तियों प्रतिबन्धित है। अतः नगर निगम द्वारा विभागों की कार्यप्रणाली में गतिशीलता प्रदान करने हेतु सेवा प्रदाता कम्पनी (आउट सोर्सिंग) के माध्यम से विभिन्न प्रकार के पदों यथा लिपिक, चौकीदार, माली, चपरासी, कम्प्यूटर लिपिक आदि में नियुक्तियों/भर्तियों की जाती है/जानी है। तदनुक्रम में विभागीय कार्यहित में पारदर्शिता तथा अनियमितताओं के बचाव के दृष्टिगत नियुक्तियों/भर्तियों हेतु पाँच सदस्यीय समिति गठित की जाती है। उक्त समिति में तीन निर्वाचित पार्षद तथा नगर निगम के दो अधिकारी नामित होंगे।

मा0 अमीम ने कहा कि नगर निगम में आर्थिक संकट के दृष्टिगत पूर्व में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य कर रहे 110 स्वीचमैनो को हटाया जा चुका है, तो भर्तियों का क्या औचित्य है ?

श्री गुरु नारायण गुप्ता ने कहा कि सर्वप्रथम सभी वार्डों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से 05-05 सफाई कर्मचारी व 04-04 हैण्डपम्प लगवाये जाने हेतु सदन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी, परन्तु सफाई कर्मियों की व्यवस्था नहीं कराई जा सकी।

नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि नये परिसीमन में जनसंख्या के अनुसार प्रत्येक वार्ड में 40 सफाई कर्मियों का मानक निर्धारित किया गया था, तदनुसार ही सफाई कर्मियों को तैनात किया गया है। प्रत्येक वार्ड के परीक्षण करने पर जिन वार्डों में सफाई कर्मियों की संख्या ज्यादा पाई गई उन वार्डों से सफाई कर्मचारियों को हटाकर दूसरे वार्डों में लगाया गया है। साथ ही समिति के सदस्यों को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पूर्व में वर्कचार्ज/डेलीवेजेज तथा संविदा पर कर्मचारियों को रखने की व्यवस्था की गई थी, परन्तु ऐसे कर्मचारियों द्वारा आज 05-07 वर्ष बाद न्यायालय के माध्यम से नियमितीकरण किये जाने हेतु वाद दाखिल करने के कारण शासन ने ऐसी नियुक्तियों को समाप्त करते हुये आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारियों को तैनात करने की व्यवस्था दी है, जिसमें नगर निगम की कोई भूमिका नहीं होती है।

..... निरस्त।

प्रस्ताव संख्या-102

नगर आयुक्त महोदय के पत्र सं0-डी/415/अ0अ0-4 दिनांक 12.09.18 को माननीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है :-

अभियन्त्रण खण्ड-4, नगर निगम मोतीझील मुख्य भवन की लिफ्ट एवं कम्पनी का स्टैबलाइजर (20 के0वी0ए0 का) के रख-रखाव हेतु मेसर्स बैश एलीवेटर एण्ड एस्केलेटर्स प्रा0लि0 द्वारा अनुरक्षण किया जाता है। दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक की अनुरक्षण अवधि के लिये धनांक रू0 95,000/- का अग्रिम भुगतान मेसर्स बैश एलीवेटर एण्ड एस्केलेटर्स प्रा0लि0 को किये जाने की स्वीकृति नगर आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 08.09.2018 को प्रदान कर दी गयी है।

मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रेषित

अग्रिम भुगतान की स्वीकृति हेतु

क्रम सं0	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	निविदा धनांक	दर	ठेकेदार/ फर्म का नाम
1	अभियन्त्रण खण्ड-4, नगर निगम मोतीझील मुख्य भवन की लिफ्ट एवं कम्पनी का स्टैबलाइजर (20 के0वी0ए0 का) के रखरखाव हेतु दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक मेन्टीनेन्स हेतु।	-	95,000.00	-	-	मे0 बैश एलीवेटर एण्ड एस्केलेटर्स

..... स्वीकृत।

प्रस्ताव संख्या-103

डा0 जय शंकर पाण्डेय,प्रान्त अध्यक्ष,सक्षम भारत,समदृष्टि,क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल,कानपुर प्रान्त द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :-

सादर सूच्य है कि सक्षम (समदृष्टि,क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल) दिव्यांगजनों के विकास,कल्याण के साथ-साथ उन्हें समाज के मुख्य धारा में लाने हेतु समर्पित गैर सरकारी राष्ट्रीय संगठन है जो पूरे भारत वर्ष में कार्य कर रहा है।

यह सभी प्रकार के दिव्यांगजनों के समग्र विकास हेतु मुख्यतया पाँच क्षमता प्रकोष्ठों,दृष्टि बाधित क्षमता प्रकोष्ठ,श्रवण बाधित क्षमता प्रकोष्ठ,अस्थि बाधित क्षमता प्रकोष्ठ,बुद्धि बाधित क्षमता प्रकोष्ठ,कुष्ठ बाधित प्रकोष्ठ के माध्यम से दिव्यांगजनों की क्षमता को विकसित कर उनके स्वालम्बन एवं विकास हेतु संगठन कार्य कर रहा है।

पिछले कई वर्षों से कानपुर क्षेत्र में सक्षम एक गैर सरकारी संगठन के रूप में दिव्यांगजनों के हितार्थ प्रभावशाली ढंग से कार्य कर रहा है परन्तु कानपुर में कार्यालय उपलब्ध न होने के कारण भूमि का बाधा उत्पन्न हो रही है।

अतः श्रीमान जी से आग्रह है कि नगर निगम के अर्न्तगत आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरी/मेटनेटा सन्टर दर्शनपुरवा 1259 जो निष्क्रिय एवं अकार्य अवस्था में है कृपया उपरोक्त स्थान/भवन 5 वर्ष एवं अगले पाँच वर्षों के लिये सक्षम सगठन का आवंटित करने की सादर कृपा करें।

..... स्वीकृत।

प्रस्ताव संख्या-104

श्री महेन्द्र पाण्डेय (पप्पू), पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :-

वार्ड सं0 40 विष्णुपुरी के अर्न्तगत दुर्गावती स्कूल जो स्व0 ज्ञान चन्द्र अग्रवाल जी का है, उक्त रोड का नामकरण अभी तक नहीं हुआ है। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त रोड का नामकरण स्व0 डा0 ज्ञानचन्द्र अग्रवाल करने हेतु प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

..... स्वीकृत।

प्रस्ताव संख्या-105

श्री महेन्द्र पाण्डेय (पप्पू), पूर्व उप सभापति पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :-

कानपुर नगर निगम का पालिका स्टेडियम है जो किसी के नाम से नहीं है। मा0 मेरा प्रस्ताव है कि उक्त स्टेडियम का नाम भारत रत्न मा0 पूर्व प्रधान मन्त्री स्व0 अटल विहारी वाजपेयी पालिका स्टेडियम किये जाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

..... स्वीकृत।

प्रस्ताव संख्या-106

श्री महेन्द्र पाण्डेय (पप्पू), पूर्व उप सभापति पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :-

शिक्षा जगत से जुड़े व समाज सेवी मा० पूर्व सांसद स्व० डा० ईश्वर चन्द्र गुप्त जी के सामने वाले मार्ग का नाम मा० पूर्व सांसद स्व० डा० ईश्वर चन्द्र गुप्त मार्ग करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करे।

..... स्वीकृत।

प्रस्ताव संख्या-107

श्री मो० अमीम, मा० पार्षद वार्ड-97 एवं अन्य 09 पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा० महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :-

विषय :- जोन-4 के अर्न्तगत परेड स्थित यतीमखाना चौराहे का नामकरण 1857 जंगे आजादी के अहम सितारे कानपुर निवासी श्री अजीमुल्लाह खॉ के नाम से किये जोन के सम्बन्ध में।

जोन-4 के अर्न्तगत परेड स्थित यतीमखाने चौराहे का नामकरण 1857 को जंगे आजादी के अहम सितारे "नानाराव पेशवा के दीवान व देश की आजादी के जंग में अग्रणी भूमिका निभाने वाले कातिकारी अजीमुल्लाह खॉ, के नाम पर किये जाने की आवश्यकता है।

यहाँ पर यह भी बताया जाना अति आवश्यक है कि श्री अजीमुल्लाह खॉ कानपुर के पटकापुर निवासी थे। इनके द्वारा ब्रिटिश शासन काल के खिलाफ आन्दोलन व संघर्ष किया गया तथा देश का प्रथम राष्ट्रीय गीत भी इनके द्वारा लिखा गया। जिसकी छायाप्रति साथ में संलग्न है।

अतः आपसे मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष सादर अनुरोध है कि उक्त यतीमखाना चौराहे का नाम जंगे आजादी के अहम सितारे अजीमुल्लाह खान के नाम किये जाने का आदेश पारित करें।

..... स्वीकृत।

प्रस्ताव संख्या-108

श्रीमती सुधा-जितेन्द्र सचान पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :-

विषय :- भैरोघाट स्थित शव दाह में ट्रस्ट में निजी धन से शेड बनवाने की अनुमति प्रदान किये जाने के सन्दर्भ में।

संकट मोचन धाम बर्सा-1 कानपुर ने अपने निजी धन से 8 अथवा 10 शव जलाने हेतु शमशान घाट पर गंगा जी की सीढ़ियों की बायीं ओर एक टिन शेड बनाये जाने के पुनीत कार्य को निर्णय लिया है।

अतः मा0 कार्यकारिणी के समक्ष आपसे सादर अनुरोध है कि उपरोक्त स्थल पर ट्रस्ट के द्वारा शेड बनवाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

..... स्वीकृत।

प्रस्ताव संख्या-109

श्री प्रकाश पाल, मा0 पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :-

विषय :- यशोदा नगर बाईं पास से स्व0 शैलेन्द्र शुक्ल के आवास की ओर जाने वाली सड़क का नाम स्व0 शैलेन्द्र शुक्ल मार्ग किये जाने के सम्बन्ध में।

सादर अनुरोध है कि विगत दिनों एक सड़क दुर्घटना में स्व0 शैलेन्द्र शुक्ल की मृत्यु हो गयी थी। जनता में उसकी स्मृति को स्थाई बनाये रखने हेतु उपरोक्त सड़क का नाम स्व0 शैलेन्द्र शुक्ल मार्ग करने की कृपा करें।

..... स्वीकृत।

उपसभापति ने कहा कि शहर में जगह-जगह जहाँ पर हमारी जमीनों पर सब्जीमण्डी, फलमण्डी, टेले व बाजार लगते हैं और नगर निगम द्वारा बनाये गये शौचालयों/मूत्रालयों का प्रयोग कर रहे हैं अतः नगर निगम द्वारा यूजर चार्ज की वसूली की जाये। साथ ही पुलों पर शाम के समय लग रही अवैध सब्जी मण्डियों से भी वसूली सुनिश्चित की जाये, जिससे नगर निगम के राजस्व में वृद्धि हो सके।

श्री संतोष साहू ने कहा कि मेरे वार्ड में भी नगर निगम की जमीन पर सब्जीमण्डी लग रही है, जिससे यातायात बाधित हो रहा है और नगर निगम को कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है, उनसे यूजर चार्ज वसूला जाये। मेरे वार्ड में कई भवन ऐसे हैं, जिनसे गृहकर की वसूली नहीं की जा रही है, उनसे गृहकर की वसूली की जाये।

श्री विजय यादव ने कहा कि मेरे वार्ड में कई गेस्ट हाउस, होटल हैं, जो अवैध पानी के कनेक्शन लेकर उसका प्रयोग कर रहे हैं परन्तु नगर निगम को राजस्व के नाम पर कुछ नहीं दे रहे हैं। गेस्ट हाउस एवं होटलों में शादी समारोह व अन्य कार्यक्रमों के पश्चात् गन्दगी को सड़क पर डाल दिया जाता है इसीप्रकार सब्जी व फल विक्रेताओं द्वारा भी गन्दगी सड़क पर डाल दी जाती है।

नगर आयुक्त ने अपर नगर आयुक्त को निर्देशित किया कि गेस्ट हाउस, होटलों, सब्जी व फल विक्रेताओं द्वारा जगह-जगह फैलाई जा रही गन्दगी के सम्बन्ध में स्वच्छता के दृष्टिगत इस सम्बन्ध में राजस्व वसूली हेतु नियमावली तैयार कर अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत करें।

सभापति ने कहा कि नगर आयुक्त से वार्ता हो चुकी है, शहर को चार जोनों में बाँटा जा रहा है, तदनुसार फलमण्डी व सब्जीमण्डी अलग-अलग विस्थापित की जायेंगी, जिससे नगर निगम को राजस्व की प्राप्ति होगी तथा यातायात भी सुगम होगा साथ ही कुछ प्रस्ताव हस्तगत (टेबुल) किये गये हैं, उन पर भी विचार कर लिया जाये।

प्रस्ताव सं०	कार्यालय पत्राक संख्या	मा० पार्षद गण	विषय	निर्णय
110	————	विभागीय प्रस्ताव (पशु चिकित्साधिकारी)	कानपुर नगर निगम द्वारा शासन के पत्र सं० 05/2017/4651/नौ-8-2017-21ज/2016 दिनांक 20.09.2017 के क्रम में कान्हा गौशाला बनाये जाने हेतु, प्योदी गाँव में स्थित शेखपुर बगिया, जाजमऊ में नगर निगम की सीवरेज फार्म की 03 एकड़ भूमि चिन्हित करते हुए 774 लाख की डी०पी०आर० शासन में स्वीकृत हेतु प्रेषित किया गया था। शासन द्वारा 722.68 लाख की कार्य योजना इस शर्त के साथ स्वीकृति की गयी कि वहाँ 1500 से 2000 पशुओं की गौशाला बनायी जाये। उपरोक्त भूमि पर केवल 500 पशुओं की गौशाला प्रस्तावित थी और उससे ज्यादा की गौशाला वहाँ भूमि कम होने के कारण बनायी नहीं जा सकती थी। 2000 पशुओं की गौशाला बनाये जाने हेतु, जाना गाँव की सीवरेज यूटिलाइजेशन स्कीम के अन्तर्गत अर्जित भूमि में से 25 एकड़ भूमि चिन्हित किया गया है, जिस पर कान्हा गौशाला बनाया जाने सम्बन्धित प्रस्ताव मा० नगर निगम कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः तदनुसार आख्या/मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया
111	————	विभागीय प्रस्ताव	कानपुर नगर निगम द्वारा शासन के पत्र सं० 4808/9-8-2017 दिनांक 10.	स्वीकृति प्रदान करते हुये

		(पशु चिकित्साधिकारी)	10.2017, जिसमें एनीमल बर्थ कन्ट्रोल रूल 2001 के अनुसार आवारा कुत्तों की संख्या वृद्धि के प्रबन्धन रैबीज उन्मूलन एवं मानव कुत्तों के संघर्ष आदि में कमी लाने के लिए ए0बी0सी0 कैम्पस के निर्माण हेतु, प्रस्ताव की मांग की गयी है। उक्त ए0बी0सी0 कैम्पस के निर्माण हेतु शासन द्वारा आवश्यक धनराशि जारी की जायेगी। उपर्युक्त के क्रम में ए0बी0सी0 कैम्पस बनाये जाने हेतु, प्यौंटी गॉव में स्थित शेखपुर बगिया, जाजमऊ में नगर निगम की सीवरेज फार्म की 03 एकड़ भूमि चिन्हित की गयी है। उक्त भूमि पर कुत्तों में जन्म नियंत्रण कार्यक्रम स्थल बनाये जाने सम्बन्धित प्रस्ताव मा0 नगर निगम कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। अतः तदनुसार आख्या/मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	सदन को अग्रसारित किया गया				
112	-----	रीता शास्त्री प्रदेश उपाध्यक्ष (महिला मोर्चा)	वार्ड-100 के अन्तर्गत बाबू पुरवा कालोनी स्थित दीन दयाल वाटिका में पं0 दीन दयाल जी की प्रतिमा माननीय शिवप्रताप शुक्ल केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री द्वारा लगवाने का प्रस्ताव।	स्वीकृत				
113	-----	विभागीय प्रस्ताव (प्रभारी अधिकारी केन्द्रीय कर)	कृपया शासनादेश सं0-161/सी0एम0/नौ-9-97-23ज/97 नगर विकास अनुभाग-9 दिनांक-16.12.97 तथा सरकारी गजट उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित इलाहाबाद शनिवार 18 मार्च, 1999 की (फागुन) 22, 1920 शकसम्बत के अनुसार नगर निगम, कानपुर सीमान्तर्गत संचालित नर्सिंगहोम, प्रसूति गृह, प्राइवेट अस्पताल, पैथलौजी सेन्टर, एक्सरे क्लीनिक, डेन्टल क्लीनिक, प्राइवेट क्लीनिक जो वर्तमान समय में संचालित प्रतिष्ठानों से लाईसेन्स शुल्क वसूली की निर्धारित की जा रही है। उक्त संबन्ध में नगर निगम की आय में बढोत्तरी किये जाने हेतु लाईसेन्स शुल्क की दरों में वृद्धि के साथ प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 30 जून के पश्चात लाईसेन्स हेतु आवेदन करने पर रू0-1000/- अर्थदण्ड प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में शासन की निर्धारित दरें नगर निगम द्वारा निर्धारित दरें तथा प्रस्तावित दरों का विवरण निम्नवत है:-	स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया				
			<table border="1"> <tr> <td>नगर निगम द्वारा वर्तमान में विभिन्न मदों में लाईसेन्स</td> <td>नगर निगम द्वारा निर्धारित दर (वर्तमान में लागू)</td> <td>नगर निगम द्वारा प्रस्तावित मदवार दर</td> <td>प्रस्तावित दर</td> </tr> </table>	नगर निगम द्वारा वर्तमान में विभिन्न मदों में लाईसेन्स	नगर निगम द्वारा निर्धारित दर (वर्तमान में लागू)	नगर निगम द्वारा प्रस्तावित मदवार दर	प्रस्तावित दर	
नगर निगम द्वारा वर्तमान में विभिन्न मदों में लाईसेन्स	नगर निगम द्वारा निर्धारित दर (वर्तमान में लागू)	नगर निगम द्वारा प्रस्तावित मदवार दर	प्रस्तावित दर					

			<p>प्राइवेट अस्पताल</p> <p>नर्सिंग होम-प्रसूति गृह (20 बेड तक) 2000.00</p> <p>नर्सिंग होम 20 बेड ऊपर 4000.00</p> <p>प्रसूति गृह 20 बेड तक 4000.00</p> <p>प्रसूति गृह 20 बेड के ऊपर 5000.00</p>		<p>प्राइवेट अस्पताल</p> <p>नर्सिंग होम-प्रसूति गृह (50 बेड तक) 7500.00</p> <p>नर्सिंग होम 15000.00</p> <p>50 से 100 बेड तक प्रसूति गृह 100 बेड से 250 बेड तक 20000.00</p> <p>प्रसूति गृह 200 बेड से 250 बेड तक 35000.00</p>	
			<p>प्राइवेट अस्पताल 5000.00</p> <p>पैथोलौजी लैब 1000.00</p> <p>एक्सरे, क्लीनिक 2000.00</p> <p>डेन्टल क्लीनिक 4000.00</p> <p>प्राइवेट क्लीनिक 1000.00 से 3000 तक</p>		<p>प्राइवेट अस्पताल 10000.00</p> <p>पैथोलौजी लैब 5000.00</p> <p>डैग्नोस्टिक सेन्टर, पैथलौजी, एक्सरे, क्लीनिक 10000.00</p> <p>एलो/डेन्टल क्लीनिक प्राइवेट क्लीनिक 5000.00</p> <p>ब्लडबैंक सेन्टर 10000.00</p> <p>आर्युवेदिक/यूनानी/होम्यो क्लीनिक आदि 4000.00</p>	
			<p>नगर निगम की आय में बढोत्तरी किये जाने हेतु लाईसेन्स शुल्क की दरों में वृद्धि हेतु प्रस्तावित दरें मा० नगर निगम कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।</p> <p>अतः तदनुसार आख्या मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।</p>			

114	-----	विभागीय प्रस्ताव (प्रभारी अधिकारी केन्द्रीय कर)	<p>कृपया कानपुर नगर निगम, कानपुर के सीमान्तर्गत विभिन्न स्थलों पर संचालित प्रेक्षागृहों से नगर निगम अधिनियम की धारा-172 की उप धारा (2) (अ) के अन्तर्गत विभिन्न प्रेक्षागृहों से प्रतिशो रू0-20 की दर से शो टैक्स कई वर्षों से जमा कराया जा रहा है। अवगत कराना है कि गत कई वर्षों से शो टैक्स के रूप में कोई बढोत्तरी नहीं की गयी है।</p> <p>वर्तमान समय में विभिन्न मॉल द्वारा मल्टी प्लैक्स संचालित किये जा रहे है जिसमें प्रति टिकट मूल्य लगभग रू0-150 से 450 तक है। वर्तमान समय में मल्टी प्लैक्स एवं अन्य प्रेक्षागृहों में टिकट के शुल्कों में भी काफी वृद्धि हो गयी है, परन्तु शौटैक्स की दरें काफी कम है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में शौटैक्स की धनराशि में कार्यहित एवं नगर निगम वित्तीय हित में वृद्धि निम्नवत करने हेतु प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है:-</p> <p>1- मल्टी प्लैक्स कॉप्लैक्स प्रति शो 600 रूपये 2- वातानुकूलित सिनेमा घर प्रति शो 300 रूपये 3- साधारण सिनेमाघर प्रति शो 100 रूपये</p> <p>उपरोक्त प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत ।</p>	स्वीकृत प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया
115	आर/403/एम0पी 0/18-19 दिनांक 03.10.18	श्री नवीन पंडित, उप सभापति	फजलगंज गडरियनपुरवा,कबाड़ी मार्केट,कोका कोला चौसाहा अवैध ट्रॉस्पॉर्ट नगर बन गया है वहाँ पर बसें व ट्रक खड़े किये जा रहे है, जिससे नागरिकों को परेशानी हो रही है तथा गन्दगी भी बनी रहती है। अतः उनसे यूजर चार्ज लिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत है।	स्वीकृत प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया
116	आर/402/एम0पी 0/18-19 दिनांक 03.10.18	श्री नवीन पंडित, उप सभापति	रायपुरवा रोलिंग मिल हाता जिसकी पहचान रोलिंग मिल से थी, के बन्द होने के कारण स्व0 पन्ना लाल ताँबे, जो भा.ज.पा. के वरिष्ठ नेता व एम.एल.सी. रह चुके है, अतः रोलिंग मिल हाते का नामकरण स्व0 पन्ना लाल ताँबे के नाम से किये जाने के सम्बन्ध में।	स्वीकृत
117	आर/407/एम0पी 0/18-19 दिनांक 04.10.18	श्री सुनील कुमार कनौजिया	जूही डिपो चौराहे से बुद्ध विहार साधना केन्द्र की ओर जाने वाली सड़क पर भगवान बुद्ध प्रवेश द्वार बनाए जाने के सन्दर्भ में।	स्वीकृत
118	आर/401/एम0पी 0/18-19 दिनांक 03.10.18	श्री महेन्द्र पाण्डेय (पप्पू)	वार्ड नं0-40 विष्णुपुरी आजाद नगर के अन्तर्गत नगर निगम की खाली पड़ी जमीन पर दुकाने बनवाने के सम्बन्ध में। साथ ही यह भी कहा कि डी0पी0एस0 कॉलेज से दीपचन्द्र मार्केट जाने वाले मार्ग पर साथ ही बीमा चौराहा से रामचन्द्रर मार्केट तथा नवाबगंज थाने के पीछे	जोनल अधिकारी एवं सम्पत्ति विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर स्थलीय निरीक्षण करते हुये

			नगर निगम की भूमि पर दुकाने बनी है, जिससे नगर निगम को किराया प्राप्त नहीं हो रहा है, जबकि क्षेत्रीय माफिया उन दुकानों से वसूली कर रहे हैं, इसका भी संज्ञान लिया जाये।	तदनुसार आख्या प्रस्तुत करेंगे।
119	आर/411/एम0पी 0/18-19 दिनांक 05.10.18	श्री महेन्द्र नाथ शुक्ला (ददा)	वार्ड सं0 49 गान्धी नगर में सीसामऊ बाजार की 3 हजार गज की जमीन पड़ी थी उसमें 10 परमिट दुकानों को दिये गये वहाँ अराजक तत्वों के कब्जे को तुड़वाकर मल्टी स्टोरी मार्केट बनवाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	जोनल अधिकारी एवं सम्पत्ति विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर स्थलीय निरीक्षण करते हुये तदनुसार आख्या प्रस्तुत करेंगे।
120	आर/409/एम0पी 0/18-19 दिनांक 04.10.18	श्री रमेश चन्द्र	वार्ड सं0-1 के अन्तर्गत तलवा मंडी एल्लिन मिल के किनारे तथा चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय कोपर गंज रोड बांस मंडी स्थित किनारे की काफी भूमि नगर निगम का काफी जमीन पड़ी है दुकाने बनवाने हेतु प्रस्ताव।	जोनल अधिकारी एवं सम्पत्ति विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर स्थलीय निरीक्षण करते हुये तदनुसार आख्या प्रस्तुत करेंगे।
121	आर/406/एम0पी 0/18-19 दिनांक 03.10.18	श्री राशिद आरफी	मौलाना हसरत मोहानी एवं गणेश शंकर विद्यार्थी की कर्म स्थली मूलगंज व मेस्टन रोड तथा लाटूशरोड पर स्वतंत्रता सेनानी मौलाना हसरत मोहानी व गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम पर द्वार का निर्माण कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।	स्वीकृत
122	आर/405/एम0पी 0/18-19 दिनांक 03.10.18	श्री राशिद आरफी	वार्ड नं0 83 दलेल पुरवा के क्षेत्र डिप्टी पड़ाव में नगर निगम की जमीन पर अवैध तांगा स्टैण्ड संचालित है एवं बास मन्डी पुलिस चौकी के निकट खुली भूमि पड़ी है जो नगर निगम की है पर भू-माफियाओं के कब्जों को हटाकर डबल स्टोरी दुकानों का निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव।	जोनल अधिकारी एवं सम्पत्ति विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर स्थलीय निरीक्षण करते हुये तदनुसार आख्या प्रस्तुत करेंगे।
123	आर/404/एम0पी 0/18-19 दिनांक 03.10.18	श्री राशिद आरफी	वार्ड नं0 83 दलेल पुरवा के कांजी हाउस पर अवैध कब्जा को समाप्त करके निर्धन बच्चों के लिये अग्रेजी माध्यम स्कूल का निर्माण कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।	अतिक्रमण हटवाकर इसे कांजी हाउस संचालित किया जाये।
124	आर/404/एम0पी	कु0 कीर्ति अग्निहोत्री	वार्ड -42 केस्को मुख्यालय गेट की बगल में, टेपकों नाले के पास तथा 14/1	जोनल अधिकारी एवं

	0/18-19 दिनांक 05.10.18		ग्वालटोली रेलवे लाईन चर्च के सामने नगर निगम की आय बढ़ाने हेतु दुकाने बनवाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	सम्पत्ति विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर स्थलीय निरीक्षण करते हुये तदनुसार आख्या प्रस्तुत करेंगे।
125		श्री जीतेन्द्र गांधी कुशवाहा	पी0डब्लू0डी0 कोआपरेटिव हा0सो0लि0 के द्वारा 1975 में मसवानपुर की भूमि विकास के नाम पर खरीदी थी, जिसमें पार्क आदि का निर्माण भी कराया था, अब उन्हें बेचा जा रहा है। जिसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने भी नगर निगम को 10.08.2011 में भौतिक सत्यापन कर बेरीकेटिंग कराये जाने हेतु आदेशित किया था, तदनुसार जाँच कराई जाये।	जोनल अधिकारी एवं सम्पत्ति विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर स्थलीय निरीक्षण करते हुये तदनुसार आख्या प्रस्तुत करेंगे।
126		श्री जीतेन्द्र गांधी कुशवाहा	कानपुर नगर के आवासीय एवं अनावासीय भवनों में लगे सबमर्सिबल पम्प के दुरुपयोग के सम्बन्ध में।	निरस्त
127		श्री महेन्द्र नाथ शुक्ला	जोन-5 वार्ड-2 11-ब्लाक, नगर महापालिका कॉलोनी के सामने, दादा नगर, कानपुर स्थित पानी की टंकी जर्जर है, पिछले 15-16 वर्षों से बन्द पड़ी है तथा वहाँ पर अवैध कब्जा भी है। वहाँ पर सामुदायिक केन्द्र बनवाये जाने के सम्बन्ध में।	महाप्रबन्धक जलकल विभाग को निरीक्षण कर अतिक्रमण हटवाने हेतु निर्देशित किया गया तदनुसार आख्या दी जाये कि वहाँ पर टंकी की आवश्यकता है या नहीं?
128		श्री महेन्द्र नाथ शुक्ला	निर्वाचित सदन 2012-17 पार्षदों को भत्ता दिलाये जाने के सम्बन्ध में सदन द्वारा प्रस्ताव पारित हुआ था, परन्तु उसका अनुपालन नहीं किया गया। अतः उक्त के सापेक्ष सभी निर्वाचित पार्षदों को मासिक भत्ता दिलाने हेतु नगर आयुक्त को छावनी परिषद की भाँति रू0 6200/- दिये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।	छावनी परिषद से प्रस्ताव के अनुपालन की आख्या के अनुसार शासन को संदर्भित किया जाये।
129		श्री महेन्द्र नाथ शुक्ला	कानपुर शहर में गृहकर/व्यवसायिक कर से लगभग डेढ़ लाख छूटे भवनों/व्यवसायिक सम्पत्तियों को कर के दायरे में लाने हेतु किसी तीसरी एजेन्सी से सर्वेक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	उपनेता सदन से समन्वय स्थापित कर तदनुसार समस्त जोनल अधिकारी कार्यवाही करायें।
130		प्रभारी अधिकारी "सम्पत्ति"	कानपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 के कार्यालय पत्रांक-547/पी0ई0आर0 / गृहकर नगर निगम/2017-18 दिनांक-28.07.2018 के द्वारा अनुरोध किया गया है कि नगर निगम अभिलेख में भवन संख्या-127/यू/428 पराग मिल्क डेरी सेन्टर, निराला नगर पंजीकृत है। जबकि संस्था का रजिस्ट्रेशन दुग्ध उत्पादक	स्वीकृत

			<p>सहकारी संघ लि० कानपुर के नाम से है जिसका यू०पी०टी०टी० नम्बर के०आर०-००४०६६९ दिनांक १६.०५.१९६८ एवं सी०एस०टी० नम्बर-के०आर०-००३०४८४ दिनांक १६.०५.१९६८ है। उक्त के आधार पर नगर निगम अभिलेख में पराग मिल्क डेरी सेन्टर, कानपुर का नाम संशोधित करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० कानपुर कराने का अनुरोध किया है।</p> <p>उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि नगर निगम जोन-५ के कर निर्धारण अभिलेखों में भवन संख्या-१२७/यू/४२८ पराग मिल्क डेरी सेन्टर, निराला नगर जो नगर निगम प्रस्ताव संख्या-६२१ दिनांक २३.०७.१९६१ को समिति द्वारा मिल्क बोर्ड (कानपुर सहकारी मिल्क डेरी) के नाम से पट्टे/लीज पर दी गई थी, इसलिये उक्त संस्था के नाम का संशोधन मा० कार्यकारिणी समिति के अनुमोदनोपरान्त ही संशोधन किया जाना है।</p> <p>अतएव उपरोक्त के क्रम में कानपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० के कार्यालय पत्रांक-५४७/पी०ई०आर०/गृहकर नगर निगम/२०१७-१८ दिनांक-२८.०७.२०१८ के अनुसार संस्था के रजिस्ट्रेशन नं०-यू०पी०टी०टी० नम्बर के०आर०-००४०६६९ दिनांक १६.०५.१९६८ एवं सी०एस०टी० नम्बर-के०आर०-००३०४८४ दिनांक १६.०५.१९६८ के आधार पर पराग मिल्क डेरी सेन्टर भवन संख्या-१२७/यू/४२८ पराग मिल्क डेरी सेन्टर, निराला नगर, कानपुर का नाम संशोधित कर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, कानपुर का नाम नगर निगम अभिलेखों में अंकित करने की स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।</p>	
131		मुख्य अभियन्ता	<p>विषय:-कानपुर नगर स्थित ०६ अविक्सित मलिन बस्तियों के सर्वांगीण विकास किये जाने के सम्बन्ध में रू० ६९९.९१ लाख की धनराशि पण्डित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजनान्तर्गत (रिवॉल्विंग फण्ड) ब्याज रहित ऋण के रूप में लिये जाने विषयक मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्ताव।</p> <p>उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि कानपुर नगर की कुल ४१२ मलिन बस्तियों में से दिये गये निर्देश के अनुक्रम में ०६ मलिन बस्तियों (सरसैयाघाट, कृष्णा नगर स्थित सहदुल्लापुर मलिन बस्ती, गोवर्धनपुरवा, ९/५० नयापुरवा, संजय नगर एवं अम्बेडकर नगर) को सर्वांगीण विकास हेतु चयनित किया गया है। चयनित मलिन बस्तियों के विकास कराये जाने से लगभग २२००० निवासी लाभान्वित होंगे। इस सम्बन्ध में एक संक्षिप्त डी०पी०आर० धनांक रू० ६९९.९१ लाख का तैयार कराया गया है जिसपर व्यय होने वाली प्रस्तावित धनराशि को नगर निगम की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण प्रस्तावित</p>	स्वीकृत प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

			<p>धनराशि को पण्डित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजनान्तर्गत (रिवॉल्विंग फण्ड) कराया जाना अपेक्षित होगा। इस हेतु उक्त योजना के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में लिया जाना वांछित है, जिसकी स्वीकृति मा० कार्यकारिणी समिति/सदन से प्राप्त की जानी है।</p> <p>तत्क्रम में अवगत कराना है कि रिवॉल्विंग फण्ड के अन्तर्गत शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं में निकाय अंशों की धनराशि की कटौती राज्य वित्त आयोग के प्राप्त होने वाली धनराशि से की जायेगी। इस सम्बन्ध में शासन को यह भी अनुरोध पत्र प्रेषित किया जाय कि उक्त ऋण की अदायगी, कम वार्षिक प्रीमियम के साथ अधिक वर्षों में की जाय ताकि काटी गयी धनराशि का अधिक प्रभाव न पड़े।</p> <p>अतः उपरोक्त को दृष्टिगत करते हुये चयनित 06 मलिन बस्तियों के सर्वांगीण विकास हेतु पण्डित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजनान्तर्गत (रिवॉल्विंग फण्ड) ब्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि प्राप्त किये जाने हेतु विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत है।</p>	
132		श्री राघवेंद्र मिश्रा	<p>जोन-06 वार्ड-82 नहरिया के बगल तथा म०नं० 120/558 शिवाजी नगर से होकर शास्त्री नगर चौराहा स्थित ब्लॉक नं०-396/10 व रंगोली मेडिकल स्टोर के मध्य सड़क का "कैप्टन विश्वनाथ सिंह भदौरिया मार्ग" नामकरण किये जाने वाले प्रस्ताव में अभियन्त्रण की आख्या के अनुसार।</p>	स्वीकृत
133		प्रभारी अधिकारी "केन्द्रीयकर"	<p>कृपया अवगत कराना है शासनादेश सं०-161/सी०एम०/नौ-9-97-23/97 नगर विकास अनुभाग-9 दिनांक-16.12.97 तथा सरकारी गजट उत्तर प्रदेश इलाहाबाद शनिवार 18 मार्च 1999 ई० (फाल्गुन 23, 1920 शक संवत्) के अनुसार नगर निगम सीमान्तर्गत संचालित होटल लाजिंग तथा गेस्ट हाउस 10 शैय्या तक तथा होटल लाजिंग तथा गेस्ट हाउस 10 शैय्या से अधिक प्रति शैय्या तक व तीन सितारा होटल, 05 सितारा होटल, जलपान गृह रेस्टोरेन्ट ईटिंग हाउस, कोल्डड्रिंक/आईस्क्रीम (एरिएटेड वाटर, आटा चक्की, बार चलाने हेतु पाँच स्टार होटल श्री स्टार होटल एवं नगर निगम बायलोज, लाइसेन्स 05 हार्स पावर, 10 हार्स पावर, 15 हार्स पावर, 20 हार्स पावर से ऊपर की निर्धारित दरों के अनुसार शुल्क वसूली के निर्देश प्राप्त हुए तत्पश्चात नगर निगम द्वारा उल्लिखित संचालित प्रतिष्ठानों से वर्ष 2010 में दरें संशोधित की गई जो वर्तमान में लागू है।</p> <p>उक्त के सम्बन्ध में नगर निगम की आय में बढोत्तरी किये जाने हेतु लाइसेन्स शुल्क की दरों में वृद्धि के साथ प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 30 जून के पश्चात</p>	स्वीकृत प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया

			<p>लाइसेन्स हेतु आवेदन पर देशी शराब/बीयर शाप रू0-2000/- विदेशी शराब रू0-4000/- तथा माडल शाप पर रू0-6000/- पर अर्थ दण्ड शुल्क जुर्माना वसूल किया जाना प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में शासन का निर्धारित दरें एवं नगर निगम की प्रचलित दर वर्तमान में लागू निर्धारित दरों तथा वृद्धि हेतु प्रस्तावित दरों का विवरण निम्नवत है:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्रम सं०</th> <th>उपविधि/व्यवसाय का नाम</th> <th>प्रचलित दर वर्तमान में लागू</th> <th>वृद्धि हेतु प्रस्तावित दरें</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>होटल गेस्ट हाउस (20 बेड तक)</td> <td>1000.00</td> <td>5000.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>होटल गेस्ट हाउस (20 बेड से अधिक)</td> <td>रू0-150/- प्रति बेड</td> <td>8000.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>जलपान गृह, रेस्टोरेन्ट, ईटिंग हाउस</td> <td>1000.00</td> <td>2000.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>कोल्डड्रिंक/आईस्क्रीम, एरिएटेड वाटर</td> <td>500.00</td> <td>1000.00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>आइसक्रीम फैक्ट्री</td> <td>1000.00</td> <td>1500.00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>बर्फ निर्माण फैक्ट्री</td> <td>2000.00</td> <td>2500.00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>आटा चक्की</td> <td>500.00</td> <td>1000.00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>बार चलाने हेतु</td> <td>15000.00</td> <td>18000.00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>पाँच स्टार होटल</td> <td>25000.00</td> <td>40000.00</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>थ्री स्टार होटल</td> <td>20000.00</td> <td>30000.00</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>देशी शराब प्रति दुकान</td> <td>6000.00</td> <td>25000.00</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>विदेशी शराब प्रति दुकान</td> <td>12000.00</td> <td>55000.00</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>मॉडल शौप</td> <td>.....</td> <td>60000.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>नगर निगम की आय में बढ़ोत्तरी किये जाने हेतु लाइसेंस शुल्क की दरों में वृद्धि हेतु प्रस्तावित दरें मा० नगर निगम कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है तथा उक्त मद में वसूली कार्यवाही सम्बन्धित जोनल अधिकारी द्वारा की जायेगी। तदनुसार आख्या मा० कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।</p>	क्रम सं०	उपविधि/व्यवसाय का नाम	प्रचलित दर वर्तमान में लागू	वृद्धि हेतु प्रस्तावित दरें	1	होटल गेस्ट हाउस (20 बेड तक)	1000.00	5000.00	2	होटल गेस्ट हाउस (20 बेड से अधिक)	रू0-150/- प्रति बेड	8000.00	3	जलपान गृह, रेस्टोरेन्ट, ईटिंग हाउस	1000.00	2000.00	4	कोल्डड्रिंक/आईस्क्रीम, एरिएटेड वाटर	500.00	1000.00	5	आइसक्रीम फैक्ट्री	1000.00	1500.00	6	बर्फ निर्माण फैक्ट्री	2000.00	2500.00	7	आटा चक्की	500.00	1000.00	8	बार चलाने हेतु	15000.00	18000.00	9	पाँच स्टार होटल	25000.00	40000.00	10	थ्री स्टार होटल	20000.00	30000.00	11	देशी शराब प्रति दुकान	6000.00	25000.00	12	विदेशी शराब प्रति दुकान	12000.00	55000.00	13	मॉडल शौप	60000.00	
क्रम सं०	उपविधि/व्यवसाय का नाम	प्रचलित दर वर्तमान में लागू	वृद्धि हेतु प्रस्तावित दरें																																																									
1	होटल गेस्ट हाउस (20 बेड तक)	1000.00	5000.00																																																									
2	होटल गेस्ट हाउस (20 बेड से अधिक)	रू0-150/- प्रति बेड	8000.00																																																									
3	जलपान गृह, रेस्टोरेन्ट, ईटिंग हाउस	1000.00	2000.00																																																									
4	कोल्डड्रिंक/आईस्क्रीम, एरिएटेड वाटर	500.00	1000.00																																																									
5	आइसक्रीम फैक्ट्री	1000.00	1500.00																																																									
6	बर्फ निर्माण फैक्ट्री	2000.00	2500.00																																																									
7	आटा चक्की	500.00	1000.00																																																									
8	बार चलाने हेतु	15000.00	18000.00																																																									
9	पाँच स्टार होटल	25000.00	40000.00																																																									
10	थ्री स्टार होटल	20000.00	30000.00																																																									
11	देशी शराब प्रति दुकान	6000.00	25000.00																																																									
12	विदेशी शराब प्रति दुकान	12000.00	55000.00																																																									
13	मॉडल शौप	60000.00																																																									
134	मुख्य अभियन्ता	<p>विषय:- स्मार्ट सिटी कार्यक्रम के अन्तर्गत कण्ट्रोल एण्ड कमाण्ड सेन्टर का निर्माण कार्य कराये जाने की स्वीकृति हेतु मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।</p>	स्वीकृत प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया																																																									

			<p>उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि भारत सरकार की योजना स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत कानपुर नगर स्मार्ट सिटी योजना के द्वितीय चरण में सम्मिलित किया गया है, जिसके अन्तर्गत पी0एम0सी0 का चयन भी भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अन्तर्गत किया जा चुका है। उक्त योजना के अन्तर्गत भवन के तृतीय स्थल पर पी0एम0सी0 आफिस, मीटिंग हाल व स्मार्ट सिटी से सम्बन्धित कार्य हेतु आने वाले आगन्तुकों के बैठने के लिये आगन्तुक कक्ष तथा चतुर्थ तल पर कन्ट्रोल एण्ड कमाण्ड सेन्टर का निर्माण कार्य कराया जाना है। इस कार्य पर व्यय की जाने वाली धनराशि का वहन स्मार्ट सिटी योजना में उपलब्ध धनराशि से किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी स्वीकृति मा0 कार्यकारिणी समिति से वांछित है। उक्त कार्य की निविदायें भी आमन्त्रित की जा चुकी है।</p> <p>अतः योजना हित में उक्त निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष निर्णयार्थ/स्वीकृतार्थ प्रस्तुत।</p> <p>सभापति ने कहा कि कल दिनांक 07.10.2018 को सम्पन्न हुई स्मार्ट सिटी की बैठक में आप द्वारा बाहरी लोगों को कैसे बुलाया गया, अवगत कराये।</p> <p>नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार द्वारा 25 दिसम्बर, 2015 में 100 शहरों को स्मार्ट सिटी घोषित किया गया था, तदनुक्रम में ही वर्ष 2016 में भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार जन सहभागिता के साथ एडवाइजरी कमेटी का गठन किया जाना था, जिसमें जिलाधिकारी, सांसद, विधायक, एन.जी.ओ., यूथ स्लम एरिया वेलफेयर एसोसियेशन एवं महापौर को नामित किया गया था। इस समिति को पदनाम से ही गठित किया गया था न कि किसी व्यक्ति विशेष के नाम से। ₹0 20 करोड़ की धनराशि नगर निगम मुख्यालय की चौथी मंजिल पर कमाण्ड सेन्टर बनाया जायेगा, जिसमें 120 व्यक्तियों के एक साथ बैठने की व्यवस्था की जायेगी। इस कमाण्ड सेन्टर के माध्यम से पूरे शहर की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जी0एस0टी0 सहित ₹0 380.00 करोड़ का है। चूँकि वर्ष 2020 तक इस प्रोजेक्ट को पूर्ण किया जाना है तदनुसार ही तदनुसार ही बैठक आहूत की गई थी।</p>	
135		मुख्य अभियन्ता	<p>दिनांक 09.07.2018 को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति के प्रस्ताव संख्या-60 के निर्णय के क्रम में अभियन्त्रण से प्राप्त आख्या के अनुसार नानाराव पार्क तरणताल प्रांगण में स्थित योगकुंज का नामकरण स्व0 रामचरण भरतिया योगकुंज किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।</p>	स्वीकृत

136		मुख्य अभियन्ता	<p>सादर अवगत कराना है कि प्रमुख सचिव, नगर विकास मंत्रालय, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र दिनांक 19.06.2018 के क्रम में विशेष सचिव, नगर विकास अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 10.09.2018 10.09.2018 द्वारा मा0 सांसद, लोकसभा, अकबरपुर कानपुर क्षेत्र श्री देवेन्द्र सिंह भोले ने विभिन्न 64 सड़कों के निर्माण हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के सम्बन्ध में पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजनान्तर्गत धनराशि ब्याज रहित ऋण के रूप में तात्कालिक आवश्यकता के दृष्टिगत उनकी माँग पर उपलब्ध कराने हेतु पत्र में वर्णित कार्यों में से 10.00 करोड़ के कार्यों का वित्त पोषण उक्त योजना से किये जाने हेतु प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित है।</p> <p>तत्क्रम में अवगत कराना है कि रिवाँल्विंग फण्ड के अन्तर्गत शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं में निकाय अंशों की धनराशि की कटौती राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत नगर निगम को प्राप्त होने वाली धनराशि से की जायेगी। इस सम्बन्ध में शासन को यह भी अनुरोध पत्र प्रेषित किया जाये कि उक्त ऋण की अदायगी, कम वार्षिक प्रिमियम के साथ अधिक वर्षों में की जाय ताकि काटी गयी धनराशि का अधिक प्रभाव न पड़े।</p> <p>अतः उपरोक्तानुसार मा0 संसद सदस्य, लोकसभा अकबरपुर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी/सदन के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।</p>	स्वीकृत प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया
137		श्री राजीव सेतिया	<p>श्याम नगर के0डी0ए0 द्वारा विकसित योजना है, जिसका हस्तान्तरण नगर निगम में हो चुका है। पूर्व में महापौर श्री जगतवीर सिंह द्रोण द्वारा 185 दुकानदारों को फेरीनीति के तहत चबूतरे भी आवंटित किये जा चुके हैं, परन्तु दुकानदारों ने फ्लाईओवर के नीचे अवैध कब्जे कर रखे हैं, जिससे नागरिकों को परेशानी होती है। फ्लाईओवर के नीचे रिक्त स्थान पर लगभग 100 दुकानें बन सकती हैं तदनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत है।</p>	जोनल अधिकारी एवं सम्पत्ति विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर स्थलीय निरीक्षण करते हुये तदनुसार आख्या प्रस्तुत करेंगे।
138		श्री गुरु नारायण गुप्ता	<p>वार्ड-90 (दानाखोरी) केनाल रोड पानी की टंकी के बाहर लगभग 20-25 व वार्ड-76 (हरबंश मोहाल) लखनऊ फाटक से स्टेशन तक लगभग 150-200 दुकानों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।</p>	जोनल अधिकारी एवं सम्पत्ति विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर स्थलीय निरीक्षण करते हुये तदनुसार आख्या प्रस्तुत करेंगे।

139		श्री लियाकत अली	बड़ी ईदगाह बकरमण्डी के सामने छेदी शाह कब्रिस्तान में छाया नहीं है, अतः दो स्थानों पर स्लैब डालने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	जोनल अधिकारी परीक्षण कर तदनुसार कार्यवाही करायें।
140		श्री नवीन पण्डित	कानपुर नगर में हजारों की तादाद में भारी वाहन प्रवेश करते हैं, पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चुंगी बन्द की जा चुकी है। माननीय उच्च न्यायालय ने सुविधाओं को देते हुये यूजर चार्ज वसूलने का आदेश दिया है, के क्रम में कानपुर महानगर में प्रवेश करने वाले भारी वाहनों से यूजर चार्ज व नगर प्रवेश शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में।	अपर नगर आयुक्त "द्वितीय" की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाये तदनुसार विधिक राय लेते हुये कार्यवाही की जाये।
141		श्रीमती नमिता मिश्रा	नेहरू नगर में नगर निगम की डिस्पेंसरी बन्द पड़ी है, निष्प्रयोज्य है, नगर निगम में डाक्टर भी नहीं है, अतः गिराकर नगर निगम की दुकानें बनवाते हुये उसे मार्केट के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	जोनल अधिकारी एवं सम्पत्ति विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर स्थलीय निरीक्षण करते हुये तदनुसार आख्या प्रस्तुत करेंगे।
142		श्री विजय यादव	वार्ड-54 विनायकपुर में गरीब लोगों हेतु कोई बारातशाला नहीं है, बारातशाला का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	स्वीकृत
143		श्री विजय यादव	मेरे वार्ड-54 स्थित प्राचीन शिव मन्दिर (भूतेश्वर मन्दिर) है, पास ही में आवास विकास द्वारा कालोनी विकसित की गई है, जिससे मिट्टी कटान होने से मन्दिर के जमीनदोज हो जाने की सम्भावना है। अतः मन्दिर का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	नगर आयुक्त शासनादेशों के क्रम में कार्यवाही कराये।
144		श्री गुरु नारायण गुप्ता	जोनल मार्ग प्रकाश विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन रू0 5692/- प्रतिमाह से बढ़ाकर रू0 12000/- प्रतिमाह किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	नगर आयुक्त नियमानुसार कार्यवाही कराये।
145		श्रीमती रीता पासवान	वार्ड-05 जवाहर नगर स्थित गीता पार्क में अवैध कब्जे व तमाम गन्दगी हटवाये जाने के सम्बन्ध में।	निरीक्षण करवाकर तदनुसार कार्यवाही कराई जाये।
146		श्री रमेश चन्द्र हठी	1857 के अमर सेनानी शहीद गंगू बाबा जिनकी शहादत 05 जून, 2018 को हुई थी अतः जन भावनाओं/जनहित में शहीद गंगू बाबा स्थल चुन्नीगंज का सुन्दरीकरण एवं चुन्नीगंज चौराहे का नामकरण शहीद गंगू बाबा के नाम पर किये जाने के सम्बन्ध में।	स्वीकृत
147		श्री जितेन्द्र गाँधी	रावतपुर वार्ड-60 में भगवान श्री रामलला जी का विशाल मन्दिर है मन्दिर से लगा	जोनल अधिकारी एवं

			हुआ एक तालाब है, वह भी रामलाला जी का है, उस तालाब को राम सरोवर पार्क घोषित किया जाये और रावतपुर में एकता चौराहा पर एक रावतपुर रामलला द्वार बनवाये जाने के सम्बन्ध में।	सम्पत्ति विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर स्थलीय निरीक्षण करते हुये तदनुसार आख्या प्रस्तुत करेंगे।
148		श्री सन्तोष साहू	कानपुर महानगर में सब्जीमण्डी दूधमण्डी से पूर्व की भौति पटरी व ठेला दुकानदारों से तह बाजारी/यूजर चार्ज लेने के सम्बन्ध में।	नगर आयुक्त शासनादेशों के क्रम में कार्यवाही कराये।
149		श्रीमती सीमा सचान	जोन-3 वार्ड-65 के अन्तर्गत गडरियनपुरवा यहाँ अत्यधिक गरीब निवास करते हैं, में बारात घर के निर्माण के सम्बन्ध में।	मुख्य अभियन्ता निरीक्षण कर कार्यवाही करें।
150		श्री सन्तोष साहू	वार्ड-82 जरौली के वसुधा विहार स्थित त्रिवेणी पार्क, रामलीला मैदान के नाम से जाना जाता था परन्तु कुछ तथा कथित लोगों के कारण पार्क का नाम वसुधा वाटिका के नाम से नामकरण कर दिया गया है। पार्क का नामकरण भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्व० श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी के नाम से "अटल रामलीला पार्क" किये जाने के सम्बन्ध में।	मुख्य अभियन्ता कार्यवाही करें।
151		श्री जितेन्द्र गाँधी	पूरे शहर में रोड के ऊपर पराग डेरी के पास, सी०टी०आई० चौराहे के पास, जरीब चौकी चौराहे के पास, रामलला मन्दिर रावतपुर गाँव के पास एवं शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क के किनारे जानवर काटने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के सम्बन्ध में।	नियमानुसार कार्यवाही कराये।
152		श्री सन्तोष साहू	कानपुर महानगर में नवरात्रि, दशहरा एवं दीपावली के पावन पर्व के दृष्टिगत मन्दिरों एवं चौराहों पर प्रकाश व्यवस्था हेतु प्रत्येक पार्श्व को 50-50 एल०ई०डी० लाईट देने के सन्दर्भ में।	प्रत्येक पार्श्व के वार्ड में पार्श्व द्वारा बताये गये स्थान पर 05-05 एल०ई०डी० लाईट लगवाये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।
153		श्री सन्तोष साहू	जोन-03 के अन्तर्गत वार्ड-82 जरौली स्थित वसुधा विहार बड़े पार्क (त्रिवेणी पार्क) को वसुधा विहार जरौली विकास एवं जन कल्याण समिति ने गोद लेने का आग्रह किया है। अतः समस्त औपचारिकतायें पूर्व करते हुये गोद दिये जाने के सम्बन्ध में।	नगर आयुक्त नियमानुसार कार्यवाही कराये।
154		मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी	कृपया नगर स्वास्थ्य अधिकारी (चि०) के पत्र संख्या- 90/एम०डी०/18-19 दिनांक 28.08.2018 के द्वारा नगर निगम के वित्तीय वर्ष 2018-19 के पारित बजट में लेखा शीर्षक 2102002 चिकित्सा प्रतिपूर्ति (Medical Reimbursement) में प्राविधानित धनराशि रू० 50.00 लाख में से 46.05 लाख व्यय हो चुका है। मात्र रू०	वर्ष 2018-19 के पारित बजट में राजस्व व्यय के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2201102 कार्यालय

			<p>03.95 लाख धनराशि अवशेष है, वर्ष 2018-19 में 07 माह शेष है और विभाग में 35.00 लाख की चिकित्सीय प्रतिपूर्ति दावा लम्बित है, के क्रम में रू0 70.00 लाख बजट में बढ़ाने की माँग की गई है। इसीप्रकार जनसम्पर्क अधिकारी के पत्र संख्या डी/25/पी0आर0ओ0 दिनांक-04.09.2018 के द्वारा मद शीर्षक 2206002 विज्ञापन प्रकाशन (Advertisement) में प्राविधानित धनराशि रू0 80.00 लाख पूर्ण रूप से व्यय हो चुका है तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में रू0 60.00 लाख की पत्रावलियों भुगतान हेतु लम्बित है। उक्त मद में रू0 60.00 लाख बजट बढ़ाये जाने की माँग की गई है।</p> <p>उपरोक्तानुसार नगर स्वास्थ्य अधिकारी (चि0) व जनसम्पर्क अधिकारी के प्रस्तावित माँग के क्रम में अवगत कराना है कि नगर निगम अधिनियम-1959 के प्रस्तर 149(3) में पुनर्विनियोग की व्यवस्था है, जिसमें कहा गया है कि बजट के एक मद से दूसरे मद में अथवा एक ही मद के भीतर धनराशियों का स्थानान्तरण कार्यकारिणी समिति द्वारा की जायेगी। वर्ष 2018-19 के पारित बजट में राजस्व व्यय के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2201102 कार्यालय अनुरक्षण पानी/सीवर में रू0 500.00 लाख प्राविधानित है, जिसमें से रू0 100.00 लाख घटाते हुये लेखा शीर्षक 2102002 चिकित्सा प्रतिपूर्ति में रू0 40.00 लाख व लेखा शीर्षक 2206002 विज्ञापन प्रकाशन में रू0 60.00 लाख की वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है, पुनरीक्षित बजट वर्ष 2018-19 में उपरोक्त मद में व्यय प्रस्तावित कर समायोजित कर लिया जायेगा। कृपया मा0 कार्यकारिणी समिति को अनुमोदन एवं स्वीकृत प्रदान करने हेतु।</p>	<p>अनुरक्षण पानी/सीवर में रू0 500.00 लाख प्राविधानित है, जिसमें से रू0 100.00 लाख घटाते हुये लेखा शीर्षक 2102002 चिकित्सा प्रतिपूर्ति में रू0 40.00 लाख व लेखा शीर्षक 2206002 विज्ञापन प्रकाशन में रू0 60.00 लाख की वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है, पुनरीक्षित बजट वर्ष 2018-19 में उपरोक्त मद में व्यय प्रस्तावित कर समायोजित कर लिया जायेगा, को स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।</p>
--	--	--	--	--

श्री महेन्द्र पाण्डेय 'पप्पू' ने नगर आयुक्त से कहा कि राजस्व वसूली पर समिति द्वारा चिंतन किया जा रहा है, इसी परिप्रेक्ष्य में मेरा कहना है कि अभी हाल ही में जो राजस्व निरीक्षकों का स्थानान्तरण किया गया है, इससे नगर निगम की वसूली प्रभावित होगी, क्योंकि जो राजस्व निरीक्षक दूसरे जोनों में स्थानान्तरित किये गये हैं, उन्हें उस जोन की भौगोलिक जानकारी नहीं है। अतः उचित होगा कि इनके स्थानान्तरण को 31 मार्च, 2018 तक स्थगित कर दिया जाये।

श्री मो0 अमीम ने कहा कि सरकार बदल गई है, परन्तु अधिकारियों की कार्य प्रणाली अभी भी पुरानी सरकार के प्रति निष्ठा से है। यह मेरे क्षेत्र में देखा जा सकता है। कोई भी अधिकारी जाकर मुझसे सम्पर्क करने के बजाय मुझसे पराजित पार्श्व प्रत्याशी से सम्पर्क करता है, यह कहाँ तक उचित है। विगत दिनों सफाई के परिप्रेक्ष्य में जोन के अधिकारी, कर्मचारी स0पा0 के विधायक से सम्पर्क करने के उपरान्त पराजित प्रत्याशी से सम्पर्क कर उसके निर्देशानुसार कार्य कराने पर जोर दिया जा रहा था, जिस पर मैंने आपत्ति भी दर्ज कराई थी। बिना भेद-भाव के समानता के आधार पर सभी के कार्य कराये जाये।

उपसभापति ने कहा कि नगर निगम के जो नियमित सफाई कर्मचारी कार्य नहीं करना चाहते हैं, तो कार्यहित में उनकी विशेष निगरानी की जाये साथ ही उनकी बीट बढ़ा दी जाये।

सभापति ने कहा कि श्री महेन्द्र पाण्डेय का कथन उचित है, इस पर विचार कर लिया जाये साथ ही अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया जाये कि निर्वाचित पार्षदों की अनदेखी न की जाये, उनसे प्रत्येक क्षेत्र में सम्पर्क करते हुये ही कार्य योजना सम्पन्न कराई जाये, चाहे वह सफाई कार्य हो अथवा मार्गप्रकाश या अभियन्त्रण के कार्य हों। श्री पंकज श्रीवास्तव, नगर स्वास्थ्य अधिकारी अस्वस्थ चल रहे हैं, उनके द्वारा कार्य देखा जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है तो स्वच्छता के परिप्रेक्ष्य में उनके स्थान पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

नगर आयुक्त ने अपर नगर आयुक्त से किये गये स्थानान्तरण के सम्बन्ध में वार्ता करने हेतु निर्देशित करते हुये कहा कि सभी विभागीय अधिकारियों को भी निर्देशित किया जाता है कि आउटसोर्सिंग के कर्मी अथवा नगर निगम के कर्मी की कार्य प्रणाली से अगर संतुष्ट न हो, तो उसे हटा दिया जाये। किसी भी कार्य में शिथिलता अक्षम्य होगी। प्रत्ये सफाई कर्मी की उपस्थिति की मास्टर रोल के माध्यम से क्रास चेकिंग भी कराई जाये।

सभापति ने आज की आहूत कार्यकारिणी समिति की बैठक में अत्यधिक संख्या में हस्तगत (टेबुल) प्रस्तावों के परिप्रेक्ष्य में निर्देशित किया कि आगामी बैठकों में यह सुनिश्चित करें कि आहूत कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यसूची निर्गत होने से पूर्व (72 घण्टे) प्रस्तावों को प्रत्येक दशा में प्राप्त कर कार्यसूची में अंकित कर लिया जाये। अपरिहार्य स्थिति में ही बैठक के समय प्रस्तावों को हस्तगत (टेबुल) किया जाये, जिससे कार्यकारिणी का अमूल्य समय भी बचेगा और प्रस्तावों पर सम्यक विचार-विमर्श किया जा सकेगा। जिस पर नगर आयुक्त ने सचिव नगर निगम को तदनुसार अनुपालन करने के निर्देश दिये।

सभापति ने सभी सदस्यों से आज दिनांक-08.10.2018 को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक की पुष्टि हेतु अपना-अपना अभिमत व्यक्त करने हेतु कहा।

..... सभी सदस्यों ने आज दिनांक 08.10.2018 को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक की पुष्टि की।

इसी के साथ बैठक का समापन हुआ।

ह0.....

(प्रमिला पाण्डेय)

महापौर/सभापति